

Volume 6, No. 01
Jan-June 2016

ISSN 2249-7927

PREEMINENCE

An International Peer Reviewed Research Journal

UNITED SOCIETY FOR REHABILITATION AND INCLUSION

PREEMINENCE

Patron

Prof Yogesh Chandra Dubey
Vice-Chancellor
J R H University, Chitrakoot (UP)

Advisory Board

Prof. K.B. Pandeya
Dr. J.P. Singh
Prof. S.R. Mittal
Dr. Bharat Mishra

Editor

Dr. Vijay Shankar Sharma

Assistant Editors

Dr. Akhil Agnihotri
Sh. Amit Agnihotri
Dr. Rakesh Kumar Dwiwedi
Sh. Nihar Ranjan Mishra
Dr. Rajnish Kumar Singh
Sh. Atul Srivastava
Dr. Punam Pandey
Dr. Neeraj Kumar Shukla
Dr. Reetu Sharma
Sh. Chandra Shekhar Yadav

Legal Advisor

Smt. Subhas Rathi
Dr. Veena Singh

Technical Advisor

Sh. S.K. Agnihotri
Sh. Amar Singh
Dr. Arya Agnihotri
Mr. Yogendra Tripathi
Mr. Sudhir Kumar
Mr. Akhil Raikwar
Mr. Chandra Prakash Yadav

**The views expressed in the articles/research papers are
the individual's opinion of the concerned author only.**

Editorial Advisory Board

Prof. Ranbir Singh

Ex. Vice Chancellor, National Law University,
Delhi

Prof. K.B. Pandeya

Ex. Vice Chancellor
M.G.C. Gramodaya, University, Chitrakoot

Dr. Yogesh Upadhyay

Professor, Dept. of Management
Jiwaji University, Gwalior

Prof. V.D. Mishra

Retd. Professor, University of Allahabad

Dr. J.P. Singh

Consultant, AMITY University, Noida

Prof. S.R. Mittal

Adjunct Professor, NIEPVD, Dehradun

Prof. T.B. Singh

Adjunct Professor,
Central University of South Bihar

Prof. B. Pandey

Ex. Vice Chancellor,
J.R.H. University, Chitrakoot, U.P.

Dr. S.B. Mishra

Ex. Head Deptt. of Mathematics, M.L.K. (P.G.)
College, Balrampur

Dr. Ranganath Mishra

Deptt. of Oncology
National Jewish Health, 1400 Jackson Street
Goodman K721, Denver CO 80206

Dr. Dharmendra Kumar

Ex. Director, PDUIPH, New Delhi

Dr. J.P. Pandey

Deptt. of Physics, M.L.K. P.G. College
Balrampur, U.P.

Dr. Himanshu Pandey

Deptt. of Statistics,
D. D. U. University, Gorakhpur, U.P.

Prof. I.C. Shukla

Ex- Head, Deptt. of Chemistry,
University of Allahabad, Allahabad.

Prof. J. Prasad

Ex Head & Dean, S.H.I.A.T.S., Allahabad.

Prof. Kapil Deo Mishra

Vice Chancellor
Rani Durgawati Vishwavidyalay, Jabalpur, MP

Prof. S.P. Gupta

Ex. Director, School of Education,
U.P.R.T. Open University, Allahabad

Prof. Yogesh Chandra Dubey

Vice-Chancellor,
J.R.H. University, Chitrakoot, U.P.

Prof. K.K. Mishra

Deptt. of Pol. Science, BHU, Varanasi

Dr. S.N. Tripathi

Ex. Dean, Dr. R.M.L. Awadh University,
Faizabad

Dr. Bharat Mishra

Associate Professor
M.G.C. Gramodaya, University, Chitrakoot

Prof. Arvind Joshi

Deptt. of Social Work,
BHU, Varanasi

Prof. Avanish C. Mishra

Head, Dept, of History,
Dr. Shanuntla Mishra National Rehabilitation
University, Lucknow

Prof. Kaushal Kishor

Dept. of Education
Central University of South Bihar, Gaya

Dr. Amit Tripathi

Vice President
Sunward Resources Ltd., Casa 101, Calle 6A,
No. 22-75, El Poblado, Medellin, Colombia

Dr. Prgya Mishra

Head, Deptt. of Sanskrit
M.G.C. Gramodaya, University, Chitrakoot

Dr. M.P. Shah

Reetd. Scientist F, Wadia Instt. of Himalayan
Geology, Dehradun

Prof. S.S. Chaubey

Ex. Prof. & Head
Deptt. of Geography
Arrah University, Arrah, Bihar

Prof. J.P. Lal

Deptt. of Plant Breeding
B.H.U., Varanasi

Dr. K.N. Uttam

Deptt. of Physics,
University of Allahabad

Dr. D B Tyagi

Principal, Sri Megh Singh PG College, Abidgarh
Agra (UP)

Editorial

I, herewith, present another issue of Preeminence - An International Peer Reviewed Research Journal with great pleasure. Editorial Team members have great sense of gratitude toward the authors/contributors who provided the content of this issue of the journal in the form of different research papers and articles. The Editorial Team recognizes the efforts made by peer reviewers who commented on the suitability of manuscripts for publication. Readers of this Journal and the academic community will surely get benefitted with the content of the Journal.

We, the Editorial Team, welcome the opportunity to expand our reviewer community and invite colleagues with an interest in reviewing to send their details to editor.usri@gmail.com with the details including Name, Email Address, Organization, Country, Subject specialization/areas of expertise and experience in the area.

I hope that with the combined efforts, Preeminence will continue the journey for achieving greater heights.

All the best,

Dr. Vijay Shankar Sharma
Editor



Serial No.

Subscription No.....

Subscription Form

‘*PREEMINENCE*’ An international peer reviewed research journal

Please enter my subscription for Bi-Annual peer reviewed international peer reviewed research Journal named ‘Preeminence’, for the period from to

Group	Zone	Annual	Five years
Institutions	Indian	Rs 850	Rs 4100
Individuals	Indian	Rs 450	Rs 2100
Institutions	Outside India	US \$ 45	US \$ 220
Individuals	Outside India	US \$ 25	US \$ 120

Name.....

Organization.....

Address.....

City/State..... Pin Code.....

Country.....

Phone.....

Fax.....

Email.....

I enclose the payment of ` /US \$..... in favour of Secretary, **United Punarvas Evam Samaveshan Sansthan** payable at Chitrakoot by Demand

Draft No..... Dated

Date

Signature

Please send the above form, duly filled, along with Demand Draft to the following address:

The Editor

‘*PREEMINENCE*’ the International peer reviewed Research Journal

United Society for Rehabilitation and Inclusion

Sonalika House, Ranipur Bhatt,

Chitrakoot 210204 India

Phone: 9919061827, 9412409625, 9450167507

E-mail: usri.up@gmail.com, editor.usri@gmail.com

Website: <http://www.usri.in>

Order Form for Advertisement

‘*Preeminence*’ The Interdisciplinary Journal

Please publish attached advertisement in ‘*Preeminence*’ bi-annual peer reviewed international research Journal, for the issue monthyear.

Rates for advertisement

No.	Place	Size	Amount		
			Single issue	Two issues	Five issues
1	Inner jacket (Front)	Full	INR 35000	INR 60000	INR 150000
		Half	INR 20000	INR 30000	INR 80000
2	Inner jacket (Back)	Full	INR 25000	INR 40000	INR 100000
		Half	INR 15000	INR 25000	INR 60000
3	Along with papers/articles	Full	INR 10000	INR 15000	INR 35000
		Half	INR 7000	INR 12000	INR 25000
		Quarter	INR 5000	INR 7000	INR 15000

Name.....

Organization

.....

Address.....

City/State Pin Code..... Country

Phone..... Fax..... Email.....

I enclose the payment of INR..... in favour of Secretary, **United Pnarvas Evam Samaveshan Sansthan** payable at Chitrakoot by Demand

Draft No Dated

Date

Signature

Please send the above order form, duly filled, along with Demand Draft and a copy of advertisement (hard and soft) to the following address:

The Editor

‘*PREEMINENCE*’ An International Peer Reviewed Research Journal

United Society for Rehabilitation and Inclusion

Sonalika House, Ranipur Bhatt,

Chitrakoot 210204 India

Phone: 9919061827, 9412409625, 9450167507

E-mail: usri.up@gmail.com, editor.usri@gmail.com

Website: <http://www.usri.in>

CONTENTS

Editorial / iv

- ❖ लोक साहित्य एवं राजनीतिक संस्कृति /1
डॉ.आलोक कुमार सिंह
- ❖ Reflectance properties of 1-D Superconductor Dielectric Photonic Crystal / 7
Dr. J. P. Pandey
- ❖ Emerging Challenges Before Indian Agriculture /17
Dr. Bindrawan Lal
- ❖ जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धान्त की सार्थकता लोक कल्याकारी राज्य के परिपेक्ष्य में एक अध्ययन/28
डॉ. पंकज तिवारी
- ❖ REVIEW OF LITERATURE IN PROSTHETICS & ORTHOTICS FIELD /33
Mr. Girish V Gupta and Mr. Mohit Gupta
- ❖ स्मावेशी शिक्षा की अवधारणा /37
दुर्गेश कुमार मिश्र
- ❖ धर्म, अध्यात्म एवं विकास /41
डॉ. अम्बरीश राय
- ❖ Impact of Higher Education on Women Empowerment /45
Rupali Sharma
- ❖ पर्यावरण मैत्री /51
डॉ. प्रज्ञा मिश्रा
- ❖ शिक्षा का निजीकरण— समाधान या समस्या /56
डॉ. रेनू गुप्ता
- ❖ महबुलिया /62
डॉ. राजेश कुमार पाल
- ❖ BASEL- III : A Roadmap to the Future Indian Banking System /67
Dr. Mahendra Kumar Sultaniya
- ❖ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महिलाओं की राजनीतिक जागरुकता /75
डॉ. प्रियंका सिंह
- ❖ स्वतंत्रता आन्दोलन में “उदारवाद” की भूमिका /78
प्रेमचन्द्र साहू
- ❖ आचार्य विनोबा भावे के जीवन में भक्तियोग की साधना एक विवेचन /84
संदीप ठाकरे
- ❖ समकालीन कला गुरु भवेष चन्द्र सान्याल /90
डॉ. उमाशंकर प्रसाद
- ❖ वैश्वीकरण युग में अध्यापक शिक्षा के समक्ष चुनौतियाँ एवं गुणात्मक सुधर /94
डॉ. रीना पाण्डेय
- ❖ रामायण का समाज दर्शन/100
डॉ. प्रमिला मिश्रा

- ❖ भारतीय लोकतंत्र का आधार है चुनाव सुधार /104
डॉ. सुबोध कुमार
- ❖ Reading Technological Devices For Students With Visual Impairment In Inclusive Schools Of North-Eastzone Of Delhi /113
Mr. Brijesh Kumar Rai
- ❖ Arundhati Roy's *The God of Small Things*: A Study in Cultural Ethics/121
Dr. Siddhartha Sharma
- ❖ वैदिक काल में लिंगोपासना/125
डॉ० अशोक कुमार
- ❖ धर्म एवं पर्यटन (श्री रावतपुरा सरकार के विशेष सन्दर्भ में)/129
डॉ० हरिओम बादल
- ❖ श्री रामचरित मानस में वर्णित शिक्षा की वर्तमान सन्दर्भ में उपादेयता/136
जितेन्द्र नाथ मिश्र

लोक साहित्य एवं राजनीतिक संस्कृति

डॉ.आलोक कुमार सिंह¹,

भारतीय लोक साहित्य में धर्म में और दर्शन में बहुत समन्वय है। दर्शन के वास्तविक स्वरूप के विषय में चाहें आज भी धर्म की भाँति विभिन्न मत हों जिनमें आपकी और हमारी धारणाएँ भ्रान्त हो सकती हैं किन्तु परानुभूति को स्वानुभूति में बदल देने के लिए एक भाँति का क्रमिक भागों को ही लेकर ग्रन्थों की रचना दर्शनशास्त्र में हुई है। वैसे दर्शन के दो प्रधान भेद हैं— आस्तिक और नास्तिक। नास्तिक दर्शन को लेकर 'चारु—चाकु' चार्वाक मत के प्रणेता आचार्य वृहस्पति ने जैन दर्शन में प्रसिद्ध कुन्दकुन्दाचार्य और सामन्तभद्र, सिद्धसेन, दिवाकर और हरिभद्र सूरि तथा हेमचन्दादि ने बौद्ध—दर्शन में महापान धर्म के ग्रन्थ जो संस्कृत में लिखे गये हैं—वैभाषिक, सातान्त्रिक योगाचार और माध्यमिक— इन चारों विभिन्न मतों ने जहाँ पर्याप्त रूप में लोक साहित्य के महत्व में योग दिया है। यहाँ आस्थिक दर्शन के अन्तर्गत न्याय—दर्शक, वैशेषिक—दर्शन, सांख्य—दर्शन, योग—दर्शन, मीमांसा—दर्शन और बेदान्त—दर्शन को भी लेकर आज एक अनेक पुस्तकें संस्कृत में लोक साहित्य का परिवर्द्धन करने में योग देकर उसकी महत्ता में अपूर्व योगदान कर रही हैं।

इस लोक साहित्य की प्राचीनता, व्यापकता, मौलिकता, सरसता, उपादेयता संस्था में वृद्धि होना, प्रभावोत्पादनकता, वैविध्य विषय वाली पुस्तकों का होना, उसमें रचना—सौष्टव, सभ्यता एवं राजनीतिक संस्कृति की धारा भी जिसमें अविच्छिन्न रूप से निरन्तर प्रवाहित होती रहे, इस भाँति की ओर भी अनेक बातों का समावेश होना आदि बातें इस राजनीति साहित्य की महत्ता में चार चोंद लगा रही हैं। राजनीतिक संस्कृति उद्धारक होती है तो दूसरी राजनीतिक संस्कृति विनाशकारिणी सिद्ध होती है, जो वस्तु का कार्य करती है। लोक साहित्य तो पात्र

1. सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, डी०एन०(पी०जी०) कालेज, फतेहगढ़

है। जिसमें यह रखी जाकर ग्रह-ग्रह, ग्राम-ग्राम, नगर-नगर, देश-देश तथा राष्ट्र- राष्ट्र में पहुँचाई जाती है। इसको स्थानों के व्यक्तियों के प्रशंसा के पात्र हों एवं हमारा भी जीवन वैसा होने में विश्व की दृष्टि में अनुकरणीय बन जाए। हमने इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रथम राजनीतिक संस्कृति सम्भाला है, जिसमें सब कुछ प्रथम भाग में ही रख दिया है। उसी राजनीतिक संस्कृति के पात्र लोक साहित्य को यहाँ लिया गया है। जिनकी मूल-मनोवृत्ति तो राजनीतिक भाषा के ग्रन्थों में भरी पूरी है। मूल-स्तर कैसा है इसका निर्णायक तो हमारा लोक साहित्य ही है। इस लोक साहित्य को ही लेकर इस बात की यहाँ पुष्टि की जायेगी किन्तु इस पुष्टि के पूर्व यह भी तो प्रमाणित करना होगा कि इस लोक साहित्य का इस भाँति अत्याधिक महत्व कैसे बढ़ जाता है।

लोक साहित्य का महत्व तो मकान हैं। उसके महत्व की पुष्टि में कुछ बातें यहाँ पर लिख देना आवश्यक है राजनीति साहित्य में जो लोक साहित्य शब्द प्रयुक्त किया गया है वह शब्द और धर्म के सामन्जस्य का सूचक है। वैसा अन्य किसी भाषा के साथ उतना खरा नहीं उतर सकता। वो लोक साहित्य सबसे अधिक लम्बी आयु वाला हो तथा उसका विस्तार भी एक बहुत बड़े भूखण्ड पर विस्तृत रूप से हो चुका हो। जिसका कारण उसकी धर्म सम्पत्ति, उसका रचा चातुर्य, उसकी शाश्वत रहने वाली राजनीति संस्कृति में स्थान-स्थान पर मौलिकता, स्वाभाविकता एवं पुरातनता की आभा के दर्शन में कहा है। हेनरी हड्सन के शब्दों में— “साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम से जीवन की अभिव्यक्ति है।” निष्कर्ष यह है कि साहित्य भाव सामग्री का संचित कोष है तथा उसके द्वारा समाज के मन-मानस का पोषण होता है।

साहित्य का कर्ता समाज होता है और उसके शब्दार्थ में सहित होने का भाव निहित है। साहित्य का अर्थ है— हित से युक्त होना, यथा—हितेन सहइति सहितम्, सत्य भावः, साहित्यम्, “हितं सन्निहितं तत्, सहितंरसेन युक्तम् तस्य भावः साहित्यम्।” आदि समस्त कथन इसी तथ्य के द्योतक है कि साहित्य का मूल तत्व हित साधन है। व्यक्ति ही समाज की रचना करता है और व्यक्ति ही अपने हित साधन हेतु साहित्य रचना करता है इसी प्रकार की कसौटी मूलतः शिवत्व अर्थात् सामाजिक कल्याण है— “कीरति भनिति भलि सोई। सुरसरि सम सब कहैं हित होई।”

जीवन और साहित्य की प्ररणाएँ समान होती है। वे पुरुषार्थ चतुष्टय तथा तीन ऐषणाओं अथवा जिगीषा एवं विष्मय की मूल वृत्तियों में समाहित हो जाती है। तात्पर्य यह है कि साहित्य मानव जीवन के सुख-दुःख, हर्ष-विषाद, आकर्षण, विकर्षण के ताने-बाने से निर्मित होता है और उसमें मानव की आत्मा का स्पन्दन प्रतिफलित होता है। साहित्य वस्तुतः मानव की भावनाओं, समस्याओं और

अनुभूतियों का साकार रूप है। भारतीय आचार्यों द्वारा साहित्य के मूल प्रयोजन चतुर्वर्ग की प्राप्ति, यश, अर्थ, व्यवहार, ज्ञान, आनन्द अथवा रस तत्व, उपदेश, शिवेतरक्षय तथा कलावैचरण्य एवं दुखी और श्रमित व शोक संतप्त को शान्ति प्रदान करना आदि बताए गये हैं। इनमें प्रत्येक प्रयोजन समाज-सापेक्ष है।

एक अंग्रेजी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि— Literature is the brain of humanity, अर्थात् “साहित्य मानव समाज का कार्मास्तिष्क है” अतीत के रीतिरिवाज रहन-सहन, सभ्यता-सस्कृत आदि का ज्ञान हमें साहित्य द्वारा ही प्राप्त होता है। भारत के गौरवशाली अतीत का उद्घाटन हमारे प्राचीन साहित्य ने ही किया, अन्यथा हमारे विदेशी शासक तो हम भारतीयों को बनमानुष ही तान बैठे थे। साहित्य के माध्यम से ही हम अपने पूर्वजों एवं अंग्रेजों के आदर्शों के अनुसरण की प्रेरण प्राप्त करते हैं।

स्वर्ग और पृथ्वी यदि दो हैं तो उन्हें मिलाकर एककरने का कार्य साहित्य ही करता है। बाबू गुलाब राय ने ठीक ही लिखा है कि, विश्वामित्र की भॉति साहित्यकार अपने यजमान को संदेह पहुँचाने का दावा नहीं करता, वरन् अपने योगबल से इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग की प्रतिष्ठा कर देता है। ‘किसी श्रेष्ठ वस्तु को स्वर्ग की है।’ कहकर प्रतिष्ठा देना इस लोक का अपमान है। साहित्य इसी लोक की, किन्तु असाधारण वस्तु है और उसके मूल तन्तु जीवन से ही रस ग्रहण करते हैं।

साहित्य के अन्तर्गत समाज की विभिन्न स्थितियों-परिस्थितियों और उसके आचार-विचारों एवं व्यवहारों का चित्रण रहता है। साथ ही साहित्य समाज संस्कार की प्रेरणा प्रदान करता है। हम चाहें तो कह सकते हैं कि साहित्य रचना का लक्ष्य सामाजिक यथार्थ को आदर्शवादी प्रणाली द्वारा प्रस्तुत करना है।

साहित्यकार समाज के क्रोड में ही पलता है और अपने विकास रस को वहीं से ग्रहण करता है। समाज की परिस्थितियां साहित्यकार को प्रभावित करती हैं और वह समाज से ही साहित्य सर्जना की प्रेरणा ग्रहण करता है। साहित्यकार चाहकर भी समाज के प्रभाव से नहीं बच सकता है। समाज का प्रभाव साहित्यकार और उसके साहित्य पर अनिवार्य रूप से पड़ता है। इस सन्दर्भ में डॉ० सम्पूर्णनन्द का कथन महत्वपूर्ण है— “लेखक के ऊपर परिस्थितियाँ निरन्तर अपना प्रभाव डालती हैं। लेखक उनसे बचने का प्रयत्न करे तो भी नहीं सकता है और न वह यह ही कह सकता है कि मैं अपनी घड़ी के अनुसार इतने बजे से लेकर इतने बजे तक अपनी चारों ओर की परिस्थितियों से प्रभाव ग्रहण करूँगा और इसके बाद लेखक चाहे या न चाहे परिस्थितियाँ उस पर प्रभाव डालेंगी ही। जीवन में जो क्रियाएं हो रही साहित्यकार पर उनकी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक और अनिवार्य है।

भारत एक विशाल देा है। यहाँ की भू-आकृति, जलवायु, वनस्पति आदि में तो विभिन्नता है ही, साथ ही यहां के लोगों के रहन-सहन, खान-पान, वेशभूषा, रीति-रिवाज, धर्म, भाषा आदि में भी विभिन्नता है। किंतु इन सभी भिन्नताओं के होते हुए भी भारत की संस्कृति में एक मौलिक एकता विद्यमान है।

समस्त विभिन्नताओं के होते हुए भी भारत में एक ऐसा अखंड मौलिक एकता है, जिसका ज्ञान भारत के इतिहास का गहन अध्ययन करने से प्राप्त होता है।

पंडित नेहरू के शब्दों में, “जब से सभ्यता कर सूर्योदय हुआ है तभी से भारत के मस्तिष्क पर एकता की भावना ने अधिकार कर लिया है। यह मौलिक एकता किसी प्रकार से बाहर से थोपी गई नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक एकता है और भारत की आत्मा ममें समाई हुई है।”

भौगोलिक दृष्टि से भारत सुदृढ़ प्राकृतिक सीमाओं से सुरक्षित है। इसें उत्तर में गगनचुम्बी पर्वत है। अन्य तीनों दिशाओं में अथाह समुद्र भरा हुआ है। इन प्राकृतिक सीमाओं ने एक ही देश भारत निर्माण किया है अन्य का नहीं। यहीं नहीं प्राचीन काल में भारतवासी संपूर्ण देश को भारतवर्ष के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार से भौगोलिक विभिन्नता के होते हुए उसमें एक मौलिक एकता विद्यमान है और भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है।

भारतीय संस्कृति की इस मौलिक एकता के दर्शन प्रत्येक क्षेत्र में होते हैं। चाहे वह भौगोलिक एकता हो, चाहे राजनीतिक एकता हो, धार्मिक एकता हो या फिर सांस्कृतिक एकता हो। हालांकि विभिन्नताएँ मौजूद हैं किंतु भारतीय संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता इसी विभिन्नता में एकता की है। इसीलिए सदियों से भारतीय संस्कृति मौजूद है और आगे भी अपनी इसी निरंतरता को बनाए रखेगी। भारत में विभिन्न धर्मों जैसे जैन, बौद्ध, हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई आदि के निवासी रहते हैं। अतः आदि भारत को विभिन्न धर्मों का उद्यान कहा जाए तो आश्चर्य नहीं होगा किन्तु धर्मों की यह विभिन्नता सिर्फ बाहरी है इन सभी धर्मों में एक गहरी आंतरिक एकता विद्यमान है।

भारत में प्राचीनकाल से ही विदेशी आक्रमणकारी आते रहे हैं कुछ समय बाद वे यही के होकर रह गए। भारतीय संस्कृति की यह उदारता ही है कि उसने उन सभी विभिन्न धर्मावलम्बितों को अपने में समाहित कर लिया और सभी भारतीय हो गए।

भारतीय संस्कृति की मौलिक एकता उसकी सांस्कृतिक विभिन्नता में निहित है। भारत में संस्कृत, हिन्दी, पंजाबी, बंगाली, असमिया, राजस्थानी, गुजराती, तमिल, तेलगू, कन्नड़, उर्दू आदि विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। लेकिन सर्वाधिक प्राचीन भाषा संस्कृत है। प्राचीनकाल में अधिकांश सम्राटों में अपने लेख-संस्कृत

भाषा को कम्प्यूटर विज्ञानी कम्प्यूटर के लिये सार्वधिक सरल भाषा मानते हैं। इससे भारत की संस्कृति की भाषायी एकता परिलक्षित होती है।

यहां के निवासियों में भी प्राचीनकाल से ही गहरी मौलिक एकता विद्यमान रही है। प्राचीनकाल से ही यहां आर्य, द्रविड़, यूनानी, शक, कुषाण, तुर्क, मंगोल आदि अनेक जातियां आईं परन्तु आज वे हिन्दू समाज में एक-दूसरे से इतनी घुल घुल मिल गई है कि उनका पृथक अस्तित्व समाप्त हो गया है।

विदेशी जातियों में केवल ईसाई एवं मुसलमान ही अपना पृथक अस्तित्व बनाए हुए हैं किन्तु वे भी प्राचीन हिन्दूओं की ही संतान हैं। यही कारण है कि हिन्दूओं, मुसलमानों तथा ईसाईयों अनेक रीति-रिवाजों, उत्सव-मेलों वेशभूषा आदि में समानता पाई जाती है।

भारतीय संस्कृति की यही एकता साहित्य और कला में भी दिखाई देती है। भारत की सभी भाषाओं के साहित्य में आधारभूत एकता की स्पष्ट झांकी दिखाई पड़ती है। भारत की स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला तथा नृत्य कला में भारतीयता की स्पष्ट झलक दिखाई देती है।

भारतीय संस्कृति में आंतरिक एकता तो मौजूद है ही और उसमें कोई संदेह नहीं है किन्तु भारतीय संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी सर्वधर्म समभाव की भावना और विश्व बंधुत्व है। इसने हमेशा से समस्त पृथ्वी को अपना कुटुम्ब और उसमें रह रहे लोगों को अपना परिवारिक सदस्य माना है। इस श्लोक में भारतीय संस्कृति की उपर्युक्त विशेषता परिलोक में भारतीय संस्कृति की उपर्युक्त विशेषता परिलक्षित होती है।

अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम्
उदारचरितानाम् तु वसुधैव कुटुम्बकम्।।

उपर्युक्त श्लोक का अर्थ है कि “यह मेरा है यह पराया है की गणना छोटे हृदय वाले करते हैं। उदाहर चरित्र वाले व्यक्ति के लिए जो संपूर्ण पृथ्वी ही कुटुम्ब की तरह है।”

1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानन्द ने इस विश्व सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। जहां सभी देशों के प्रतिनिधि अपने-अपने देश के धर्मों की विशेषता का बखान करने में लगे हुए थे वहीं स्वामी विवेकानन्द ने एक ऐसे धर्म का बखान किया जो धर्मों को अपने अन्दर समेट लेने की क्षमता से परिपूर्ण था। कहने का तात्पर्य है कि उनका धर्म मानवता का धर्म था जो सर्वधर्म समभाव की भावना से युक्त था और सभी मनुष्यों की समानता पर बल देने वाला था। उनके इस भाषण को विश्व भर में सराहा गया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता अनेकता में एकता और सर्वधर्म समभाव है। प्राचीनकाल से वर्तमान तथा अनेक थपेड़ों को सहते हुए भारतीय संस्कृति आज भी उसी मजबूती से स्थापित है। वस्तुतः यह संस्कृति भारतवर्ष की आत्मा है।

सन्दर्भ—

1. लिप्सेट, एस0एन0—पोलिटिकल मैन।
2. मिल्स, सी0 राइट—द पावर एलाइट।
3. बेवर, मैक्स—समाज शास्त्र में निबन्ध।
4. पैरटो, माइन्ड एण्ड सोसाइटी।
5. बैन्डिक्स—क्लास स्टेटस एण्ड पावर।
6. आमण्ड एण्ड वावेल—कम्प्रेटिव पालिटिक्स।
7. लुसियन डब्ल्यू पाई—आस्पेक्टस आफ पोलिटिकल डेवेलपमेण्ट।
8. एलन आर0 बाल—माडर्न पालिटिक्स एण्ड गवर्नमेण्ट।

Reflectance properties of 1-D Superconductor Dielectric Photonic Crystal

Dr. J. P. Pandey¹

Abstract:

The dispersion, reflectance and transmittance spectrum of 1-D superconductor-dielectric periodic multilayer structure are theoretically investigated for a stratified medium by using the transfer matrix method (TMM) method. This study of reflectance and transmittance at different angles of incidence and temperatures show the filtering properties in superconductor-dielectric photonic crystal.

Introduction:

Superconductivity was first observed in mercury in 1911 by Dutch physicist Heike Kamerlingh Onnes of Leiden University. The materials, which offer no resistance to the flow of electricity, was called superconducting materials. These are one of the last great frontiers of scientific discovery. In subsequent decades, other superconducting metals, alloys and compounds were discovered. In 1941, Niobium-Nitride was found to superconduct at 16K. In 1953, Vanadium-Silicon displayed superconducting properties at 17.5K and, in 1962, the first commercial superconducting wire and alloy of Niobium and Titanium was developed by scientists at Westinghouse. Additional milestones have been achieved by using exotic- and toxic- elements in the base perovskite ceramics.

The transmission properties of a high critical temperature superconductor-dielectric PC was studied by Yaw [1] in 2002. He observed that superconductivity can be rapidly quenched with an incident electromagnetic field above some critical intensity and the superconductivity is restored when the radiation intensity is reduced below the critical value. Also, superconductor undergoes a change in optical properties in term of index of refraction, dielectric function, dispersion relation, transmittance and reflectance *etc.* as the transition is made between the superconducting (S) and normal state (N), though the degree to which the dielectric function differ between the S-state to N-state varies with normalized frequency.

1. Department of Physics, M L K P G College, Balrampur (UP)

Preeminence: An international peer reviewed research journal, ISSN: 2249 7927, Vol. 6, No. 1 /Jan-June. 2016

Various reports [2-7] show the study of photonic crystals consisting of a superconducting material and a dielectric. The size of the gap is characterized by polarization, penetration depth, and highly dependent on temperature at the vicinity of superconducting transition temperature. The analysis shows that the property of thin photonic crystals may have application in optical region if extremely low relaxation time superconductor is used. This may be asset for superconducting electronics-photonics integration [5-7].

Feng *et al.* [8] investigated the tunable negative refraction in the lowest band of a 2-D PC incorporating the superconductor constituents. Ricci *et al.* [9] has examined experimentally the properties of a low loss super conducting materials. The issue of a super conducting photonic crystal was first investigated by a group in Singapore [3]. They have considered 1-D superconductor/dielectric super lattices by making use of the TMM [10].

Recently, Wu *et al.* [6] calculated the full band structure in the TE mode for a 1-D superconductor dielectric super lattice. They observed the three lowest band gaps as a function of penetration depth of superconductor, permittivity of dielectric and angle of incidence respectively.

A full band structure of superconductor-dielectric periodic structure is an important means for understanding the fundamental physics about electromagnetic wave propagation characteristics in a superconducting photonic crystal. This information is not only fundamental but also of technical use of super conducting material. The findings of ref. [11-13] are extended in this paper.

In this communication, the optical properties of PCs with super conducting constituent are studied for a stratified medium. The dispersion relation, reflectance and transmittance spectrum of superconductor-dielectric 1-D periodic multilayer structure are calculated based on the transcendental equations derived from transfer matrix method and Bloch theorem. This study shows the filtering properties in superconductor-dielectric 1-D photonic crystal.

Mathematical Formulation:




Figure 1. Schematic presentation of superconductor/dielectric periodic structure.

The refractive index profile of the above structure is given as,

$$n(x) = \begin{cases} n_1, & 0 < x < d_1 \\ n_2, & d_2 < x < d \end{cases}$$

- (1) with $n(x) = n(x + d)$ where n_1, n_2 are the refractive indices of the superconductor and dielectric materials. The electric field $E(x)$ in the m^{th} unit cell can be written as

$$E(x) = \begin{cases} a_m e^{-ik_1(x-md)} + b_m e^{ik_2(x-md)}; & (md - d_1) < x < md \\ c_m e^{-ik_2(x-md+d_1)} + d_m e^{ik_2(x-md+d_1)}; & (m-1)d < x < (md - d_1) \end{cases},$$

- (2) where

$$k_1 = \left[\left(\frac{\omega}{c} n_1 \right)^2 - \beta^2 \right]^{1/2} = \frac{n_d \omega}{c} \cos \theta_1, \quad k_2 = \left[\left(\frac{\omega}{c} n_2 \right)^2 - \beta^2 \right]^{1/2} = \frac{n_s \omega}{c} \cos \theta_2$$

- (3) For the superconductor, the index of refraction can be described on the basis of the conventional two fluid models [14-15]. This model is used to describe the electromagnetic behavior of superconductor at non-zero temperature. Normally, the conductivity of the superconductor is complex. With some approximations (lossless), the complex conductivity of a superconductor approximates to

$$\sigma(\omega) = \frac{-i e^2 n_s}{m \omega}$$

- (4) only when the conduction $n_n \tau < i n_s / \omega$ is satisfied. Where $\sigma(\omega)$ is the conductivity of the superconductor, e and m are the charge and mass of electron respectively, n_s is the density of electron and ω is the frequency of external electromagnetic wave. The approximation condition can be found in Ref. [2]. The conductivity equation (4) can be expressed in terms of London-penetration

depths λ_L , since

$$\lambda_L^2 = \frac{m}{\mu_0 n_s e^2}$$

- (5) (5a) So that
- $$\sigma(\omega) \approx -\frac{i}{\mu_0 \omega \lambda_L^2}$$

- (5b) From the Gorter-Casimir result [14, 17], $\frac{n_s}{n_n} = \left(\frac{T_c}{T} \right)^4 - 1$ and the London-

penetration depth,

$$\lambda_L(T) = \frac{\lambda_L(0)}{\sqrt{1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^4}}$$

(6) where the conductivity equation (5b) is temperature dependent. In the superconductor layer, with no external source current and charge, the Maxwell's equation becomes - $\vec{\nabla}^2 \vec{B} + k_1^2 \vec{B} = 0$

(7) By substituting equation (5),
$$k_1^2 = \left(\frac{\omega^2}{c^2} - \frac{1}{\lambda_L^2} \right)$$

(8) Then, from Snell's law, the length of the tangential wave vector k_{1x} (parallel to the dielectric superconductor interface) is conserved. That is $k_{1y} = \frac{\omega}{c} \sin \theta = \beta$,

where θ is the angle of incident (relative to normal of interface) of the electromagnetic wave as vacuum. Then, the frequency dependent normal vector

is $k_{1x} = \sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} \cos^2 \theta - \frac{1}{\lambda_L^2}} = \frac{\omega}{c} n_1(\omega)$ (9) where

$$n_1(\omega) = \sqrt{\cos^2 \theta - \frac{c^2}{\omega^2} \frac{1}{\lambda_L^2}}$$
 In the dielectric layer, with no external source

current and charge, the Maxwell's equation becomes $\vec{\nabla}^2 \vec{B} + k_2^2 \vec{B} = 0$

(10) From equation

(11) and Snell's law, we have $k_2^2 = \epsilon \frac{\omega^2}{c^2}$ or

$$k_{2x}^2 = \epsilon \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\omega^2}{c^2} \sin^2 \theta = \frac{\omega^2}{c^2} (\epsilon - \sin^2 \theta) \quad \text{or} \quad k_{2x} = \frac{\omega}{c} n_2 \quad (11) \quad \text{where}$$

$$n_2 = \sqrt{\epsilon - \sin^2 \theta}$$

According to transfer matrix method, the characteristic matrix corresponding to one period is as follows

$$m(d) = \begin{pmatrix} m_{1,1} & m_{1,2} \\ m_{2,1} & m_{2,2} \end{pmatrix}$$

(12) Where
$$m_{1,1} = \cos(k_{1x} d_1) \cos(k_{2x} d_2) - \frac{p_2}{p_1} \sin(k_{1x} d_1) \sin(k_{2x} d_2)$$

$$m_{1,2} = \frac{i}{p_2} \cos(k_{1x} d_1) \sin(k_{2x} d_2) + \frac{i}{p_1} \sin(k_{1x} d_1) \cos(k_{2x} d_2)$$

$$m_{2,1} = ip_1 \sin(k_{1x} d_1) \cos(k_{2x} d_2) + ip_2 \cos(k_{1x} d_1) \sin(k_{2x} d_2)$$

$$m_{2,2} = \cos(k_{1x} d_1) \cos(k_{2x} d_2) - \frac{p_1}{p_2} \sin(k_{1x} d_1) \sin(k_{2x} d_2)$$

where $k_i = \frac{\omega}{c} n_i \cos \theta_i$ and $p_i = \frac{n_i}{Z_0} \cos \theta_i$ (TE), $p_i = \frac{1}{Z_0 n_i} \cos \theta_i$ (TM)

with $i = 1, 2$ and impedance $Z_0 (= \sqrt{\mu_0} / \sqrt{\epsilon_0})$ of free space. The total characteristic matrix for the N-period structure can be obtained,

$$M(Nd) = [m(d)]^N = \begin{pmatrix} M_{1,1} & M_{1,2} \\ M_{2,1} & M_{2,2} \end{pmatrix}$$

(13) where $M_{1,1} = m_{11} U_{N-1} - U_{N-2}$, $M_{1,2} = m_{12} U_{N-1}$, $M_{2,1} = m_{21} U_{N-1}$, $M_{2,2} = m_{22} U_{N-1} - U_{N-2}$

$m_{i,j}$ are the characteristic matrix of equation (13) and U_N is the Chebyshev polynomial of second kind defined by

$$U_N = \frac{\sin[(N+1)K(\omega)d]}{\sin(K(\omega)d)} \quad (14) \text{ The dispersion relation can be}$$

found as

$$K(\omega) = \frac{1}{d} \cos^{-1} \left[\cos(k_{1x} d_1) \cos(k_{2x} d_2) - \frac{1}{2} \left(\frac{p_1}{p_2} + \frac{p_2}{p_1} \right) \sin(k_{1x} d_1) \sin(k_{2x} d_2) \right]$$

(15) The reflection and transmission coefficients can be determined and are given by

$$r = \frac{(M_{1,1} + M_{1,2} p_s) p_0 - (M_{2,1} + M_{2,2} p_s)}{(M_{1,1} + M_{1,2} p_s) p_0 + (M_{2,1} + M_{2,2} p_s)}$$

$$t = \frac{2 p_0}{(M_{1,1} + M_{1,2} p_s) p_0 + (M_{2,1} + M_{2,2} p_s)}$$

(16) Here p_0 and p_s are for the first and last medium of the structure, which are

$$\text{given as } p_0 = \frac{n_0 \cos \theta_0}{Z_0}, p_s = \frac{n_s \cos \theta_s}{Z_0} \text{ (TE) and impedance}$$

$Z_0 (= \sqrt{\mu_0} / \sqrt{\epsilon_0})$ of free space. In this case, $n_0 = n_s = 1.0$ for the free space. The reflectance (R) and transmittance (T) for superconductor/dielectric

$$\text{photonic crystal are related by } R = |r|^2 \text{ and } T = \frac{p_s}{p_0} |t|^2 \quad (17)$$

The expressions of the reflectivity for N^{th} layers of the structure is given

$$|R_N|^2 = \frac{|M_{2,1}|^2}{|M_{2,1}|^2 + \left(\frac{\sin K(\omega)d}{\sin NK(\omega)d} \right)^2}$$

(18) where N is the total number of unit cells (i.e. number of pairs of layers).

Results and Discussion:

Here, $T_c=10\text{K}$ is taken with penetration depth as 60nm for superconducting material and the refractive index of dielectric material is $\sqrt{15}$ in the considered PC. The thicknesses of the superconductor and dielectric materials are $2d/3$ and $d/3$ respectively with $d=1, 2$ where d is the total thickness of the unit cell of the superconductor-dielectric materials.


Generally, the refractive index of the superconductor is temperature dependent, but here, $T=5.5\text{K}$ is taken which is below the critical temperature (T_c). The substrate is supposed to be air having refractive index 1.0. The material is considered to be linear, homogeneous, non-absorbing and with no optical activity when the electromagnetic wave is incident. The band structure, reflectance and transmittance versus normalized frequency range of the structure are plotted for $N=10$, where N is the total number of the period. These variations are shown at the different angles of incidence for the electromagnetic spectrum. The band structures are investigated by calculating $\cos(Kd)$ term of the structure. The allowed or forbidden gaps of $\cos(Kd)$ of the structure has also been calculated for the transmittance and reflectance.

The band structure, reflectance and transmittance at zero angle of incidence is shown in figure 2(a). A broad band gap is found in the range of 0.15 to 0.34 of the normalized frequency. The reflectance is found 100% in the range of 0.15 to 0.34 of the normalized frequency. Such property can be applied to make a reflector which can be used in low temperature region. It is also seen that the band structure and reflectance for the periodic layers are same due to Bragg reflection inside the interfaces of the periodic layers.


The same calculations are made at the angles of incidences 30° , 60° and 85° for the same structure. These calculations are done at different angles of incidence 30° , 60° and 85° and are shown in figures 2(b), 2(c) and 2(d) respectively. From the study of figures, it is observed that the band structures and reflectance/transmittance of the given structure are same. The range of band gaps and reflectance/transmittance of the given structure increases with the increase in angle of incidence. But the band structures and reflectance/transmittance of the considered structure are shifted towards the higher frequency range. Such shifting properties of the band gaps and reflectance's of the periodic structure are due to the property of the Bragg gaps.

From above study, it can be seen that the superconductor-dielectric photonic crystal may be used as broad band reflector and omnidirectional reflector at low temperatures below to the critical temperature. Such property may be applied to make the reflector which can be used in low temperature region.


(a)



(b)



(c)



(d)




Figure 2: Dispersion relation, Reflectance and Transmittance of the considered structure at an angle of incidence (a) 0° (b) 30° (c) 60° and (d) 85° .

References:

1. R.N.Yaw "Transmission properties of a high critical temperature superconductor/dielectric multilayer photonic band gap", Huntsvill, Alabama, 2002
2. W.M. Lee, P.M. Hui and D. Stroud, "Propagating photonic modes below the gap in a superconducting composite", *Phys. Rev. B*, **51**, 8634-8637, April, 1995.
3. C.H. Raymond Oai, T.C. Anyeung, C.H. Kam and T.K. Lim, *Phys. Rev. B*, **61**, 5920, 2000; F. Abbas, "Propagation in a multilayer structure of superconductor and dielectric", *Physica C*, **254**, 291-306, June, 1995.

4. Y.B. Chen, C. Zhang, Y. Zhu. S. Zhu and N. Ming, "Tunable photonic crystals with superconducting constituents", *Mat. Lett.*, **55**, 12-16, July, 2002.
5. H. Takeda and K. Yoshino, "Tunable photonic band schemes in two-dimensional photonic crystals composed of copper oxide high-temperature superconductors", *Phys. Rev. B*, **67**, 245109-6, June, 2003.
6. C. J. Wu, M. S. Chen and T. J. Yang, "Photonic band structure for superconductor-dielectric superlattices", *Physica C*, **432**, 133-139, Sept., 2005; C. J. Wu, "Transmission and reflection in a periodic superconductor/dielectric film multilayer structure", *J. Electromagnetic wave and Applications*, **19**, 1991-1996, 2005; C. J. Wu, "Transmission and reflection in a periodic superconductor/dielectric film multilayer structure", *PIER Symposium-2005*, China, Aug., 2005.
7. H. Takeda and K. Yashino, "Properties of Abrikosov lattices as photonic crystals", *Phys. Rev. B*, **70**, 085109-5, 2004.
8. L. Feng, X. P. Liu, J. Ren, Y. F. Tang, Y. B. Chen and Y. F. Chen, "Tunable negative refraction in two dimensional photonic crystals with superconducting constituents", *J. Appl. Phys.*, **97**, 073104-5, March, 2005.
9. M. Ricci *et al*, Superconducting metamaterials, *Appl. Phys. Lett.*, **87**, 034102-3, July, 2005.
10. Huang-Ming Lee and Jong-Ching Wu, "Transmittance spectra in one-dimensional superconductor-dielectric photonic crystal" *J. Appl. Phys.* **107**, 09E149, 2010.
11. G.N. Pandey, Khem B. Thapa and S.P. Ojha' "Omni directional reflectance properties of superconductor-dielectric photonic crystal" *Optik - International Journal for Light and Electron Optics*, Volume **125**, Issue 1, Pages 252–256, January 2014.
12. Chun-Li Liu, Hai-Feng Zhang, Yu-Qing Chen, "Enlarged the omnidirectional Bragg gap by one-dimensional superconductor-dielectric photonic crystals with ternary Thue–Morse aperiodic structure" *Optik - International Journal for Light and Electron Optics*, volume **124**, Issue 22 , Pages 5811-5817, 2013.
13. M. Upadhyay, S. K. Awasthi, L. Shiveshwari, P. K. Srivastava, S. P. Ojha, "Thermally Tunable Photonic Filter for WDM Networks Using 1D Superconductor Dielectric Photonic Crystals" *Journal of Superconductivity and Novel Magnetism*, Volume **28**, Issue 8, pp 2275-2280, 2015.

14. P. Yeh, *"Optical waves in layered media"*, John Willey and Sons, New York, Chapter 6, 1988.
15. M. Born and E. Wolf, *"Principle of Optics"*, Pergmon Press, Oxford, 1965.
K. Sakoda, *"Optical properties of photonic crystals"*, Springer Verlag Germany, 2001.

Emerging Challenges Before Indian Agriculture

Dr.Bindrawan Lal¹

Introduction:

Agriculture is different from industry and plays a significant role in the economic development of a nation. India's prosperity depends upon the agricultural prosperity. There are many kinds of agricultural products produced in India. Agriculture has been the backbone of the Indian economy and it will continue to remain so for a long time. It has to support almost 17 per cent of world population from 2.3 per cent of world geographical area and 4.2 per cent of world's water resources. The economic reforms, initiated in the country during the early 1990s, have put the economy on a higher growth trajectory. Annual growth rate in GDP has accelerated mainly due to rapid growth in non-agriculture sector. There are many problems faced by Indian agriculture. One of the excluded sectors during the reform period was agriculture which showed low growth and experienced more farmers' suicides. There are serious concerns on the performance of agriculture sector in the country. The post-reform period growth was led by services. The commodity sector growth (agriculture +industry) has not been higher in the post-reform periods compared to that of 1980s. Particular worry is the agriculture sector which showed lower than 2% per annum growth during the previous decade. Also, there is a disconnect between employment growth and GDP growth. In other words, employment is not generated in industry and services where growth is high. On the other hand, GDP growth is low in agriculture where majority of people are employed. In this research paper we would highlighted the various problems of Indian agriculture sector; such as small and fragmented land holdings, lack of quality seeds, Manures, Fertilizers and Biocides, lack of irrigation facility, Lack of mechanization, Soil erosion, agriculture marketing, Inadequate storage facilities, inadequate transport facility and Scarcity of capital etc.

1. Associate Professor, M.K.Govt Degree College, Ninowa, Farrukhabad U.P.

Some of the major problems and their possible solutions have been discussed as follows. Indian agriculture is plagued by several problems; some of them are natural and some others are manmade.

1. Small and fragmented land-holdings:

Table 1-All India proportion of households of different social groups possessing upto 1 hectare of land (percent) and proportion of non agriculture households by major source of income (Rural) (percent)

Social group s	Size class of land possessed(Hectare up to 0.40				Size class of land possessed(Hectare up to 1.00				Proportion of non agriculture households%			
	1993	1999	2004	2009	1993	1999	2004	2009	1993	1999	2004	2009
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1994	2000	2005	2010	1994	2000	2005	2010	1994	2000	2005	2010
ST	43.2	46.3	46.4	56.7	64.6	70.6	70.3	76.5	24.2	24.2	26.6	29.6
SC	71.7	75.0	74.9	81.0	86.6	89.7	89.6	92.1	30.6	32.2	39.3	46.1
OBC	-	56.5	56.0	62.7	-	76.7	75.5	79.4	-	36.1	39.0	42.6
Other s	49.1	52.5	52.5	58.1	68.6	71.2	71.0	75.1	33.4	39.8	41.1	44.7
ALL	53.2	58.1	58.2	64.8	72.0	77.7	76.9	80.8	31.9	35.1	38.3	42.5

The seemingly abundance of net sown area of 141.2 million hectares and total cropped area of 189.7 million hectares (1999-2000) pales into insignificance when we see that it is divided into economically unviable small and scattered holdings. Size class of land possessed(Hectare up to 0.40 in 1993-1994 is 53.2 percent while it was 64.8 percent in 2009-2010 respectively. Size class of land possessed Hectare up to 1.00 was 72 percent in 1993-1994 and it was 80.8 percent in 2009-2010.

The problem of small and fragmented holdings is more serious in densely populated and intensively cultivated states like Kerala, West Bengal, Bihar and eastern part of Uttar Pradesh where the average size of land holdings is less than one hectare and in certain parts it is less than even 0.4 hectare.

Rajasthan with vast sandy stretches and Nagaland with the prevailing 'Jhoom' (shifting agriculture) have larger average sized holdings of 4 and 7.15 hectares respectively. States having high percentage of net sown area like Punjab, Haryana, Maharashtra, Gujarat, Karnataka and Madhya Pradesh have holding size above the national average.

The main reason for this sad state of affairs is our inheritance laws. The land belonging to the father is equally distributed among his sons. This distribution of land does not entail a collection or consolidated one, but its nature is fragmented.

Different tracts have different levels of fertility and are to be distributed accordingly. If there are four tracts which are to be distributed between two sons, both the sons will get smaller plots of each land tract. In this way the holdings become smaller and more fragmented with each passing generation.

Sub-division and fragmentation of the holdings is one of the main causes of our low agricultural productivity and backward state of our agriculture. A lot of time and labour is wasted in moving seeds, manure, implements and cattle from one piece of land to another.

Irrigation becomes difficult on such small and fragmented fields. Further, a lot of fertile agricultural land is wasted in providing boundaries. Under such circumstances, the farmer cannot concentrate on improvement.

The only answer to this ticklish problem is the consolidation of holdings which means the reallocation of holdings which are fragmented, the creation of farms which comprise only one or a few parcels in place of multitude of patches formerly in the possession of each peasant.

But unfortunately, this plan has not succeeded much. Although legislation for consolidation of holdings has been enacted by almost all the states, it has been implemented only in Punjab, Haryana and in some parts of Uttar Pradesh.

2. Seeds:

Seed is a critical and basic input for attaining higher crop yields and sustained growth in agricultural production. Distribution of assured quality seed is as critical as the production of such seeds. Unfortunately, good quality seeds are out of reach of the majority of farmers, especially small and marginal farmers mainly because of exorbitant prices of better seeds.

In order to solve this problem, the Government of India established the National Seeds Corporation (NSC) in 1963 and the State Farmers Corporation of India (SFCI) in 1969. Thirteen State Seed Corporations (SSCs) were also established to augment the supply of improved seeds to the farmers.

High Yielding Variety Programme (HYVP) was launched in 1966-67 as a major thrust plan to increase the production of food grains in the country.

The Indian seed industry had exhibited impressive growth in the past and is expected to provide further potential for growth in agricultural production: The role of seed industry is not only to produce adequate quantity of quality seeds but also to achieve varietal diversity to suit various agro-climatic zones of the country.

The policy statements are designed towards making available to the Indian farmer, adequate quantities of seed of superior quality at the appropriate time and place and at an affordable price so as to meet the country's food and nutritional security goals.

Indian seeds programme largely adheres to limited generation system for seed multiplication. The system recognises three kinds of generation, namely breeder, foundation and certified seeds. Breeder seed is the basic seed and first stage in seed

production. Foundation seed is the second stage in seed production chain and is the progeny of breeder seed.

Certified seed is the ultimate stage in seed production chain and is the progeny of foundation seed. Production of breeder and foundation seeds and certified seeds distribution has gone up at an annual average rate of 3.4 per cent, 7.5 per cent and 9.5 per cent respectively, between 2001-02 and 2005-06).

3. Manures, Fertilizers and Biocides:

Indian soils have been used for growing crops over thousands of years without caring much for replenishing. This has led to depletion and exhaustion of soils resulting in their low productivity. The average yields of almost all the crops are among the lowest in the world. This is a serious problem which can be solved by using more manures and fertilizers.

Manures and fertilizers play the same role in relation to soils as good food in relation to body. Just as a well-nourished body is capable of doing any good job, a well nourished soil is capable of giving good yields. It has been estimated that about 70 per cent of growth in agricultural production can be attributed to increased fertilizer application.

Thus increase in the consumption of fertilizers is a barometer of agricultural prosperity. However, there are practical difficulties in providing sufficient manures and fertilizers in all parts of a country of India's dimensions inhabited by poor peasants. Cow dung provides the best manure to the soils.

But its use as such is limited because much of cow dung is used as kitchen fuel in the shape of dung cakes. Reduction in the supply of fire wood and increasing demand for fuel in the rural areas due to increase in population has further complicated the problem. Chemical fertilizers are costly and are often beyond the reach of the poor farmers. The fertilizer problem is, therefore, both acute and complex.

It has been felt that organic manures are essential for keeping the soil in good health. The country has a potential of 650 million tonnes of rural and 160 lakh tonnes of urban compost which is not fully utilized at present. The utilization of this potential will solve the twin problem of disposal of waste and providing manure to the soil.

The government has given high incentive especially in the form of heavy subsidy for using chemical fertilizers. There was practically no use of chemical fertilizers at the time of Independence. As a result of initiative by the government and due to change in the attitude of some progressive farmers, the consumption of fertilizers increased tremendously.

In order to maintain the quality of the fertilizers, 52 fertilizer quality control laboratories have been set up in different parts of the country. In addition, there is one Central Fertilizer Quality Control and Training Institute at Faridabad with its three regional centers at Mumbai, Kolkata and Chennai.

Pests, germs and weeds cause heavy loss to crops which amounted to about one third of the total field produce at the time of Independence. Biocides (pesticides, herbicides and weedicides) are used to save the crops and to avoid losses. The increased use of these inputs has saved a lot of crops, especially the food crops from unnecessary wastage. But indiscriminate use of biocides has resulted in wide spread environmental pollution which takes its own toll.

4. Irrigation:

Although India is the second largest irrigated country of the world after China, only one-third of the cropped area is under irrigation. Irrigation is the most important agricultural input in a tropical monsoon country like India where rainfall is uncertain, unreliable and erratic India cannot achieve sustained progress in agriculture unless and until more than half of the cropped area is brought under assured irrigation.

This is testified by the success story of agricultural progress in Punjab Haryana and western part of Uttar Pradesh where over half of the cropped area is under irrigation! Large tracts still await irrigation to boost the agricultural output.

However, care must be taken to safeguard against ill effects of over irrigation especially in areas irrigated by canals. Large tracts in Punjab and Haryana have been rendered useless (areas affected by salinity, alkalinity and water-logging), due to faulty irrigation. In the Indira Gandhi Canal command area also intensive irrigation has led to sharp rise in sub-soil water level, leading to water-logging, soil salinity and alkalinity.

5. Lack of mechanization:

In spite of the large scale mechanization of agriculture in some parts of the country, most of the agricultural operations in larger parts are carried on by human hand using simple and conventional tools and implements like wooden plough, sickle, etc. Little or no use of machines is made in ploughing, sowing, irrigating, thinning and pruning, weeding, harvesting threshing and transporting the crops. This is specially the case with small and marginal farmers. It results in huge wastage of human labour and in low yields per capita labour force.

There is urgent need to mechanize the agricultural operations so that wastage of labour force is avoided and farming is made convenient and efficient. Agricultural implements and machinery are a crucial input for efficient and timely agricultural operations, facilitating multiple cropping and thereby increasing production.

Some progress has been made for mechanizing agriculture in India after Independence. Need for mechanization was specially felt with the advent of Green Revolution in 1960s. Strategies and programmes have been directed towards replacement of traditional and inefficient implements by improved ones, enabling the farmer to own tractors, power tillers, harvesters and other machines.

A large industrial base for manufacturing of the agricultural machines has also been developed. Power availability for carrying out various agricultural operations has

been increased to reach a level of 24 kW per hectare in 2009-10 from only 0.3 kW per hectare in 1971-72.

This increase was the result of increasing use of tractor, power tiller and combine harvesters, irrigation pumps and other power operated machines. The share of mechanical and electrical power has increased from 40 per cent in 1971 to 88 per cent in 2009-10.

Uttar Pradesh recorded the highest average sales of tractors during the five year period ending 2003-04 and West Bengal recorded the highest average sales of power tillers during the same period.

Strenuous efforts are being made to encourage the farmers to adopt technically advanced agricultural equipments in order to carry farm operations timely and precisely and to economize the agricultural production process.

6. Soil erosion:

Large tracts of fertile land suffer from soil erosion by wind and water. This area must be properly treated and restored to its original fertility.

7. Agricultural Marketing:

Agricultural marketing still continues to be in a bad shape in rural India. In the absence of sound marketing facilities, the farmers have to depend upon local traders and middlemen for the disposal of their farm produce which is sold at throw-away price.

In most cases, these farmers are forced, under socio-economic conditions, to carry on distress sale of their produce. In most of small villages, the farmers sell their produce to the money lender from whom they usually borrow money.

According to an estimate 85 per cent of wheat and 75 per cent of oil seeds in Uttar Pradesh, 90 per cent of Jute in West Bengal, 70 per cent of oilseeds and 35 per cent of cotton in Punjab is sold by farmers in the village itself. Such a situation arises due to the inability of the poor farmers to wait for long after harvesting their crops.

In order to meet his commitments and pay his debt, the poor farmer is forced to sell the produce at whatever price is offered to him. The Rural Credit Survey Report rightly remarked that the producers in general sell their produce at an unfavorable place and at an unfavorable time and usually they get unfavorable terms.

In the absence of an organized marketing structure, private traders and middlemen dominate the marketing and trading of agricultural produce. The remuneration of the services provided by the middlemen increases the load on the consumer, although the producer does not derive similar benefit.

Many market surveys have revealed that middlemen take away about 48 per cent of the price of rice, 52 per cent of the price of groundnuts and 60 per cent of the price of potatoes offered by consumers.

In order to save the farmer from the clutches of the money lenders and the middle men, the government has come out with regulated markets. These markets generally introduce a system of competitive buying, help in eradicating malpractices, ensure

the use of standardized weights and measures and evolve suitable machinery for settlement of disputes thereby ensuring that the producers are not subjected to exploitation and receive remunerative prices.

8. Inadequate storage facilities:

Storage facilities in the rural areas are either totally absent or grossly inadequate. Under such conditions the farmers are compelled to sell their produce immediately after the harvest at the prevailing market prices which are bound to be low. Such distress sale deprives the farmers of their legitimate income.

The Parse Committee estimated the post-harvest losses at 9.3 per cent of which nearly 6.6 per cent occurred due to poor storage conditions alone. Scientific storage is, therefore, very essential to avoid losses and to benefit the farmers and the consumers alike.

At present there are number of agencies engaged in warehousing and storage activities. The Food Corporation of India (F.C.I.), the Central Warehousing Corporation (C.W.C.) and State Warehousing Corporation are among the principal agencies engaged in this task. These agencies help in building up buffer stock, which can be used in the hour of need. The Central Government is also implementing the scheme for establishment of national Grid of Rural Godowns since 1979-80.

This scheme provides storage facilities to the farmers near their fields and in particular to the small and marginal farmers. The Working Group on additional storage facilities in rural areas has recommended a scheme of establishing a network of Rural Storage Centers to serve the economic interests of the farming community.

9. Inadequate transport:

One of the main handicaps with Indian agriculture is the lack of cheap and efficient means of transportation. Even at present there are lakhs of villages which are not well connected with main roads or with market centres.

Most roads in the rural areas are Kutcha (bullock- cart roads) and become useless in the rainy season. Under these circumstances the farmers cannot carry their produce to the main market and are forced to sell it in the local market at low price. Linking each village by metalled road is a gigantic task and it needs huge sums of money to complete this task.

10. Scarcity of capital:

Agriculture is an important industry and like all other industries it also requires capital. The role of capital input is becoming more and more important with the advancement of farm technology. Since the agriculturists' capital is locked up in his lands and stocks, he is obliged to borrow money for stimulating the tempo of agricultural production.

The main suppliers of money to the farmer are the money-lenders, traders and commission agents who charge high rate of interest and purchase the agricultural produce at very low price. All India Rural Credit Survey Committee showed that in 1950-51 the share of money lenders stood at as high as 68.6 per cent of the total

rural credit and in 1975-76 their share declined to 43 per cent of the credit needs of the farmers.

This shows that the money lender is losing ground but is still the single largest contributor of agricultural credit. Rural credit scenario has undergone a significant change and institutional agencies such as Central Cooperative Banks, State Cooperative Banks, Commercial Banks, Cooperative Credit Agencies and some Government Agencies are extending loans to farmers on easy terms.

Agriculture credit – major concerns

In the 12 year period from 2000-01 to 2011-12, the flow of ground level credit has increased impressively, especially after the ‘doubling period’ (2004-07), showing almost a 10 fold increase! Around 28 lakh crore have been disbursed during the 12 years and in the next 5 years of 12 th FYP, another 35 to 42 lakh crore are expected to be invested (12 th Five Year Plan Estimates). Clearly, agriculture credit has emerged as a major strategy for accelerating investments in agriculture. Out of roughly 14 crore farm households, only half are covered by formal banking institutions, leaving the remaining to informal sources or for self financing. Though growth in agricultural credit is very high in nominal terms, in real terms, it looks ‘modest’ - especially for the later period 2007-08 to 2010-11. This is true for both long term as well as short term credit. Obviously, the later period inflation has taken off some of the sheen in the credit growth.

Recommendations:

Following are the key recommendations as a ‘way forward’ to ensure higher and inclusive growth in Indian agriculture. Although all these recommendations are important, the first four demand immediate attention.

1. Increasing agricultural productivity is a key challenge for ensuring national food security. To increase production, exploiting the potential of existing yield gaps offers a tremendous opportunity. Hence, a Mission Mode Program on “Bridging the Productivity Gap” with real missionary zeal and effective monitoring is required to be launched with meticulous planning as a matter of priority. For this, attention to agriculture in science policy is needed, and the existing technology dissemination and input supply system needs to be revitalized and tuned to meet the emerging needs of farmers. Special emphasis on seed sector, input use efficiency, financial and insurance institutions and a paradigm shift in technology transfer mechanisms involving both the private sector and NGOs would be critical in achieving the desired goals.

2. Rain fed areas have a huge potential to raise production and increase farm income. These grey areas can soon be made green to harness a second green revolution. Role of technologies, policies and infrastructure would be very important in realizing the potential of rain fed agriculture. In this context, it has to be ensured that public policies and technologies have appropriate synergies to move forward. The initiative of the government to establish the ‘Rain fed Authority of India’ is a

welcome step. However, this Authority needs a proper policy framework, legal and funding supports as well as empowerment for effective coordination and monitoring of all rain fed related programs run by various Ministries/Departments. The sooner it is ensured, the better it would be in the national interest as time is otherwise running out.

3. Linking farmers to markets is a pre-requisite for augmenting farm production and farmers' income. Role of innovative institutions would be critical in this context to reap the benefits of emerging opportunities.
4. There is a dire need to significantly expand the capital investment in both public and private institutions in the non-green revolution regions, particularly in the eastern and north-eastern India, where there is a great potential for agricultural growth. Hence, investment priorities must now be oriented towards realistic accelerated growth of agriculture for meeting the growing needs of the population. Therefore, public policies should be such that these trigger the much needed private sector investments for infrastructure development.
5. Agriculture is confronted with new forms of risks and uncertainties. These are related to natural calamities, global climate change, use of food for bio fuels, uncertainty over prices, etc. Role of knowledge system and institutional mechanisms for input supply, credit, crop and livestock insurance, etc., would, therefore, be important in reducing both risks and uncertainties in order to attain the much needed resilience in Indian agriculture. At the same time, less dependence on the use of chemical fertilizers and pesticides, and efficient use of water, energy and other inputs, including timely farm operations with major emphasis on small farm mechanization and bio energy (solar and wind), would help achieve faster growth in agriculture.
6. Water will be the most critical natural resource for the future growth of agriculture. Currently, the water sector for irrigation is invariably neglected both at the central and state levels. High inefficiencies in water delivery, distribution and on-farm use are adversely affecting our agricultural production. Irrigated area can be expanded considerably with improved efficiency in water use. Innovations in governance and pricing of surface and ground water for the desired water use efficiency, through an integrated approach among irrigation department, private sector, and farmers' water user associations are urgent issues for coordinated action by all stakeholders.
7. Climate change has added a new dimension to future agricultural growth, which is a major concern. The worst affected would be small farm holders located in the marginal and under-privileged areas. Therefore, investment options for both adaptation and mitigation, and policies which can help in reducing the impact of climate change, are urgently needed at this stage, especially to provide

Conclusions:

Agriculture continues to be the backbone of Indian economy. Agriculture sector employs 54.6% of the total workforce. The total Share of Agriculture & Allied Sectors (Including Agriculture, Livestock, and forestry and fishery sub sectors) in terms of percentage of Gross Domestic Product is 13.9 percent during 2013-14 at 2004-05 prices. [As per the estimates released by Central Statistics Office]. For the 12th Plan (2012-17), a growth target of 4 percent has been set for the Agriculture Sector. As per the 4th Advance Estimates of Production of food grains for 2013-14, total food grain production is estimated to be 264.77 Million Tonnes. In order to keep up the momentum gained during the 11th Plan and achieve the targeted growth rate of 4% during the 12th Five Year Plan as also the ensure focused approach and to avoid overlap, all the ongoing 51 schemes of the Department have been restructured into five missions viz. National Food Security Mission (NFSM), Mission for Integrated Development of Horticulture Mission (MIDH), National Mission on Oil Seed and Oil Palm (NMOOP), National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA), and National Mission on Agricultural Extension & Technology (NMAET); five Central Sector Schemes viz. National Crop Insurance Programme (NCIP), Integrated Scheme on Agri-Census & Statistics (ISAC&S), Integrated Scheme of Agriculture Marketing (ISAM), Integrated Scheme of Agriculture Cooperation (ISAC) and Secretariat Economic Service; and one State Plan Scheme viz. Rashtriya Krishi Vikas Yojana. Recognizing the importance of Agriculture Sector, the Government during the budget 2014-15 took a number of steps for sustainable development of Agriculture. These steps include enhanced institutional credit to farmers; promotion of scientific warehousing infrastructure including cold storages and cold chains in the country for increasing shelf life of agricultural produce; Improved access to irrigation through Pradhan Mantri Krishi Sichayee Yojana; provision of Price Stabilisation Fund to mitigate price volatility in agricultural produce; Mission mode scheme for Soil Health Card; Setting up of Agri-tech Infrastructure fund for making farming competitive and profitable; provide institutional finance to joint farming groups of “Bhoomi Heen Kisan” through NABARD; development of indigenous cattle breeds and promoting inland fisheries and other non-farm activities to supplement the income of farmers. and nutrition security, increasing farm income, alleviating poverty and minimizing production risks on account of climate change, besides ensuring overall natural resource management and environmental security. Appropriate policies, institutions and technologies would play an important role in facing these challenges boldly.

References:

- 1- The Story of India: a PBS documentary". Public Broadcasting Service, United States.
- 2- The numbers in this column are India's average, metric tonnes per hectare per year; regional farm productivity within India varies. For milk and other produce, productivity is on per livestock animal basis.
- 3- Staff, India Brand Equity Foundation Agriculture and Food in India Accessed 7 May 2013.

जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धान्त की सार्थकता लोक कल्याणकारी राज्य के परिपेक्ष्य में एक अध्ययन

डॉ० पंकज तिवारी¹

जॉन रॉल्स काण्ट के आदर्शवादी विचारों से प्रभावित होकर अपने न्याय सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। उसका प्रसिद्ध कथन है कि “आत्मन, साध्य से पहले है।” जो काण्ट के कथन “व्यक्ति स्वयं में साध्य है।” से अभिप्रेरित है। रॉल्स अपने न्याय सिद्धान्त का प्रतिपादन 1971 में अपनी महत्वपूर्ण लेखनी (Theory of Justice) ‘थियरी ऑफ जस्टीस’ में दिया। रॉल्स ने न्याय को (Fairness) फेयरनेस कहा है। सन् 2001 में जॉन रॉल्स ने Justice as Fairness : A Restatement नामक पुस्तक लिखकर लोक कल्याणकारी राज्य की बुनियादी का सार्थक बनाने का प्रयास किया। उसने न्याय का व्यावहारिक आधार प्रदान करने के लिए लोकतांत्रिक राज्यों की पृष्ठभूमि को आवश्यक माना इस सन्दर्भ में उसने राज्य के कार्यों का निम्नलिखित भागों में बाँटा—

आवंटन— प्रतिस्पर्धी पूँजीवादी बाजारवादी व्यवस्था में राज्य द्वारा किमतों का नियंत्रण होगा और प्रगतिशील कररोपण किया जाएगा। भारत में जी०एस०टी० लाना इसी सन्दर्भ में एक सार्थक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

स्थायित्व— व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाएगा, और सभी व्यक्ति रोजगार के मामले में स्वतंत्र होंगे।

स्थानान्तरण— सभी के लिए न्यूनतम आय की गारंटी। जिससे न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए अधिकतम लाभ हो।

1. सहायक आचार्य, राजनीतिशास्त्र विभाग— डी०ए०वी० पी०जी० कालेज, गोरखपुर

वितरण— समाज में सम्पत्ति का केन्द्रीकरण वितरण यदि एक सीमा से अधिक हो जायें तो स्वतंत्रता व समानता पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। अतः रॉल्स उपहारों एवं उत्तराधिकार की सम्पत्ति में भी कररोपण का समर्थन किया।¹

जॉन रॉल्स मूलतः उदारवादी विचारक हैं, और उन्होंने उदारवादी व्यवस्था के अन्तर्गत एक न्यायपूर्ण समाज स्थापित करने का प्रयास किया, उनका समूचा न्याय का सिद्धान्त बाजारवादी व्यवस्था पर आधारित है। रॉल्स के न्याय में सभी व्यक्तियों को समान स्वतन्त्रता का अधिकार है। रॉल्स के मत में उपयोगिता सिद्धान्त इस तथ्य को स्पष्ट करने में असमर्थ रहा है कि एक न्यायपूर्ण समाज में समान नागरिकों की स्वतंत्रताओं की गारण्टी ली जाती है तथा न्याय द्वारा रक्षित अधिकार न तो राजनीतिक सौदेबाजी के विषय होते हैं और न ही सामाजिक हितों की गणना का।²

उनके अनुसार न्याय मानवीय विवेक व चयन का परिणाम है। यह ईश्वर प्रदत्त नहीं है और न ही इतिहास पर आधारित है। इसका निर्माण 'नैतिक व्यक्तियों' द्वारा किया गया और व्यक्तियों ने पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर मानवीय सम्बंधों को नियंत्रित व संतुलित करने के लिए न्याय के नियमों का निर्माण किया। रॉल्स के अनुसार "न्याय समाज का प्राथमिक सद्गुण है।" जिसमें 'समान स्वतन्त्रता के अधिकार', 'अवसर की समानता' और 'न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए अधिकतम लाभ का प्रावधान किया गया है। रॉल्स के अनुसार "प्राथमिक वस्तुओं का समान वितरण करना ही न्याय है। परन्तु इन प्राथमिक वस्तुओं के वितरण में भेदभाव किया जा सकता है। यदि प्राथमिक वस्तुओं का वितरण 'न्यूनतम स्थिति' में रहने वाले लोगों के लिए अधिकतम लाभप्रद हो।" प्राथमिक वस्तुएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं।

क. सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं, जिसमें—

- अ. मूलभूत स्वतन्त्रता
- ब. (विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता)
- स. आवागमन, व्यवसाय के चयन की स्वतन्त्रता
- द. आय व सम्पत्ति
- न. अवसर की समानता और आत्म सम्मान सम्मिलित हैं

ख. प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं, जिसमें— बुद्धि व स्वास्थ्य सम्मिलित है। जॉन रॉल्स अपने सिद्धान्त को समझौतावाद या समझौता के रूप में सम्बोधित करता है। वह इसके ऐतिहासिक तत्व लॉक रूसों, काण्ट में ढूंढता है।³

रॉल्स के वरीयता का नियम—

- क. स्वतन्त्रता को केवल स्वतन्त्रता के लिए ही प्रतिबंधित किया जा सकता है। जिसका तात्पर्य है स्वतन्त्रता पर प्रतिबंध समानता के लिए नहीं आरोपित किया जायेगा।
- ख. रॉल्स के अनुसार 'न्याय', कल्याण व कुशलता की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है।
- ग. अधिकार, भलाई से बेहतर है।
रॉल्स अपने न्याय विषयक अवधारणा के अन्तर्गत दो सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है—
- I. प्रत्येक व्यक्ति को सर्वाधिक मूल स्वतंत्रता प्राप्त का समान अधिकार हो और यह अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त हो।
 - II. सामाजिक और आर्थिक समानता को इस रूप में व्यवस्थित करें कि उन दोनों से—
 - अ. न्यूनतम सुविधा प्राप्त व्यक्तियों को सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो।
 - ब. अवसर की निष्पक्ष समानता के अन्तर्गत सभी के लिए पद एवं दर्जे खुले हैं।⁴

रॉल्स के न्याय का आधार—

- क. बेन्थम के उपयोगितावाद का खंडन— प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्याय न कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, आदर्शवादी दृष्टिकोण आत्मन साध्य से पहले (मैं) (उद्देश्य), (रॉल्स), व्यक्ति को प्राथमिकता।
- ख. कान्ट— व्यक्ति स्वयं में साध्य है।
'रॉल्स का न्याय', कान्ट के आदर्शवादी सिद्धान्तों से प्रभावित है और उसने कान्ट की इस मान्यता को स्वीकार किया कि व्यक्ति स्वयं में साध्य है। इसीलिए उसने कहा कि 'आत्मन साध्य से पहले है।' अतः रॉल्स के लिए प्रत्येक व्यक्ति का महत्व समान है और उसने 'बेन्थम' के न्याय के मूल आधार को अस्वीकृत कर दिया। जिसमें बेन्थम ने 'अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को ही न्याय का मूल आधार माना था।'

रॉल्स के न्याय निर्माण की पद्धति—

रॉल्स ने न्याय निर्माण के लिए 'अज्ञान के पर्दे' और 'आरम्भिक स्थिति' की कल्पना की। उन्होंने न्याय सिद्धान्त के निर्माण के लिए 'सामाजिक समझौता के सिद्धान्त' की तकनीकी का प्रयोग किया। इस आरम्भिक स्थिति में व्यक्ति अपने हितों के अनुसार निर्णय करता है और उसका यह प्रयत्न होता है कि समाज में न्याय के नियम का आधार ऐसा होना चाहिए, जिससे उसका सर्वाधिक लाभ हो।

‘अज्ञान के पर्दे’ का अभिप्राय निम्नलिखित है।

क. उसे अपनी विशिष्ट क्षमताओं व प्रतिभाओं का ज्ञान नहीं है।

ख. उसे अपने भविष्य की स्थिति का भी पता नहीं है।

उसके अनुसार ऐसे ‘अज्ञान के पर्दे’ के पीछे व्यक्ति अपने लिए अधिक से अधिक ‘प्राथमिक वस्तुओं’ की प्राप्ति का प्रयत्न करेगा। व्यक्तियों ने स्वयं को ‘वंचित स्थिति’ में रखकर समझौता किया।

जिसके अन्तर्गत उसने कल्पना की, कि यदि वह सबसे ‘न्यूनतम स्थिति’ में होगा तो उसे कितनी अधिक प्राथमिक वस्तुओं की आवश्यकता होगी। इसीलिए रॉल्स के न्याय को नियम को Maxi-Mini Law (महाकल्पनिष्ठ नियम) (अधिकतम— न्यूनतम नियम) कहा जाता है।

रॉल्स के विचारों से स्पष्ट है कि ‘समाज से ‘विषमता’ पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकती है और न ही उसने इसे समाप्त करने का प्रयत्न किया।’ किन्तु उसके अनुसार “ऐसी विषमता को स्वीकार नहीं किया जा सकता जिससे समाज के ‘न्यूनतम स्थिति’ में रहने वाले लोगों के लिए अभाव हो।”

आलोचना—

समुदायवादियों ने रॉल्स की ‘उदारवादी— व्यक्तिवादी’ मान्यता पर पूर्ण प्रहार किया और समुदायवादियों के अनुसार रॉल्स के विचार त्रुटिपूर्ण हैं। रॉल्स के ‘आत्मनिर्धारण’ व ‘चयन’ की मान्यता अतार्किक है। क्योंकि उन्होंने न्याय के निर्माण में ‘सामाजिक परिप्रेक्ष्य’ की पूर्ण अवहेलना की, जिसमें व्यक्ति अवस्थित होता है।

समुदायवादियों के अनुसार ‘व्यक्ति का जीवन तभी सार्थक होता है जब वह समुदाय का सदस्य होता है।। ‘वालजार’ के अनुसार “उदारवादी विचारधारा में व्यक्ति के अधिकार व स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है एवं उदारवादी अपनी मान्यताओं का प्रयोग सार्वभौमिक रूप में करना चाहते हैं।” समुदायवादियों के अनुसार यह अतार्किक है क्योंकि आधुनिक समाज जटिल है। सभी समुदायों को सांस्कृतिक अस्तित्व का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।

‘प्रत्येक संस्कृतियों के लिए न्याय के मानदंड एक समान नहीं हो सकते हैं। प्रत्येक समाज के अपने मानक व मूल्य होते हैं।’ रॉल्स के न्याय में इस विविधता को पूर्णतः उपेक्षित किया गया है और ‘सामाजिक सांस्कृतिक मतैक्य’ को पूर्व मान्यता के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। जबकि व्यवहार में प्रत्येक समुदाय की पृथक सांस्कृतिक पहचान होती है।

रॉल्स ने दार्शनिक रूप में ‘आत्मन को साध्य से पहले माना’, जो एक गम्भीर त्रुटि है। रॉल्स के चिंतन में व्यक्ति को एक अणु की भांति स्वीकार किया

गया है और व्यक्ति के द्वारा समाज व न्याय के नियमों का निर्माण हुआ, जबकि समुदायवादियों के अनुसार,

‘सामुदायिक मूल्यों’ से ही व्यक्ति की पहचान होती है। व्यक्ति सदैव समाज में अवस्थित होता है। ‘चार्ल्स टेलर’ के अनुसार “व्यक्ति को मूल्यों की प्राप्ति समुदाय से होती है एवं समुदाय के द्वारा ही लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है।

‘माइकल सेन्डल’ के अनुसार “आत्मन का निर्धारण साध्य के द्वारा होता है।” अतः न्याय के नियमों की खोज समुदाय में सम्भव है। इसका कृत्रिम निर्माण करना सम्भव नहीं है। जीवन में हम व हमारे उद्देश्य अलग- अलग नहीं होते, इसलिए समाज में हम अपने उद्देश्यों की खोज करते हैं।” समुदायवादियों के अनुसार ‘प्राथमिक वस्तुओं’ के वितरण पर अत्यधिक बल दिया गया, समुदायवादियों के अनुसार “प्रत्येक समाज के लिए वस्तुओं का समान महत्व नहीं होता है।”

सन्दर्भ—

1. मिश्रा, राजेश : “राजनीति विज्ञान (एक समग्र अध्ययन) सरस्वती आई0ए0एस0 एम0टी0एन0एल0 कॉमर्शियल काम्पलेक्स, दिल्ली पेज 18
2. त्रिपाठी, प्रो0 एस0पी0एम0, “समकालीन राजनीतिक चिन्तन” राज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली पेज 5731
3. जॉन रॉल्स, : ए थ्यरी ऑफ जस्टिस, कैम्ब्रिज : मॉस, 1971 पृ0 140
4. क्र0 नं0 02, पेज 578

REVIEW OF LITERATURE IN PROSTHETICS & ORTHOTICS FIELD

Mr. Girish V Gupta¹, Mr. Mohit Gupta²

Summary:

Background: Prosthetics & Orthotics journal provides information on new devices, fitting and fabrication techniques, and patient management experiences. The multidisciplinary approach focuses on prosthetics and orthotics, with timely reports from related fields such as orthopaedic research, occupational therapy, physical therapy, orthopaedic surgery, amputation surgery, physical medicine, biomedical engineering, psychology, ethics, and gait analysis.

Aim:

- The mission of the Journal in Prosthetics & Orthotics is to promote, enhance and disseminate uncovered scientific article information and technical advances in prosthetics and orthotics.

Method: We have reviewed 690 article in prosthetics, 356 article in orthotics and 85 other article (Hearing, Speech, Orthopaedic disease) but major research performed over lower extremity prosthesis, lower extremity Orthosis, upper extremity prosthesis and less topic covered over biomechanics, Higher level amputee, wheelchair modification for sports in person with disable, upper extremity orthosis and different materials importance.

Results: Every practitioner who performs a clinical investigation, such as an analysis of patients treated with a specific device, or a trial on the treatment of prosthesis and orthosis, will be contributing to the sum of knowledge in our profession. Clinical research employs one or more intervention techniques. An intervention technique in O&P might be the evaluation of a new thought to be more effective.

Discussion & Conclusion : Participating in new clinical research will make you a better Orthotist and Prosthetist. Clinical researches provides knowledge of new technology and improve different equipment used for data collection and analysis with the collaboration of other professional.

Key Word: Journals Data, Library reference

1 & 2. P and O Department, PDUIPH, New Delhi.

Introduction: The purpose of this review of journal analysis was to describe trends in publication of the Journal of Prosthetics and Orthotics (JPO), International Society for Prosthetics and Orthotics journal (ISPO), Journal of O & P world over the past years. We focused on publication patterns in the areas of article type, subject demographics, study details, component/intervention type, funding, and author training. The multidisciplinary approach focuses on prosthetics and orthotics, with timely reports from related fields such as orthopaedic research, occupational therapy, physical therapy, orthopaedic surgery, amputation surgery, biomedical engineering, psychology, ethics, and gait analysis. Each issue contains research-based articles reviewed and approved by a highly qualified editorial board.

Aim:

- The mission of the Journals in Prosthetics and Orthotics is to promote, enhance and disseminate uncovered scientific article information and technical advances in prosthetics and orthotics.
- To achieve different article information, tools and equipment for research or data analysis.

Method: All articles published in Orthotics & Prosthetics (O&P) World, Journal of Prosthetics & Orthotics (JPO) & International Society of Prosthetics & Orthotics (ISPO) from January 1977 to December 2016 were included in the review; editorials written by the journal editor, as well as letters to the editor, were excluded.

Six main domains were chosen: Article Listing Description, Article Type, Subject Demographics, Study Details, Funding, and Author Training. Each domain was then broken down into sub-categories from which selections were made.



Article Type: The option of an article being a survey was given for all article types. Level of amputation/orthotic: Non-anatomic was selected if the article was a modeling study.

Subject Demographic: The option of non-anatomic was given for all sub-categories under this domain; this was selected if the article was based on a study with no human subjects, such as a modeling study

Baseline Component: Used if the patient entered the study using a baseline component, either prosthetic or orthotic.

Component/Intervention type: The component or intervention used in the study (i.e. ankle-foot orthosis, C-Leg, physical therapy, etc.). Degree Held: An author with multiple credentials could be listed as having more than one degree. For example, if an author held a PhD and a CPO, they would be given credit as having both an academic doctorate and being a clinician. Other Information: This sub-category was used to document relevant information that did not fall into any other domain or sub-category. Authors agreed a priori that reliability testing would be conducted until reliability reached >90%. Articles were then analyzed independently.

Results: A total of 1102 articles were reviewed. The majority (50%) were case study/reports/series and 33.7 % were prospective studies and 16% others. 49.8 % of the articles reviewed were prosthetics-related, 33.8 % were orthotics-related and 16.4% others (Assistive technology, Tools & equipment). Trauma and diabetes/PVD/vascular comprised the two largest etiologies in prosthetics-related studies.



Discussion: More of the articles (49.8%) in these past years review contained prosthetics as the main topic. Such a trend may point to greater research interest in the field, with impetus toward publishing research results. In a year-by-year analysis, however, while orthotics&prosthetics related articles increased from 1977 to 2016. Subject gender was more evenly distributed in orthotics related articles. In the prosthetics articles reviewed, males outnumbered females by a greater than 3:1 ratio. In all prosthetics & orthotics research others department, gadgets was also involve.

Conclusion: This journals analysis of the O&P world, JPO & ISPO reveals that greater prosthetic articles are published than are orthotic articles. The great majority of articles are of the case study/report/series classification. By age, subjects are not highly representative of the demographics of device users according to epidemiologic data. A similar issue is present regarding amputation etiology where more traumatically amputated subjects participate in research published in JPO& ISPO. There should be cooperation and coordination available from different departments for doing a better meaningful reserach.

References:

- Seymour R. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 2002. American Orthotics Prosthetic Association (AOPA) Web site. Available at: <http://www.aopanet.org>. Ryan C, et al. IEEE Trans Neural SystRehabil Eng. 12 (4): 422-429, 2004. Franchignoni F, et al. J Rehabil Med. 43: 471-476, 2011. Kocak FU, et al. Arch Phys Med Rehabil.92: 299-3.3, 2011.
- Journal of Prosthetics & Orthotics (JPO)
- International Society for Prosthetics and Orthotics journal (ISPO)
- Journal of O & P world web site.

समावेशी शिक्षा की अवधारणा

दुर्गेश कुमार मिश्र¹

भूमिका—

सृष्टि के अभ्युदय से आज तक यह विशिष्टता है कि कोई भी दो प्राणी एक जैसे नहीं होते, कद भार, आकार विचारों इत्यादि में भिन्नता रहती है।

समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जिनको भी शिक्षा के पूर्ण अवसर प्राप्त करने का अधिकार है। जिन्हें विषिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। भारत सरकार ने 1974 में निःशक्तग्रस्त बच्चों को सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ समेकित शिक्षा योजना शुरू की भारत का संविधान यह सुनिश्चित करता है कि प्राथमिक शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है इसी भावना के फलस्वरूप देश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने निःशक्तजनों के लिए एक नीति तैयार की है इस नीति में यह स्पष्ट है कि निःशक्तजन भी हमारे मूल्यवान मानव संसाधन हैं और इसके तहत ऐसा माहौल तैयार किया जाये ताकि उन्हें समान अवसर उपलब्ध हो उनके अधिकारों की रक्षा हो और समाज में उनकी सम्पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, इस दिशा में शिक्षा प्रदान करने के लिए समावेशी शिक्षा एक सराहनीय प्रयास है।

समावेशी शिक्षा का अर्थ—

आजादी के बाद हमारा संविधान जाति, वर्ग, धर्म, आय एवं लैंगिक आधार पर किसी विभेद का निषेध करता है इस प्रकार एक समावेशी समाज की स्थापना का आर्दश प्रस्तुत करता है जो बच्चों में किसी भी प्रकार की भिन्नता किये बिना एक स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है, जिससे लोकतांत्रिक स्कूलों में बच्चों के समुचित समावेशन हेतु समावेशी शिक्षा के वातावरण का सृजन किया जा सके।

समावेशी शिक्षा से हमारा तात्पर्य वैसी शिक्षा प्रणाली से है जिससे सभी शिक्षार्थियों को बिना किसी भेदभाव के सीखने सिखाने का समान अवसर मिले।

1. शोधछात्र, शिक्षाशास्त्र विभाग, जे0आर0एच0यू0, चित्रकूट

समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व—

समाज में लोगों की धारणा दिव्यागों के शिक्षा के प्रति उदासीन है क्योंकि वे उन्हें समाज से अलग दिखते हैं तथा अपना विकास करने में अन्य सामान्य की तुलना में अक्षम समझते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता होने के बावजूद शिक्षाविदों का मानना है कि सामान्य एवं विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को एक ही छत के नीचे एक ही शैक्षिक पर्यावरण में विशिष्ट शिक्षक विधियों का प्रयोग कर उन्हें शिक्षित किया जाये ताकि वे शिक्षा व समाज की मुख्य धारा में कदम से कदम मिला कर चल सकें।

इस दिशा में समावेशी शिक्षा से यह भी लक्ष्य सम्भव है समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे के उच्च और उचित उम्मीदों के साथ उसकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है तथा अन्य छात्रों के कक्षा के जीवन में भाग लेने हेतु अभिप्रेरित करती है ऐसे परिवेश में छात्रों को सम्मान और अपनापन का एहसास व्यक्तिगत आवश्यकताओं, क्षमताओं का विकास, आपसी सहयोग, आपस में भाई-चारे की क्षमता विकसित करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जिससे कि छात्र अपना विकास सुनिश्चित कर सकें।

समावेशी शिक्षा से सम्बन्धित पहल—

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा से सम्बन्धित कुछ कार्यक्रम जैसे— निःशक्त बच्चों के लिए समन्वित शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। परन्तु इसमें कम सफलता प्राप्त हो सकी है। शिक्षा केन्द्र और राज्य सरकारों की साक्षा जिम्मेदारी रही है परन्तु इसके बाद भी इनका सकारात्मक असर देखने को नहीं मिलता है। सर्वशिक्षा अभियान में समावेशी शिक्षा के घटक अभी भी योजना से कम है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए बुनियादी ढाँचा औ वित्तीय संसाधन अभी भी चुनौती बने हुए हैं।

गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से ढाँचागत सुविधाओं के क्रियान्वयन और शैक्षिक कार्यक्रमों में नवाचार के साथ समावेशी शिक्षा को जोड़ा है। सरकारी स्कूलों के अतिरिक्त कुछ निजी संस्थाओं ने भी आगे बढ़-चढ़कर ऐसे बच्चों की शिक्षा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है जिससे कि सामान्य हो या निःशक्त सभी को समान अवसर दिये जाये ताकि वे बिना कठिनाई के अध्ययन कर सकें।

विद्यालयी शिक्षा में समावेशी शिक्षा हेतु उपाय—

1. **विद्यालयी वातावरण में सुधार—** विद्यालयी वातावरण किसी भी प्रकार की शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है समावेशी शिक्षा के लिए मनमोहक स्कूल भवन के साथ साज-सज्जा तथा शैक्षिक सहायताओं का भी समुचित प्रबन्ध जरूरी है।

2. **रुचिपूर्ण एवं विभिन्न पाठ्यक्रम का निर्माण**—किसी विद्वान ने सत्य ही कहा है कि बच्चों को शिक्षित करने का ढंग है कि उन्हें प्यारी चीजों के बीच खेलने दिया जाये ऐसे बालकों के पाठ्यक्रम के निर्धारण में उनकी अभिवृत्तियों, मनोवृत्तियों, आकांक्षाओं, रुचियों, क्षमताओं एवं स्तर का अनुकूलन किया जाये विभिन्न आयोगों के सुझावों को भी ध्यान में रखते हुए लचीला, बोधगम्य, रुचिकर, पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाये जो भविष्य हेतु लाभप्रद हो।
3. **प्रायोगिक विधियों का प्रयोग**—आयोगों द्वारा विभिन्न प्रायोगिक विधियों की शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है परन्तु आज आवश्यकता इस बात की है कि समावेशी शिक्षा हेतु शिक्षकों को इसकी नवीन विधियों का ज्ञान कराया जाये तथा उनके प्रयोग पर बल दिया जाये समावेशी शिक्षा के लिए विद्यालय के शिक्षकों को समय – समय पर विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों पर भेजे जाने की नितान्त आवश्यकता है।
4. **स्कूल सामुदायिक जीवन का केन्द्र**—समावेशी का रूप प्रदान करने हेतु यह प्रयास भी करना चाहिए कि स्कूलों को सामुदायिक जीवन का केन्द्र बनाया जाये ताकि वहाँ छात्रों को सामुदायिक जीवन की भावना का वातावरण मिल सके जिससे वे सफल एवं योग्यतया सामाजिक जीवन यापन कर सकें इस हेतु वाद–विवाद खेलकूद तथा देषाटन जैसे मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।
5. **अभिभावकों में जागरूकता**—
6. विशेष आवश्यकता वाले बालकों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए उनके माता–पिता को जागरूक होने की आवश्यकता है उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति सही निर्णय लेना चाहिए जिससे कि वह समय से ऐसे विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर सकें।
7. **परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता**—
विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिए आने–जाने की परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए जिससे कि ऐसे बालकों को विद्यालय आने जाने में असुविधा न हो बहुत से ऐसे बच्चें हैं जिन्हें चलने, देखने में समस्याएँ आती हैं ऐसे बच्चों के लिए परिवहन सुविधा उन्हें आने–जाने में सहायता प्रदान करती हैं।
- निष्कर्ष**—समावेशी शिक्षा सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों को एक समान पाठ्यक्रम व विधियों का प्रयोग कर एक ही वातावरण में शिक्षा प्रदान करने की वकालत करता है। इसके निम्न परिणाम देखने को मिलता है।
 - बच्चों को बिना भेद – भाव की शिक्षा

- बच्चों को समुचित और समृद्ध वातावरण की प्राप्ति
- बच्चों को समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद
- आत्मविश्वास में वृद्धि
- बच्चों की क्षमताओं में वृद्धि व आत्मनिर्भरता
- सहयोग की भावना विकास

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची –

नारंग, एम.के. अग्रवाल जे.सी. समावेशी शिक्षा पृष्ठ – 2,3

योजना अप्रैल 2013 अंक पृ. – 17,18,19

शर्मा मधुलिका, विशिष्ट बालक पृष्ठ – 1

www.successkey.com 2014/12

धर्म, अध्यात्म एवं विकास

डॉ० अम्बरीष राय¹

विकास का विषय किसी के लिये नया नहीं है, लेकिन इसका परिप्रेक्ष्य बदलता रहता है। 'विकास' यह शब्द कुछ वर्षों से अधिक प्रचलन में आया है। विकास की जो अवधारणा वर्तमान में प्रचलित है, वह कुछ दशकों में सामाजिक व राजनीतिक चर्चा का केन्द्र बनी है। जिस प्रकार उद्विकास का अर्थ बहुत स्पष्ट एवं निश्चित नहीं है, विकास की अवधारणा भी बहुत स्पष्ट नहीं है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसके अर्थ के सम्बन्ध में कोई विशेष विवाद नहीं है, पर सामाज विज्ञान के क्षेत्र में इस शब्द का प्रयोग काफी ढीले-ढीले अर्थों में होता आया है। यहाँ विकास से हमारा तात्पर्य मुख्यतः सामाजिक विकास से है। सामाजिक विकास में आर्थिक विकास का भाव छिपा होता है और उसी के तहत हम परम्परागत समाज, संक्रमणशील समाज एवं आधुनिक समाज की चर्चा करते हैं। सामाजिक विकास के कई उद्देश्य बताये जाते हैं। ये उद्देश्य सर्वमान्य नहीं होते हैं। सामाजिक विकास का उद्देश्य विभिन्न राष्ट्र के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन इस भिन्नता के होते हुये भी कही पर भी हो, सामाजिक विकास का उद्देश्य मनुष्य जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने से होता है। प्रो० गाल्टन ने विकास को परिभाषित करते हुये लिखा है कि "विकास का सिद्धान्त सामाजिक विज्ञानों का वह क्षेत्र है जहाँ अतीत का अध्ययन किया जाता है, वर्तमान की व्याख्या की जाती है और भविष्य का विश्लेषण किया जाता है।" इस प्रकार विकास एक बहुआयामी अवधारणा है। प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति अपने सांस्कृतिक तत्वों के कारण विकास को व्याख्यायित करती है। धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति के मुख्य सांस्कृतिक तत्व हैं। जिनका प्रभाव भारत के सामाजिक विकास में दर्शित होता है।

1. सहायक आचार्य, दर्शनशास्त्र, जे०आर० विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उ०प्र०

धर्म विकास का सबसे बड़ा आधार है। क्योंकि धर्म व्यक्ति को आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। व्यक्ति में सद्गुणों, नैतिक आदर्शों, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करके उसमें सहिष्णुता पैदा करता है। शान्ति और सहिष्णुता से विकास का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता है। वस्तुतः जिस समाज में शान्ति और सहिष्णुता होती है, उसी समाज में कला, साहित्य, विज्ञान का विकास संभव है। धर्म सर्वांगिष्ठ विकास का सर्वोच्च माध्यम है और इसलिये धर्म को सही रूप में समझा और ग्रहण किया जाना चाहिये। महात्मा गान्धी के शब्दों में “हमारी हर क्रिया में धर्म निहित होना चाहिये। यहाँ धर्म का अर्थ सम्प्रदायवाद नहीं है। इसका अर्थ विश्व में एक व्यवस्थित नैतिक शासन में आस्था है। अदृश्य होने के कारण वह अवास्तविक नहीं हो जाती। यह हिन्दू धर्म, इस्लाम, ईसाई मत आदि से परे है। यह उन्हें अपदस्थ नहीं करता है, बल्कि सामंजस्य स्थापित करके आस्तिक बनाता है।”¹ धर्म में कर्तव्य पालन की भावना प्रमुख होती है। वस्तुतः धर्म के अभाव में शक्ति, सहिष्णुता और विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है।

धर्म एक ऐसा शब्द है जिसको विश्व के विभिन्न व्यक्तियों, जातियों, समुदायों, संस्कृतियों तथा साहित्यों द्वारा विभिन्न प्रकार से समझा जाता है और उसके विभिन्न अर्थ लिये जाते हैं। यही कारण है कि धर्म के सम्बन्ध में मतैक्यता का अभाव दिखता है। विकास मानव जाति का आधारभूत तथ्य रहा है। विकास में धर्म की क्या भूमिका है? इस संदर्भ में दो परस्पर दृष्टिकोण उभर कर सामने आते हैं। एक दृष्टिकोण उन लोगों का है जिनका यह मानना है कि विकास में धर्म की कोई भूमिका नहीं रही है, अपितु धर्म विकास के मार्ग में बाधा पहुँचायी है। दूसरा दृष्टिकोण उन लोगों का है जिनका मानना है कि विकास में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके दृष्टिकोण के समर्थकों का मानना है कि विकास में धर्म की अहम भूमिका है और धर्म से ही विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। जो लोग धर्म को विकास में बाधक मानते हैं वह सही दृष्टिकोण नहीं है। समाज विज्ञान के अनुसार किसी भी तथ्य को उस संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिये। इसलिये यदि धर्म को हम भारतीय संस्कृति के संदर्भ में समझे तो ‘धर्म’ की व्यापकता को समझ संकेते और इसे विकास में बाधक न मानकर साधक मानेंगे।

भारतीय संस्कृति में धर्म शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। सारा जीवन ही धर्म के बुनियादी सिद्धान्तों पर टिका है। ‘धर्म’ शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के ‘धृ’ धातु से हुई है जिसका अर्थ है धारण करना। “धारयेत इति धर्मः”² अर्थात् जो जीवन में धारण करने योग्य है, जो जीवन का आधार है, जो जीवन को सही दिशा देता है, जो कर्म है वह धर्म है। धर्म एक ऐसी जीवन शैली का समर्थन करता है जिसमें सांसारिक तथा शाश्वत कल्याण निहित होता है। “यतोऽभ्युदयनिः श्रेय स संसिद्धि स धर्मः”³ अर्थात् जिससे समाज, राष्ट्र तथा संपूर्ण संसार के मानव इस

लोक में अभ्युदय तथा परलोक में परम पद को प्राप्त करें, वह धर्म है। धर्म कोई पूजा पद्धति नहीं है। धर्म शाश्वत और सनातन आचरण है। धार्मिक होना मानवीय गुणों के वाहक होने का प्रतीक है। वस्तुतः मनुष्य का धर्म और मनुष्य शाश्वत सनातन है, अतः मनुष्य का धर्म भी शाश्वत, सनातन है।⁴ भारतीय संस्कृति के अर्थ में सारी प्रजा की धारणा धर्म से होती है। राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य क्या होना चाहिये? राज्य के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिये? यह सब धर्म में निहित हैं कर्तव्य धर्म से तय होता है।⁵ धर्म शब्द को सम्प्रदाय, मत, पंथ, मजहब तथा फिरका के रूप में स्वीकार करने पर उसके अर्थ का अनर्थ हो सकता है। पंथ, मत संप्रदाय आदि धर्म का पर्याय नहीं है, धर्म को सर्वोच्च आध्यात्मिक एवं सर्वोच्च नैतिकता का पर्याय समझना चाहिये, कोई भी उपासना पद्धति इस सर्वोच्च आध्यात्मिकता का अंग हो सकती है। लेकिन वह सर्वोच्च आध्यात्मिकता किसी उपासना पद्धति का पर्याय नहीं हो सकती। देश-काल, पात्र और परिस्थितियों के अनुसार उपासना पद्धति भिन्न-भिन्न हो सकती है। इसलिये उनमें भिन्नता होना स्वाभाविक है, किन्तु यह किसी भी प्रकार से विकास में बाधा नहीं उत्पन्न करती है। स्वामी विवेकानन्द जी का कहना था कि हर एक धर्म का लक्ष्य तथा साध्य भगवत् प्राप्ति है। सबसे बड़ी शिक्षा केवल भगवान की आराधना करने की है। यदि प्रत्येक मनुष्य अपना आदर्श चुन ले और उसको अपनाये रखे तो सभी धार्मिक विवाद समाप्त हो जाय।⁶

विकास की चरमावस्था में जब हम परम वैभव एवं सर्वांगिण उन्नति की बात करते हैं तो परम वैभव में भौतिक विकास के साथ-साथ आध्यात्मिक विकास भी जुड़ा होता है। ठीक उसी प्रकार सर्वांगिण उन्नति में सर्व अंग अर्थात् जड़-चेतन सभी की उन्नति की बात समाहित होती है। यद्यपि विकास की रीढ़ की हड्डी में आर्थिक प्रगति को ही मुख्य माना गया है। इसे पदार्थ एवं सेवाओं के उत्पाद और उपभोग में वृद्धि के साथ मापा जाता है। जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह सर्वविदित तथ्य हो गया है कि आर्थिक प्रगति को ही उन्नति मानने को कारण व्यक्ति एवं राष्ट्र के सम्मुख अनेक संकट खड़े हो गये हैं। इसे आज समझने की आवश्यकता है। इस कारण से यह आवश्यक हो गया है कि विकास कि अवधारणा को हम एकात्म मानव दर्शन के आलोक में समझने तथा अपनाने का प्रयास करें। धर्म तथा आध्यात्म के आलोक में जब हम विकास को व्याख्यायित करने का प्रयास करते हैं तो सर्वप्रथम यह बात ध्यान में आती है कि जितनी भी भौतिक संपदा है। यह ईश्वर निर्मित है, ईश्वर की है। इसी को इषावास्योपनिषद् में इषावास्यमिदं सर्वम्⁷ कहा गया है। हम सभी को न्यासी के नाते इसे उपयोग में लाना चाहिये। भारतीय जीवन दृष्टि में चार वर्ण, चार आश्रम, पुरुषार्थ चतुष्टय की व्यवस्था धर्म आधारित जीवन रचना और विकेन्द्रीकरण विकास के प्रमुख आधार रहे

है। इसी के आधार पर हमारे विकास का घोषणा पत्र रहा 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माऽकश्चिद् दुःख भाग्भवेत्'। विकास धर्म आधारित मानव केन्द्रित (किन्तु मानव सबकुछ नहीं) एकात्म दृष्टि, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा के स्तर पर तथा व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्ठी के स्तर पर भी होना चाहिये।

सन्दर्भ —

1. महात्मा गाँधी, हरिजन — 10 फरवरी, 1940
2. महाभारत शांतिपर्व — 109—10—11
3. वैशेषिक दर्शन अ. 1 सूक्त 21
4. कल्याण धर्म शास्त्रांक — पृ. 149
5. वही धर्म शास्त्रांक — पृ. 249
6. विवेकानन्द साहि0 6—252
7. इषावास्योपनिषद — 1.1

Impact of Higher Education on Women Empowerment

Rupali Sharma¹

Abstract

India holds the second position in the world of having highest population and in total population of it, approximately 49% are females. India is country where man dominance in the society prevails. But if we analyze the current status of Indian women with other countries of the world than we can realise that the scene is not even satisfactory but the worst. Indian women generally faced all types of barriers to success like illiteracy, domestic violence, lack of motivation lack of support and many more. It is very important for the harmonious development of the country that women should be shouldered with men. Higher education plays an important role in empowering women.

Key words: Empowerment, Higher Education

Introduction

It is a big myth, if anyone thinks that womens are empowered just being highly educated and employed. Women have to awake and understand the true meaning of empowerment. Everyone must understand that empowering women doesn't mean empowering them in technical area only. Women should remember that they are also rational, intelligent and thinking human beings.

For years and years , women were always treated as lower to men in every aspect of life and they were inbound to stay inside the house. They were not allowed to vote, own property, or work in many jobs. This situation was due to strong addiction to culture and tradition by Indians. And Such things was conducted not only for the sake of society and children, but also due to own lack of confidence by womens to live as a single in society and face the challenges of life. Now that we are out of those dark ages, women are more EMPOWERED and have the confidence to do chase their dreams. This means that they have the ability to choose their own destiny, job, vote, and do anything equally which a man can do. The Oxford American Dictionary defines "empowerment" as "to make (someone) stronger and more confident, esp. In controlling their life and claiming their rights." When we talk about women's empowerment, we talk about women taking more of a leadership role instead of just being subordinates.

1. Senior Research Fellow, Dr. S.M.N Rehabilitation University, Lucknow

1. MEANING OF WOMEN EMPOWERMENT

The absence of democratic references have contributed to the slowing of women empowerment process, especially in South Asia. Women's empowerment movement has not survived in the authoritarian rule on the basis of sexuality and ideology of male domination. The perspectives of South Asia have focused on opportunities and services rather than the necessary political power. The concepts of gender discrimination and male domination have been exaggerated and have been focused on explicitly ending oppressive practices such as killing a wife or demanding dowry. There will be lasting effect in the empowerment of women; social, social, gender, which should include awareness before being subservient to women in the family, class, caste, religion or society, can be changed.

Three empirical approaches to empowerment have been tried in South Asia: Integrated Development, Economic Empowerment and Consciousness raising which has been implemented in Awareness Groups and the establishment of consciousness in education have been implemented which led to a new consciousness, i.e self value, social and gender analysis and access to skills and information. Economic empowerment approach has relied on improving women's control on economic resources and strengthening women's economic security. Gramin Bank has given an example of organizing women around savings and loans, income generation and skill training activities. The integrated development approach has encouraged a group of women who are engaged in solving development and social problems and have formed special activity groups in the form of a means of mobilizing women. No design has given assurance of success, the identity of the poorest and most dalit people in the geo-political area has provided an entry point for action. Women were encouraged to find a different time and place for themselves. There are different perceptions about the reasons for the powerlessness of women in the three above-mentioned approaches: greater poverty and access to resources, economic insecurity, and subordination within patriarchal society and socio-economic inequalities.

2. MEANING OF HIGHER EDUCATION

Higher education is the systematic knowledge and practical skills that the theoretical and practical problems allowed to be solved on the basis of given kind of training, the total utilization and the development of creative achievements of science, technology, and culture. The term "higher education" is also applied to the training of highly skilled experts in the areas of economics, science, technology, and culture in the higher school, which accept persons who have successfully completed secondary general education schools or secondary specialized-educational institutions.

Objectives

The main objectives of this research paper are:

1. To know the relevance of higher education in the women's life.
2. To analyze the need for empowerment of women.

3. To identify barriers in the way of women empowerment.
4. To examine the impact of women empowerment on the development of the country.

Research Methodology

This research paper is basically descriptive and analytical in nature. In this paper attempt has been taken to analyse the importance of higher education for women in India. The data used in it is purely from secondary sources according to the need of this study.

Literature Review

Sethuraman, K. (2008), The Role of Women's Empowerment and Domestic Violence in Child Growth and Undernutrition in a Tribal and Rural Community in South India, Research Paper No. 2008/15, United Nations University.

The research paper explores the relationship between women's empowerment, domestic violence, maternal nutritional status, and development of more than six months between the age group of 6 to 24 months in the rural and tribal communities. This longitudinal observation study included tribal and rural subjects in Rural Karnataka, India.

Doepke, M., Tertilt, M. (2011), Does Female Empowerment Promote Economic Development?

This study is an empirical analysis suggesting that money in the hands of mothers (as opposed to their husbands) benefits children. This study developed a series of non-cooperative family bargaining models to understand what kind of frictions can give rise to the observed empirical relationships.

Duflo, E. (2011), Women's Empowerment and Economic Development, National Bureau of Economic Research, Cambridge.

The study argues that the interconnection of empowerment and development is probably too weak to be self-sufficient and to have a equality between men and women, continuous policy commitment may be required for equality for self's sake.

Kingdom, G.G. (2002), Education of women and socio-economic development, Reason and Revaluation: Studies in the *Babi and Baha'i Religions*, volume 13, Los Angeles: Kalimat Press.

This research paper reflects the findings of recent research on the social and economic benefits of women's education and emphasizes the importance of the methods through which the school education of women leads to social benefits. And also supports Bahá'u'lláh perspective towards female education

Frenette, M., Coulombe, S. (2007), Has Higher Education among Young Women Substantially Reduced the Gender Gap in Employment and Earnings? Analytical Studies Branch Research Paper Series, Canada.

This research paper examines the role of the rapidly growing academic achievement among young women in increasing their relative position in the labor market and

suggests that educational trends have not contributed to the reduction of full-time employment gap.

Need of Women Empowerment

Empowerment is perhaps the totality of the following or similar abilities:

- * Being the power to make your own decision
- * Accessing information and resources to make a fair decision
- * There is a range of options that you can choose from (not just yes / no, or /.)
- * Ability to exercise strongly in making collective decisions
- * Thinking positively on the ability to make changes
- * Ability to learn skills for improving individual or group strength
- * Demonstrate the ability to change the perceptions of others.
- * Including the development process and those changes which never expire and start on itself
- * Raise your positive image and overcome stigma

Therefore, with the above mentioned points, we can divide the components of female empowerment in five components, which is self explanatory why women need empowerment: -

- The sense of a woman of self-worth;
- To determine their rights and options;
- The right to access opportunities and resources;
- The right and power to control their lives within and outside the home;
- And their ability to influence the direction of social change to create more social and economic order at national and international level.

Relationship Between Higher Education and Women Empowerment

Higher education certainly enhances the status of women whether it contributes to family income or not. She can be equal to men. Most women in our country are uneducated so they are suppressed. It is the duty of school teachers to tell them that to become a wife is not their ultimate goal. Standing on their feet and being something is more important.

Education can bring unprecedented change in the lives of women, which in turn can be a long-term social change by:

1. Enhancing Their Confidence
2. Raising their status in family and society
3. Get awareness about your rights
4. Promote your self esteem
5. Increasing Your Own Influence
6. Reducing their dependence
7. Better advancement of your children
8. Increasing their mobility
9. Opening career opportunities

Obstacles in Higher Education & Women Empowerment

There are many obstacles in the path of women's empowerment and in higher education. Some of them are as follows:

- Lack of education
- financial constraints
- Family responsibilities
- low mobility
- low capacity to bear Risk
- less necessity of achievement
- lack of ambitions for achievement
- social status

Status of Women in Indian Society

The value of a civilization can be determined by the place given to women in society. Muslim influence on India has declined the situation of women significantly. They were deprived of their rights of equality with men. Raja Ram Mohan Roy started the movement against this inequality and subordination. Contact of Indian culture with British culture also improved the status of women and the third factor in the revival of women's condition was the influence of Mahatma Gandhi, who inspired women to participate in the freedom movement. As a result of this freedom of independence, Indian women have established themselves as teachers, nurses, air hostesses, booking clerks, receptionists and doctors and in other positions. They are also participating in politics and administration. But despite this improvement in the situation of women, the evils of illiteracy, dowry, ignorance and economic slavery should be completely removed to give them the right place in Indian society.

Conclusion

On the basis of above detailed analysis it could be concluded that there is no doubt about the essential need of empowering women through higher education. Now it is cleared that only literacy is not the ultimate solution but women should be highly educated to know their rights and duties. And should be able to use their rights as per the need. But it is also mandatory that there should proper implementations what policies are made and what government of India has made different programmes regarding women empowerment.

Based on the above detailed analysis, it can be concluded that there is no doubt about the necessary requirement to empower women through higher education. It is now clear that literacy is not the ultimate solution, but women should be highly educated to know their rights and duties. And should be able to use their rights according to the need. But it is also imperative that of appropriate policies should be maintained and should be properly implemented what the Indian government has done for empowerment of women through various programs.

References

- Mammen, Kristin and Christina Paxson. 2000, "Women's work and economic development." *The Journal of Economic Perspectives* 14(4): 141-164.
- Mamoon, D. (2006). Women's Empowerment through Education. [online].SDPI Research and News Bulletin. Vol. 13, No.2 & 3 (March-June 2006).
- Maslak, M.A. & Singhal, G. (2008). The identity of educated women in India: Confluence or divergence. *Gender and Education*, Vol. 20, No.5, pp. 481-493.
- Stein, J. (1997). *Empowerment and Women Health: Theory, Method and Practice*. London: Zed Books.
- Verma, J. (2006). *Gender, Girls and Women Education*, New Delhi: Murari Lal & Sons
- Gulati, S. (2006). *Women Education in 21st Century*, Jaipur: ABD Publishers
- Hall, C.(1990). *Women and Identity: values Choices in a changing World*. New York:Hemisphere Publishing Corporation.
- Hashemi, S.,Schuler, M. & Riley, A. (1996). Rural Credit Programs and Women'sEmpowerment in Bangladesh. *World Development*, 24(4), pp. 635-53.
- Heyzer, N. (2005). Making the links: women's rights and empowerment are key to achieving the millennium development goals 1. *Gender & Development*, 13:1, 9 -12.
- Duflo, E. (2011), *Women's Empowerment and Economic Development*, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
- <http://www.slideshare.net/puneetsharma5688/women-empowermentpuneet-sharma>
- http://womeninislam.ws/en/status-of-women_indian-society.aspx
- <http://womenroleinsociety.blogspot.in/2010/06/status-of-women-in-indian-society.html>
- <http://www.bu.edu/wcp/Papers/Huma/HumaSing.htm>
- <http://www.civilserviceindia.com/subject/Essay/women-empowerment-challenges-and- prospects.html>
- faculty.wcas.northwestern.edu/.../research/Doepke_Tertilt_0411.pdf
- http://bahai-library.com/kingdon_education_women_development
- www.statcan.gc.ca/pub/11f0019m/11f0019m2007301-eng.pdf

पर्यावरण मैत्री

डॉ० प्रज्ञा मिश्रा¹

प्रकृति एवं पर्यावरण, संस्कृति एवं संस्कार की शिक्षा के लिये अद्वितीय दृष्टांत, संवेदना एवं परस्परपूरकता का भाव, महाकवि कालिदास की तूलिका का अनुपम चित्र युवा पीढ़ी एवं प्रबुद्ध जन को आकृष्ट किये बिना नहीं रह सकता।

प्रकृति नटी के कुशल चितेरे महाकवि कालिदास के आश्रमों एवं विद्या केन्द्रों के मुखिया, कुलगुरु या कुलपति द्वारा अपनी संतान/छात्र/छात्रा को सर्व प्रथम 'प्रकृति देवो भव' की शिक्षा दी जाती थी।

पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या,
नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्।

आद्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः,

सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्॥¹

अर्थात् जो तुम्हें (पेड़-पौधों को) सींचे बिना जल भी नहीं पीना चाहती थी, जो अलंकार प्रिय होने पर भी स्नेह के कारण तुम्हारे लाल-लाल कोमल पत्तों को भी नहीं तोड़ती थी। तुम्हारे पहले-पहले फूलने पर जो उत्सव मनाती थी, वही शकुन्तला आज अपने पति के घर जा रही है, आप सब उसे जाने की अनुमति दीजिए। वनस्पति वर्ग के साथ कितना सुन्दर तादात्म्य! कितना उदात्त मानवीकरण! जो साहित्य में भी अन्यत्र दुर्लभ है। यह श्लोक प्रकृति के साथ आत्मीयता का अद्वितीय उदाहरण है।

महर्षि कण्व अपनी दत्तक पुत्री को प्रातः उठते ही पौधों के जल सिंचन का कार्य देते हैं। वह चाय, कॉफी दूध या जल पिये बिना ही प्रातः सर्व प्रथम बागवानी करती है, पौधों को जल देती है, जब जल पीती है। श्रृंगार प्रिय है किन्तु फूल नहीं तोड़ती। पौधों में पहली बार कोंपल आने पर वह सखियों के साथ उत्सव

1. अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, म.गौ.चि.ग्रा.वि.वि, चित्रकूट, सतना, म.प्र.

मनाती है और जब वह पहली बार ससुराल जा रही है तब कण्व ऋषि उन्हीं पेड़ पौधों से आशीर्वाद देने एवं बेटी को ससुराल जाने की अनुमति देने का अनुरोध करते हैं।

सम्पूर्ण प्रकृति को स्मरण कराते हैं कि जो बेटी तुम सबको स्वयं से अधिक प्यार करती है, वह आज अपने गृहस्थ जीवन में प्रथमतः प्रवेश करने जा रही है। प्रकृति भी उसके लिये हर सम्भव उपहार एवं आशीष देती है। कोई महावर देता है, कोई श्रृंगार हेतु पुष्प देता है, कोई उसके जाने का मार्ग सुगम करने हेतु मार्ग में छाया कर देता है, तो कोई मार्ग पर पुष्प वर्षा कर देता है। पेड़ पत्तों के माध्यम से आँसू बहा रहे हैं। मृग छौना (जिसे शकुन्तला ने पाला था, उसकी सेवा की थी) उसका पल्ला पकड़ लेता है, उसे जाने नहीं दे रहा है। सम्पूर्ण प्रकृति उस बेटी की विदाई में दुःखी है। यथा—

**क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्डुतरुणा मांगल्यमाविष्कृतं,
निष्ठ्यूतश्चरणोपरागसुभगो लाक्षारसः केनचित्।
अन्येभ्यो वनदेवताकरतलैरापर्वभागोत्थितै
र्दत्तान्याभरणानि नः किसलयच्छायापरिस्पर्द्धिभिः॥²**

अर्थात् किसी वृक्ष ने चन्द्रवत् शुभ्र मांगलिक वस्त्र उत्पन्न करके दिए, किसी ने पाँव रंगने के लिए अतीव सुन्दर महावर निकाल कर दिया और इसी प्रकार अन्य वृक्षों ने मणिबन्ध प्रदेश तक बाहर निकले हुए पल्लवों के समान सुन्दर वन देवताओं के हाथों से हमें ये आभरण आदि समर्पित किए। इस प्रकार समस्त प्रकृति ने शकुन्तला को अमूल्य उपहार देकर अपनी पुत्री जैसा स्नेह प्रदान किया।

आज जब मानव—मानव से बात करने में सकुचाता है, उसके पास समय नहीं है। परिवार रिश्ते एवं पड़ोस से अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

मानव मानवतारहित है, प्रकृति का दोहन बिना सोचे समझे करता है। स्वार्थपरता के लिये जी रहा है। मशीनरी एवं संसाधनों को उद्देश्य एवं लक्ष्य बना रहा है। सम्पूर्ण शिक्षा पुस्तकों एवं मस्तिष्क में बन्द है, मानव—व्यवहार से तिरोहित है। मानव बिल्डिंग पर बिल्डिंग बना रहा है। मशीनों से जल खींचकर सम्पूर्ण जल, मिट्टी, पौधे एवं जंगल को नष्ट करने में लगा है। उस समय महाकवि कालिदास का प्रकृति प्रेम, प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संतुलन मानवता के लिये अत्यन्त उपादेय है।

मेघदूत में यक्ष अपना संदेश मेघ के माध्यम से अपनी प्रिया के पास भेजता है। यक्ष के द्वारा मेघ को अपनी प्रिया के लिये भाभी शब्द का सम्बोधन प्रकृति के प्रति मानवीय भाव को दर्शाता है। अपनी प्रिया के घर की पहचान बताते हुए महाकवि कहते हैं—

तत्रागारं धनपतिगृहादुत्तरेणास्मदीयं,

दूराल्लक्ष्यं सुरपतिधनुश्चारुणा तोरणेन।
यस्योपान्ते कृतकतनयः कान्तया वर्धितो मे,
हस्तप्राप्यस्तवकनमितो बालमन्दारवृक्षः॥³

अर्थात् हे मेघ! उस अलकापुरी में कुबेर के प्रासाद के उत्तर भाग में अवस्थित हम लोगों का भवन इन्द्रायुध के समान सुन्दर बाहर के दरवाजे से दूर से दिखाई देता है। जिसके पार्श्व में मेरी प्रिया के द्वारा पुत्र के समान बढ़ाया हुआ और हाथों से तोड़े जाने वाले गुच्छों से झुका हुआ छोटा सा मन्दार का वृक्ष है।

उपर्युक्त श्लोक के अर्थ से स्पष्ट है कि उस काल में लोग वृक्षों को अपने औरस सन्तानों के समान स्नेह से पालते थे। सम्पूर्ण प्रकृति में अभेददर्शन तथा तादात्म्य प्रदर्शन केवल शब्दों तक ही सीमित न था किन्तु वह उस समय के जनसामान्य की हार्दिक अनुभूति थी। वर्तमान में वृक्षों तथा वनस्पतियों के लिए इसी प्रकार के लगाव की आवश्यकता है जिससे पर्यावरण के बिगड़ते स्वरूप को पुनः सँवारने में पर्याप्त सहायता मिल सकती है। महाकवि कालिदास का सन्देश है कि केवल वृक्ष, लताओं और वनस्पतियों के प्रति ही नहीं, किन्तु पर्वतों, नदियों और धरती के प्रति भी हमारा संवेदनात्मक सम्बन्ध होना चाहिए। वे (पर्वत, नदियाँ आदि जड़ प्रकृति) भी हमारे कौटुम्बिक सदस्य हैं, इसी अनुभूति को प्रकट करते हुए यक्ष कहता है (हे मेघ मैं) तुमको जगत् विख्यात पुष्कर और आवर्तक (नाम वाले मेघों) के कुल में उत्पन्न अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाला इंद्र का प्रधान पुरुष जानता हूँ। यही कारण है कि भाग्यवश मैं प्रियतमा से बिछुड़ा हुआ तुम्हारे पास याचना करने आया हूँ।

जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्तकानां,
जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः।
तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशाद् दूरबन्धुर्गतोऽहं,
याच्चा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा॥⁴

आज मानव-मानव से याचना करने में शर्माता है। उसका अहंकार सामने आता है। किन्तु कालिदास प्रकृति से याचना करते हैं।

तभी उनकी प्रकृति हरी भरी एवं सुखदायी है। शाकुन्तलम् की नायिका को नायक एक लता की भाँति देख रहा है। “अधरः किसलय रागः” वह पल्लव शाखा और पुष्प संयुक्त लता है। वह नायिका प्राकृतिक रूप में अधिक सुन्दर लग रही है। यथा—

सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं,
मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति।
इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी,
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्॥⁵

अर्थात् शेवाल से आच्छादित होने पर भी कमल सुन्दर ही प्रतीत होता है। मलिन होने पर भी चन्द्रमा का कलंक शोभा का ही विस्तार करता है। उसी प्रकार यह कृशांगी बाला भी वल्कल धारण कर और अधिक मनोहर दिखाई पड़ती है। वस्तुतः स्वभाव से मधुर लगने वाली आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु अलंकरण का साधन नहीं बन जाती। वल्कल धारण करके उसका (शकुन्तला का) रूप और निखरता है। सौन्दर्य का मूलकारण केवल बाह्य वस्त्राभूषण आदि नहीं, किन्तु शुद्ध, सरल एवं स्वस्थ प्राकृतिक जीवन होता है। इसी प्रकार—

कठिनमपि मृगाक्ष्या वल्कलं कान्तरूपं
न मनसि रुचिभंगं स्वल्पमप्यादधाति।
विकचसरसिजायाः स्तोकनिर्मुक्तकण्ठं,
निजमिव कमलिन्याः कर्कशं वृन्तजालम्॥⁶

अर्थात् इस मृगनयनी के कोमल शरीर के लिए यद्यपि यह वल्कल कठोर है तथापि जैसे जल से किंचित् बाहर निकली हुई विकसित कमलिनी का अपना कर्कश वृन्तसमूह किसी भी प्रकार अरुचिकर नहीं लगता, वैसे ही इसके द्वारा धारण किया गया यह रुक्ष वल्कल मन की रुचि में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं करता।

रघुवंश में राजा दिलीप नंदिनी गाय को बचाने के लिये स्वयं को शेर के सम्मुख प्रस्तुत कर देते हैं। कुमारसम्भवम् में पार्वती प्रकृति के सानिध्य में अपने इष्ट की आराधना करती है। उपमा के लिये भी महाकवि प्रकृति के सर्वोपरि उदाहरण का चयन करते हैं। “अभिज्ञानशाकुन्तलम्” में शकुन्तला का आश्रम के कठिन कार्य में नियुक्त होगा दुष्यन्त को ‘नीलकमल’ के पत्ते के किनारे से शमीलता को काटने का प्रयास दिखाई दे रहा है।

इस प्रकार महाकवि कालिदास का साहित्य पढ़ कर इंसान इंसानियत सीख सकेगा। मानव में प्रकृति संरक्षण का भाव आयेगा। पर्यावरण प्रदूषण दूर होकर पर्यावरण संरक्षित होगा।

प्रकृति प्रेम का अनुशीलन करके पुनः हरी-भरी, सुन्दर, पोषक तथा सुखदायी प्रकृति होगी। हम प्रकृति के भक्षक नहीं रक्षक होंगे। प्रकृति हमें देती है सब कुछ हम भी प्रकृति को देना सीखें।

सन्दर्भसूची

1. अभिज्ञान शाकुन्तलम् चतुर्थ अंक, श्लोकसंख्या— 11, व्याख्याकार— डा० वेदप्रकाश शास्त्री, प्रकाशक— चौखम्भा विद्याभवन वाराणसी, संस्करण— सन् 2008 ई०।
2. अभिज्ञान शाकुन्तलम् चतुर्थ अंक, श्लोकसंख्या— 7, व्याख्याकार— डा० वेदप्रकाश शास्त्री, प्रकाशक— चौखम्भा विद्याभवन वाराणसी, संस्करण— सन् 2008 ई०।
3. मेघदूतम्, उत्तरमेघ, श्लोकसंख्या— 12, व्याख्याकार— डा० शेषराज शर्मा रेग्मी, प्रकाशक— चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी, संस्करण— सन् 2003 ई०।
4. मेघदूतम्, पूर्वमेघ, श्लोकसंख्या— 6, व्याख्याकार— डा० शेषराज शर्मा रेग्मी, प्रकाशक— चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी, संस्करण— सन् 2003 ई०।
5. अभिज्ञान शाकुन्तलम् प्रथम अंक, श्लोकसंख्या— 20, व्याख्याकार— डा० वेदप्रकाश शास्त्री, प्रकाशक— चौखम्भा विद्याभवन वाराणसी, संस्करण— सन् 2008 ई०।
6. अभिज्ञान शाकुन्तलम् प्रथम अंक, श्लोकसंख्या— 21, व्याख्याकार— डा० वेदप्रकाश शास्त्री, प्रकाशक— चौखम्भा विद्याभवन वाराणसी, संस्करण— सन् 2008 ई०।

शिक्षा का निजीकरण— समाधान या समस्या

डॉ. रेनू गुप्ता¹

सारांश

शिक्षा व्यक्ति की अन्तर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व को विकसित करने वाली प्रक्रिया है। हमारे देश में जनसंख्या का बढ़ता दबाव, कोषों की कमी की वजह से सरकार शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दे पा रही है। इसलिये सरकार ने इसे निजी क्षेत्र में सौंपने का फैसला किया, जो शिक्षा के निजीकरण से सम्बन्धित है। शिक्षा के निजीकरण से आशय शिक्षा को निजी हाथों में सौंपना है। शिक्षा के निजीकरण से शिक्षा व्यवस्था में कुछ अनुकूल परिवर्तन आये हैं, वहीं दूसरी तरफ इसने गम्भीर समस्याओं को भी जन्म दिया है, जिनका यदि समय रहते समाधान नहीं किया गया तो यह देश की नींव को भी हिला सकती है। आधुनिक युग में खासतौर पर राज्य द्वारा उदारीकरण की नीति अपनाने के बाद निजी निकायों को शैक्षणिक संस्थान खोलने की अनुमति दी गयी है। शिक्षा के ऊपर सरकार के पूर्ण एकाधिकार वाली स्थिति में बदलाव हुआ है, जिससे निजी संस्थाओं को फलने-फूलने का अवसर मिला तथा शिक्षा का निजीकरण होने से शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन आये हैं। शिक्षा के निजीकरण ने शिक्षा के स्तर में सुधार कर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया है।

प्राचीन काल से ही शिक्षा मानव जीवन का अभिन्न अंग रही है, क्योंकि शिक्षा मस्तिष्क का संवर्धन कर दक्षता— प्राप्ति द्वारा जीवन को सन्तोषजनक बनाती है। शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण, और तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्ति आदि समाविष्ट है। इस प्रकार यह कौशलों, व्यापारों या व्यावसायों, मानसिक, नैतिक और सौन्दर्य विषयक के उत्कर्ष पर केन्द्रित है।

1. प्रवक्ता, समाजशास्त्र विभाग, एकलव्य, महाविद्यालय, बांदा, उ०प्र०

शिक्षा, समाज की एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास है। इस विचार से शिक्षा एक संस्था के रूप में कार्य करती है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 के अनुसार— “शिक्षा राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का शक्तिशाली साधन है, शिक्षा राष्ट्रीय सम्पन्नता एवं राष्ट्र कल्याण की कुंजी है।” आज शिक्षा वह नींव है जिस पर आधुनिक समाज के स्तम्भ खड़े हैं। आज शिक्षा का सर्वव्यापीकरण हो गया है। आज अनौपचारिक एवं सस्ती शिक्षा आज अति विशिष्ट हो गई है अधिकांश देशों में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया है, लेकिन भारत जैसा विकासशील देश आर्थिक दबाव के कारण शिक्षा पर अधिक व्यय वहन नहीं कर सकता है। हमारा शिक्षा व्यय हमारे सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 2.8 प्रतिशत है जबकि विकसित देशों में सामान्यतः स्वीकृत मानदण्ड 6 प्रतिशत या उससे भी अधिक है।¹ इसके फलस्वरूप शिक्षा यहाँ बड़े प्रचार से वंचित रही है। सरकार के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या व कोषों की कमी एक गम्भीर समस्या है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की जरूरत है और इसे बेहतर करने के लिए शिक्षा का निजीकरण आवश्यक है।

शिक्षा के निजीकरण का अर्थ शिक्षा के क्षेत्र में निजी संस्थानों, कंपनियों के प्रवेश से है। यह प्रवेश स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा में सुधार, विकास व विस्तार आदि उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये दिया गया था। तब से आज तक निजी क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में अपना कभी न समाप्त होने वाला अस्तित्व स्थापित कर चुका है। यह पूर्णतः सत्य है कि कोई भी योजना या नीति अच्छे उद्देश्य से लागू की जाती है परन्तु उस योजना से जुड़े व्यक्ति अपनी सफलता, व सत्ता में वशीभूत होकर सामाजिक कल्याण को भूल कर स्वहितों की पूर्ति में लिप्त हो जाते हैं। यही स्थिति शिक्षा के निजीकरण को लेकर हुई। शिक्षा के निजीकरण ने शिक्षा के स्तर में सुधार, विकास व फैलाव में बहुत मदद कर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया है। इसे और बेहतर करने के लिए समाज, सरकार व निजी क्षेत्र को मिलाकर एक कमेटी बनानी चाहिए इससे शिक्षा का विकास होगा, लोग साथ मिलकर काम करेंगे, इससे जो जिस क्षेत्र में मजबूत होगा, वह अपना योगदान उस क्षेत्र में करेगा। परन्तु निजीकरण की सफलता ने शिक्षा को मात्र आर्थिक रूप से समृद्ध वर्ग व अंग्रेजी शिक्षा विस्तार का रूप प्रदान किया है व बड़ी संख्या में जनसंख्या की इन विद्यालयों तक पहुंच बहुत ही सीमित है जिसमें सुधार की आवश्यकता है क्योंकि शिक्षा कोई वस्तु नहीं जिसे खरीदा या बेचा जाये।²

शिक्षा के निजीकरण की आवश्यकता इसलिए भी महसूस की जा रही है कि वर्षों से राज्य-प्रायोजित शिक्षा ने इस क्षेत्र को लगभग जनसेवा में तब्दील कर दिया है और विशेषकर इसके प्रत्यक्ष लाभान्वितों (छात्रों) ने इसके महत्व को तरजीह नहीं दी है। अतः यदि शिक्षा देने के बदले उसकी सम्पूर्ण कीमत या

आंशिक कीमत, शिक्षा-शुल्क आदि के रूप में वसूल की जाती है, तो एक तो छात्र इसके महत्व को समझेगें, दूसरे इसे गंभीरता से लेंगे, जिससे उनकी और शिक्षा दोनों की गुणवत्ता बढ़ेगी।

भारत में सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत को देखते हुए अभिभावक अपने बच्चों को अब निजी स्कूलों में भेज रहे हैं। अभिभावकों के निजी स्कूलों में भेजने के पीछे तीन कारण हैं। पहली यह निजी स्कूल बेहतर शिक्षा मुहैया कराते हैं, दूसरी सस्ती और तीसरी बात यह है कि बच्चों और उनके अभिभावकों के प्रति अधिक जवाबदेह होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि शिक्षा संस्थानों के निजीकरण किये जाने के क्या कारण हैं ? इन पर प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। इनमें जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होना, सरकारी शिक्षा प्रणाली में कमी होना, निजी स्कूल बजट के हिसाब से भी सस्ते हैं, शिक्षा के नाम से आये हुए धन का दुरुपयोग, सुविधाओं की कमी, शिक्षा के लिए कोष का अभाव होना जबकि निजी स्कूल सरकारी स्कूलों के मुकाबले बेहतर और सस्ती शिक्षा मुहैया कराते हैं। सरकार इस वास्तविकता से आँख नहीं मूंद सकती है। इनसे बचने का सबसे आसान उपाय यह है कि सरकार छात्रों को फंड मुहैया कराए। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012-13 में शिक्षा के लिए राज्य बजट का 22.1 प्रतिशत हिस्सा खर्चा किया गया था, किन्तु यह चार साल में घट कर 17.2 प्रतिशत पर आ गया।³ शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप होना भी निजीकरण को बढ़ावा देता है। जब दशकों से सरकारों को यह पता है, कि स्कूलों में शौचालय नहीं हैं या पीने का पानी नहीं है या शिक्षक नहीं है, तो फिर भी स्थिति क्यों नहीं बदली ? स्थिति इसलिए नहीं बदलती क्योंकि शिक्षा का मामला राजनीति और नीति के स्तर पर जुबानी प्रतिबद्धता का विषय है, क्रियान्वयन की प्रतिबद्धता का नहीं। इस पर भी पिछले 26 सालों में हमारी सरकारों ने मान लिया है कि शिक्षा का निजीकरण ही सबसे उचित विकल्प है, संविधान के भीतर मौलिक अधिकार बनने के बावजूद, इस विषय को सबसे ज्यादा सरकारों ने ही नजरअंदाज किया है। सरकारें एक सौ रुपये में से केवल 25 पैसे निगरानी और निरीक्षण पर और 40 पैसे शिक्षकों के प्रशिक्षण पर खर्च करती हैं भारत में बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में ही अभी 5 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, जबकि 1.05 लाख सरकारी स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे पर हैं। शिक्षकों की कमी होना या अनुपस्थित रहना अब आम बात होती जा रही है। शिक्षकों का अन्य कार्यों में व्यस्त (जैसे चुनाव, जनगणना, पोलियो ड्यूटी इत्यादि) रहने से भी शिक्षण कार्य बाधित होता है।

एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट भारत में पिछले दस साल से जारी हो रही है, इस रिपोर्ट के अनुसार पाँचवी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे दूसरी कक्षा का

पाठ नहीं पढ़ पाते हैं। आठवीं के बच्चों को जोड़ना-घटाना, भाग देना नहीं आता है इस रिपोर्ट के अनुसार तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले 42.3 प्रतिशत बच्चे कक्षा एक की विषय सामग्री पढ़ पाते हैं। कक्षा तीन के 27.7 प्रतिशत बच्चे दो अंकों वाला घटाना कर पाते हैं, जबकि कक्षा पांच के 26 प्रतिशत बच्चे ही सामान्य भाग दे पाते हैं सरकारी स्कूलों की ऐसी हालत देखकर शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा मिला है। पढ़ाई का कमजोर स्तर व अकुशल प्रबंध संचालन व नये-नये प्रयोगों का अभाव, धन का अभाव, पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर में असमानता होना व सरकारी शिक्षा संस्थानों में शिक्षा के मानकीकरण का अभाव जैसे खेलकूद का मैदान न होना, आकर्षक भवन, विद्यालय एक ही कमरे में संचालित होना व पानी तथा शौचालय की व्यवस्था न होना तथा बच्चों को बैठने के लिए कुर्सी-मेज आदि का इस्तेमाल न होना, शिक्षा कमीशनों (मुद्लिअर कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन एवं कोठारी कमीशन) की अनुशंसाओं का अंशतः भी पालन न होना, लोगों में सरकारी शिक्षण संस्थाओं के प्रति आकर्षण व विश्वास का अभाव, सरकारी शिक्षा संस्थाओं में आधुनिक शिक्षा पद्धति का अभाव, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कारों का अभाव, भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों को पोषित करने में आज की शिक्षा पद्धति विफल साबित हुई है। ये कुछ कारण हैं जो शिक्षा को निजीकरण के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने शिक्षा के निजीकरण को अपने लाभ का जरिया बना लिया है, उनकी कोशिश होती है कि वे अपनी शिक्षा रूपी दुकान को आधुनिक रूप से सजा-संवार कर लोगों के बीच पेश करें, ताकि इस आकर्षण में आकर लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगे। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों कहा है कि “शिक्षा को धंधा बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती” लेकिन निजी शिक्षण संस्थाओं ने इसका दुरुपयोग कर तमाम तरह के शुल्क के नाम पर शिक्षा को वसूली और मुनाफाखोरी का जरिया बना दिया है। देश के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए दान के रूप में वसूली जाने वाली कैपिटेशन फीस को अवैध करार दिया है। निजी स्कूलों में दाखिले के इच्छुक बच्चों के अभिभावकों के लिए दान का खेल मुसीबत का सबब बन गया है। स्कूल में बच्चे का दाखिला करवाने से पहले तमाम तरह की फीस के अलावा दान के रूप में भारी-भरकम रकम ऐंठते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) जी के तहत शिक्षा मौलिक अधिकार है, इसलिए शिक्षा के नाम पर किसी भी व्यक्ति या संस्था को व्यवसाय करने की छूट नहीं दी जा सकती है। अदालत ने निजी स्कूल मालिकों से दो टूक कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में वही लोग आयें जो नो प्राफिट नो लॉस के आधार पर काम करने को तैयार हैं। जिनका मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना है वे शिक्षा को छोड़कर अपने लिए कोई दूसरा काम देख लें। अदालत का यह फैसला बहुत अच्छा है लेकिन निजी संस्थाओं ने आकर्षक भवन- सुविधाएं,

तकनीक, खेलकूद व्यवस्थाएँ जैसी सुविधाओं का प्रलोभन देकर जनता को आकर्षित करना व लाभ कमाना, ये उपाय आज के समय में चलन में आ गये हैं। सरकारी संस्थाएँ इनका मुकाबला नहीं कर पातीं, इसलिये इनके प्रति लोगों में विशेष लगाव नहीं है। निजी संस्थाएँ अपना प्रभाव तो छोड़ती हैं लेकिन शिक्षकों को कम वेतन देकर व कुशल शिक्षक न रखकर अधिक से अधिक लाभ कमाने की होड़ में लगी रहती हैं। एक रिसर्च के अनुसार निजी और गैर वित्तीय सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों का वेतन सरकारी स्कूलों की तुलना में 5-7 गुना कम है। निजी संस्थाएं शिक्षकों को कम वेतन देकर, अच्छी शिक्षा की कल्पना मात्र करते हैं।¹⁴

कहीं-कहीं मकानों के भीतर एक या दो कमरों में स्कूल चलाये जा रहे हैं। बगैर खेलकूद मैदानों के निजी विद्यालय कार्यरत हैं। जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। एक-एक कक्षा में अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को अध्ययन कराया जाता है। पर्याप्त संसाधन व मानक नहीं होते फिर भी इन संस्थानों को चलाने की मान्यता मिल जाती है, जो देश का भविष्य कहलाने वाले बच्चों से धोखा है। शिक्षा के निजीकरण का प्रभाव यह पड़ता है कि इन शिक्षण संस्थानों में बहुत सी कमियां पाई जाती हैं। यहां पर ज्यादातर निजी शिक्षण संस्थानों में मनमानी फीस वसूली जाती है तमाम तरह के शुल्क जिनमें भवन फीस, कम्प्यूटर फीस, बिजली फीस आदि शामिल है। इनके अतिरिक्त अधिकतर निजी संस्थाओं के पास स्वयं के भवन व खेलकूद के पर्याप्त साधन नहीं है।¹⁵ शिक्षा के निजीकरण से समाज को तभी लाभ हो सकता है। जब कुछ कमियों को दूर करके इसके लिए कारगर कदम उठाये जायें, जिनमें शिक्षा पर व्यय बढ़ाकर कम से कम सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6 प्रतिशत किया जाये एवं शिक्षा के व्यापारीकरण अथवा बाजारीकरण को रोकने हेतु केन्द्र सरकार अधिक कठोर कानून बनाये जिससे शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगे और आधारभूत ढाँचे वाली शिक्षण संस्थाओं को अनुमति दी जाये साथ ही शिक्षा को राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखा जाये तथा मानकों का सही तरीके से पालन कराया जाये व शिक्षा के अधिकार को सही तरीके से लागू किया जाये। प्रशिक्षित अध्यापक रखे जायें व सही वेतन दिया जाये एवं कक्षा में बच्चों और शिक्षकों का अनुपात सही होना चाहिए। स्कूलों में निम्न आय वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान कड़ाई से लागू करवाया जाये एवं स्कूलों में दान का खेल खत्म किया जाये तथा स्कूलों में भेदभाव खत्म किया जाये। निजी संस्थाओं को भी सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाना अनिवार्य किया जाये और सरकार के द्वारा तय मानदंडों शिक्षक-छात्र अनुपात, भवन, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, खेल-सामग्री व अन्य सुविधाओं पर खरा उतरना होगा।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि शिक्षा जो कि देश की नींव के बीज बोती है, उसके प्रति इस प्रकार रवैया नहीं होना चाहिए। बच्चे देश का भविष्य होते हैं और उनके प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है। इसके लिए ऐसे निजी शिक्षण संस्थानों पर नकेल कसें जो कि शिक्षा नीति के मानदंडों को पूरा नहीं करती और न ही बच्चों के भविष्य के प्रति जागरूक हैं और अच्छी निजी एवं सरकारी शिक्षण संस्थानों का विकास किया जाये जिसमें स्वस्थ वातावरण का विकास हो और शिक्षा के पावन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके साथ ही देश व समाज को सही दिशा मिल सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची—

1. कुमार कृष्ण, 1998 शैक्षिक ज्ञान और वर्चस्व— दिल्ली : ग्रन्थशिल्पी
2. अग्रवाल जे0सी0, 1968 स्वतंत्र भारत में शिक्षा का विकास— दिल्ली : आर्य बुक डिपो
3. रैना विनोद, 2009 शिक्षा का अधिकार कानून—शिक्षा विमर्श, दिल्ली : नवम्बर—दिसम्बर
4. शिक्षा अभिव्यक्ति (वार्षिक अंक) 3—4 2004—05
5. मिश्र समीरात्मज, निबन्ध मंजूषा : द्वितीय संस्करण

महबुलिया

डॉ. राजेश कुमार पाल¹

भारतीय परम्पराओं को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—वृहत परम्परा या दीर्घ परम्परा एवं लघु परम्परा। वृहत परम्परा वह है जो स्कूलों, मंदिरों में पोषित होती हैं, जिनका उल्लेख हमारे धर्मग्रन्थों में मिलता है, जो लिखित हैं, शास्त्रीय हैं, व्यवस्थित हैं तथा चिन्तनशील हैं। वृहत परम्परा को कुछ समाजशास्त्री उच्च लोगों की परम्परा या अभिजात वर्ग की परम्परा भी कहते हैं। लघु परम्परा अलिखित, अशास्त्रीय, कम व्यवस्थित, कम चिन्तनशील व स्थानीय होती है। लघु परम्परा को अशिक्षित लोगों की परम्परा माना जाता है, जो स्वयंसिद्ध होती है और इसका हस्तान्तरण मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। लघु परम्परा का प्रचलन कृषक समाजों में अधिक देखने को मिलता है।

“महबुलिया” या “महबुल दाई” को हम लघु परम्परा के अन्तर्गत रख सकते हैं। महबुलिया छोटी बच्चियों का पर्व है जो पितृपक्ष या पितर पक्ष में मनाया जाता है। महबुलिया का कोई लिखित इतिहास या कोई लिखित कहानी नहीं मिलती है। लिखित इतिहास न होने से यह क्यों मनाई जाती है, कोई स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं हो पाता। महबुलिया के सम्बन्ध में जो कुछ भी जानकारी मिलती है, वह सब मौखिक है। एक विशेष बात यह भी है कि महबुलिया सब जगह नहीं मनाई जाती। महबुलिया का प्रचलन बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में ही विशेषकर देखने को मिलता है।

महबुलिया नामक लघु परम्परा को जानने के लिए हमने बुन्देलखण्ड क्षेत्र के बांदा एवं चित्रकूट जनपद के ग्रामीण अंचलों व कस्बों में सहभागी अवलोकन एवं अनौपचारिक साक्षात्कार प्रविधि को अपनाते हुए अनेकों बुजुर्ग व्यक्तियों एवं महिलाओं से इसके विषय में जानकारी प्राप्त की है। विभिन्न व्यक्तियों ने महबुलिया के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न दंतकथाओं का भी वर्णन किया है जिनमें कुछ का उल्लेख प्रस्तुत शोध पत्र में भी किया गया है। मौखिक स्रोत के आलावा महबुलिया के संबंध में जानने के लिए अन्य कोई माध्यम प्राप्त नहीं हो सका है।

1. असि. प्रोफेसर, समाजशास्त्र,, गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कर्वी चित्रकूट उ.प्र.

महबुलिया सितम्बर-अक्टूबर में ग्रामीण अंचलों व छोटे कस्बों की छोटी-छोटी बच्चियों के द्वारा मनाया जाता है। पितृपक्ष में गांव की लड़कियां सुबह से ही विभिन्न प्रकार के रंग-बिरंगे फूल एकत्रित करने में जुट जाती हैं। ये फूल कनेर, चकौड़ा, बेसरमा, गुलाब, गेंदा, चमेली, विभिन्न प्रकार की शाक-भाजी के फूल व स्थानीय क्षेत्र में उपलब्ध झाड़ियों, वनस्पतियों के फूल आदि हो सकते हैं। एक गांव या कस्बे में कई महबुलिया सजाई जा सकती हैं। चूँकि गांव जातियों के हिसाब से विभिन्न थोकों में बटा रहता है। अतः फूल एकत्र करने के लिए भी लड़कियों का समूह जातियों के थोकों के अनुसार निकलता है। फूल एकत्र करके एक डलिया में रख दिए जाते हैं या फिर लड़कियाँ अपने-अपने फूलों को अपने घर ले जाती हैं। फूल एकत्र करने की प्रक्रिया दोपहर तक चलती है। दोपहर बाद शाम को प्रायः तीन बजे से छः बजे के बीच महबुलिया का सृजन किया जाता है। जिस स्थान पर महबुलिया को सजाना होता है, उसे पहले गोबर से लीप दिया जाता है। महबुलिया को अधिकतर चबूतरे या सफाईयुक्त स्थान पर ही सजाया जाता है। अब कुछ लोग लीपे हुए स्थान पर आटे का चौक भी पूरने लगे हैं। उस लीपे हुए स्थान के बीचों-बीच बबूल की कांटेदार सूखी हुई टहनी गाड़ी जाती है। उस टहनी को सबसे ज्यादा उपयुक्त समझा जाता है जिसमें कांटे सबसे अधिक हों। कांटेदार बबूल की टहनी को बुन्देलखण्ड के ग्रामीण अंचलों में “झांखर” कहा जाता है। लीपे हुए स्थान पर बबूल की गड़ी हुई टहनी (झांखर) पर सभी लड़कियाँ प्रत्येक कांटे में एकत्रित किए हुए फूलों को लगाती हैं। यह ध्यान रखा जाता है कि टहनी की सभी शाखाओं के कांटों पर फूल लगे हैं कि नहीं। जब टहनी की सभी शाखाओं के कांटों पर फूल लग जाते हैं तो वह टहनी बड़ी सुन्दर दिखती है। संक्षेप में फूलों से लदी हुई टहनी को ही “महबुलिया” कहा जाता है। यह महबुलिया कुछ देर उस स्थान पर रहती है और उसके चारों तरफ लड़कियाँ बैठी रहती हैं। सभी लड़कियाँ हम उम्र की होती हैं। सामान्यतः लड़कियों की उम्र पांच से चौदह साल तक की होती है। पर इससे बड़ी उम्र की लड़कियाँ व औरतें भी इसमें भाग ले सकती हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है। छोटे-छोटे लड़के भी इसमें शामिल रहते हैं, पर उनकी संख्या कम होती है।



**महबुलिया को सजाती
हुई एक लड़की**

महबुलिया के निर्माण के पश्चात विसर्जन की तैयारी की जाती है। यह विसर्जन मुख्यतया तलैयाँ, पोखरों, नहर, तालाबों या नदी में किया जाता है। इनके न होने पर उस गांव या कस्बे में जो भी जलस्रोत होता है, उसे विसर्जन के लिए चुना जाता है। महबुलिया विसर्जन के पहले रास्ते में लड़कियां कुछ गीत गाती हैं। जिस टहनी पर महबुलिया सजायी जाती है, उसमें नीचे पकड़ने के लिए पर्याप्त डंठल होता है। इस डंठल को कई लड़कियां पकड़कर उपर उठाये रहती हैं। रास्ते में चलते-चलते इसकी अदला बदली भी करती जाती हैं। रास्ते में जो गीत लड़कियों द्वारा गाये जाते हैं वे कुछ इस प्रकार हैं—

महबुलियां के नौ—दस फूल, झलर रही मोर महबुलिया।

मोर बाबा बवा आयो खेत, झलर रही मोर महबुलिया।

मोर दाई निरा आई खेत, झलर रही मोर महबुलिया।

मोर बप्पा बवा आयो खेत, झलर रही मोर महबुलिया।

मोर अम्मा निरा आई खेत, झलर रही मोर महबुलिया।

ये गीत समूह में गाये जाते हैं और स्वेच्छानुसार रिश्तेदारों के नाम और भी बढ़ा सकती हैं। ये गीत भी अलग-अलग गांव में अलग-अलग हो सकते हैं। कई गीतों में क्रमबद्धता भी नहीं दिखाई देती। कुछ लड़कियां ये गीत भी गाती हैं—

महबुल दाई—महबुल दाई, दाल—भात न खाये।

बहुरी के धोखे बिनौरी चबाय, चंदन चौकी मा बैठाय।

पंगड़ी के फूल झरे, चल सखी बीने चले पार्वती।

महबुलिया का विसर्जन करने हेतु जाती लड़कियां



इस प्रकार टूटे-फूटे गीत गाते हुए ये लड़किया अपनी-अपनी महबुलिया लेकर अपने समीप के ताल-तलैयाँ के पास जाती हैं और पानी में डुल को पकड़कर पाँच-छः बार झप-झपाती हैं। ऐसा करने पर कांटों में लगे हुए सभी फूल पानी पर तैरने लगते हैं। यह प्रक्रिया कई लड़किया बारी-बारी से करती हैं, जब तक कि सब फूल कांटों से न निकल जायें। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में महबुलिया को जल में विसर्जित करने की प्रक्रिया को “खोंटना” कहा जाता है। विसर्जन केवल फूलों का ही किया जाता है। कांटेदार झाड़ी को घर ले आया जाता है। जहाँ पर महबुलिया को खोंटा जाता है, वहाँ खोंटने के बाद प्रसाद वितरित किया जाता है। एक विशेष बात यह देखने को मिलती है कि प्रसाद चने की दाल का होता है। पहले प्रसाद में स्वाद के लिए नमक मिलाया जाता था परन्तु अब बहुत से गांवों, कस्बों में नमक की जगह गुड़ भी मिलाने लगे हैं। प्रसाद लाने की जिम्मेदारी सभी लड़कियों की बारी-बारी से होती है और यह एक दिन पूर्व ही तय कर लिया जाता है कि अगले दिन प्रसाद लाने हेतु किसका नम्बर है। लड़कियों द्वारा महबुलिया मनाने की यह प्रथा पूरे पितृपक्ष में चलती है। पितृपक्ष के पहले व बाद महबुलिया नहीं खेली जाती या मनायी जाती। महबुलिया का सृजन केवल पितृपक्ष में ही होता है।

महबुलिया के मनाने के सम्बन्ध में कोई लिखित सामग्री नहीं मिलती। इसकी प्रकृति मौखिक ही है। इसकी उत्पत्ति जानने के सम्बन्ध में कई कस्बों व गांवों का भ्रमण किया गया। कुछ गांवों के बुजुर्ग व्यक्तियों ने महबुलिया के सम्बन्ध में एक-दो दन्तकथाओं का उल्लेख किया है।

एक दन्तकथा के अनुसार बहुत पहले सुआटा नामक राक्षस था, जो लड़कियों को मारकर खा जाता था। एक बार कुछ लड़कियाँ कांटे लेकर अपने घर जा रहीं थीं, तभी उनको रास्ते में सुआटा राक्षस मिल गया। पर लड़कियों के हाथों में कांटे देखकर वह राक्षस उनके पास नहीं आया। लड़कियाँ घर आयीं और अपने माता-पिता से इसका उल्लेख किया। घर वालों ने सोचा कि यह राक्षस कांटों से डरता है, इसलिए हर लड़की के पास कांटों की एक डाली रख दी। एक दिन सब लड़कियों ने मिलकर कांटों की डालियों से उस सुआटा नामक राक्षस को मार डाला। इसी खुशी में लड़कियाँ महबुलिया मनाती हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कांटों में लड़कियाँ फूलों को लगाकर इसलिए विसर्जित करती हैं, ताकि जिन लड़कियों को राक्षस ने मार डाला था, उनकी आत्मा को शान्ति मिल सके। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि राक्षस के मरने की खुशी में ही इसको मनाया जाता है।

एक अन्य दन्तकथा के अनुसार बहुत पहले महबुल नाम की एक बुढ़िया थी जो बहुत झगडालू थी। बुन्देलखण्ड के ग्रामीण अंचलों में जो व्यक्ति झगडालू होता

है उसे “झांखर” कहने लगते हैं। जब महबुल नाम की बुढ़िया पितृपक्ष में मरी तो लोग उसी की याद में महबुलिया सजाने लगे। बाद में यह पर्व केवल लड़कियों तक ही सीमित रह गया। कहा जाता है कि जिसकी मृत्यु पितृपक्ष में होती है वह बड़ा भाग्यशाली होता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पितृपक्ष में मरने वाले को जलाना नहीं चाहिए बल्कि उसको नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। संभवतः इसी कारण महबुल नाम की महिला झगडालू होते हुए भी जब पितृपक्ष में मरी तो लोग खुशी-खुशी से उसकी याद में प्रतीकात्मक रूप से उसको श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि झांखर महबुलिया का प्रतीक है जबकि फूल उसके प्रति श्रद्धा के प्रतीक हैं। इसलिए इस छोटे से पर्व को “महबुल दाई” भी कहा जाता है।

कुछ लोगों को मत है कि पूर्वजों की आत्मा की शान्ति के लिए ही लड़कियां इस पर्व को मनाती हैं, इसलिए महबुलिया केवल पितृपक्ष में ही खेली जाती है। परन्तु यह समझना कठिन है कि छोटी-छोटी लड़कियों को इतनी बड़ी आध्यात्मिक जानकारी कहां से प्राप्त हुई।

महबुलिया मनाने के जो भी कारण हों, इतना अवश्य है कि यह स्थानीय, ग्रामीण व कस्बायी समाज की एक विशेषता है। ग्रामीण समाजों में इसी तरह की अनेक प्रथायें भी हो सकती हैं जिनका कोई लिखित प्रमाण मिलना कठिन है। परन्तु यह भी कहना आवश्यक है कि इसी तरह की विशेषतायें ग्रामीण जीवन को जीवन्तता प्रदान किये हुए हैं।

संदर्भ

प्राथमिक सर्वेक्षण

BASEL- III : A ROADMAP TO THE FUTURE INDIAN BANKING SYSTEM

Dr. Mahendra Kumar Sultaniya¹

ABSTRACT

Reserve Bank issued Guidelines based on the Basel III reforms on capital regulation on May 2, 2012, to the extent applicable to banks operating in India. **The Basel III capital regulation has been implemented from April 1, 2013 in India in phases and it will be fully implemented as on March 31, 2018ⁱ.**

Further, on a review, the parallel run and prudential floor for implementation of Basel II vis-à-vis Basel I have been discontinuedⁱⁱ. Now days an analysis of risk in the Indian banking industry is conducted along the lines of credit risk, interest rate risk, market risk and the liquidity risk. Over the past two and half decades, leading banks around the world have adopted a new paradigm for financial risk management focused on the concept of economic capital.

Basel III reforms strengthen the bank-level i.e. micro prudential regulation, with the intention to raise the resilience of individual banking institutions in periods of stress. Besides, the reforms have a macro prudential focus also, addressing system wide risks, which can build up across the banking sector, as well as the procyclical amplification of these risks over time. These new global regulatory and supervisory standards mainly seek to raise the quality and level of capital to ensure banks are better able to absorb losses on both a going concern and a gone concern basis, increase the risk coverage of the capital framework, introduce leverage ratio to serve as a backstop to the risk-based capital measure, raise the standards for the supervisory review process (Pillar 2) and public disclosures (Pillar 3) etc. The macro prudential aspects of Basel III are largely enshrined in the capital buffers. Both the buffers i.e. the capital conservation buffer and the countercyclical buffer are intended to protect the banking sector from periods of excess credit growth.

1. Assistant Professor, Commerce, HRPG College Khalilabad, Sant Kabir Nagar, U.P

In this study would primarily enquire the basics as well as overall status of Basel Norms, Basically Basel III norms towards emerging phenomenon in the Indian Banking Industry as whole.

INTRODUCTION

Basel III reforms are the response of Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) to improve the banking sector's ability to absorb shocks arising from financial and economic stress, whatever the source, thus reducing the risk of spill over from the financial sector to the real economy. During Pittsburgh summit in September 2009, the G20 leaders committed to strengthen the regulatory system for banks and other financial firms and also act together to raise capital standards, to implement strong international compensation standards aimed at ending practices that lead to excessive risk-taking, to improve the over-the-counter derivatives market and to create more powerful tools to hold large global firms to account for the risks they take. For all these reforms, the leaders set for themselves strict and precise timetables. Consequently, the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) released comprehensive reform package entitled "Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems" (known as Basel III capital regulations) in December 2010ⁱⁱⁱ.

Basel III reforms strengthen the bank-level i.e. micro prudential regulation, with the intention to raise the resilience of individual banking institutions in periods of stress. Besides, the reforms have a macro prudential focus also, addressing system wide risks, which can build up across the banking sector, as well as the procyclical amplification of these risks over time. These new global regulatory and supervisory standards mainly seek to raise the quality and level of capital to ensure banks are better able to absorb losses on both a going concern and a gone concern basis, increase the risk coverage of the capital framework, introduce leverage ratio to serve as a backstop to the risk-based capital measure, raise the standards for the supervisory review process (Pillar 2) and public disclosures (Pillar 3) etc. The macro prudential aspects of Basel III are largely enshrined in the capital buffers. Both the buffers i.e. the capital conservation buffer and the countercyclical buffer are intended to protect the banking sector from periods of excess credit growth.

BASEL NORMS WITH INDIAN BANKING

Reserve Bank issued Guidelines based on the Basel III reforms on capital regulation on May 2, 2012, to the extent applicable to banks operating in India. **The Basel III capital regulation has been implemented from April 1, 2013 in India in phases and it will be fully implemented as on March 31, 2018^{iv}.**

Further, on a review, the parallel run and prudential floor for implementation of Basel II vis-à-vis Basel I have been discontinued^v. Now days an analysis of risk in the Indian banking industry is conducted along the lines of credit risk, interest rate risk, market risk and the liquidity risk. Over the past two and half decades, leading

banks around the world have adopted a new paradigm for financial risk management focused on the concept of economic capital.

“Economic capital” is the amount of capital a bank requires to achieve a given level of protection against default for its creditors. Operationally, the question is usually posed as “How much capital should the bank have to achieve a target rating for its long-term debt?” This is a straightforward inference from Merton’s model of the pricing of risky corporate debt: given the institution’s net asset value and the target probability of default, economic capital is the amount needed to achieve the target probability of default. Applications of this approach include Risk Adjusted Return of Capital (RAROC) or Value at Risk (VaR)^{vi}.

In principle, allocated economic capital can be used to risk-adjust returns across various lines of business to reveal which activities create or destroy shareholder value. The most successful application, however, has been to the measurement and management of market risk. In a sharp break with previous regulatory practice, the Basel Committee on Banking Supervision recognized this new approach to risk management in the 1996 Amendment on Market Risk to the original Basel Accord on Capital Adequacy. Rather than allocate positions to crude risk buckets or apply mechanical asset price haircuts to positions in order to measure risks, the Basel Committee provided the opportunity for qualifying banks to rely on the supervised use of their own internal models to determine their capital charges for exposure to market risk.

This internal models approach to regulation was expected to deliver several benefits. First, it would reduce or eliminate incentives for regulatory arbitrage since the capital charge would reflect the bank’s own estimate of risk. Second, it would deal more flexibly with financial innovations, incorporating them in the regulatory framework as soon as they were incorporated in the bank’s own risk management models. Third, it would provide banks with an incentive to improve their risk management processes and procedures in order to qualify for the internal models approach. And fourth, compliance cost would be reduced to the extent that the business was regulated in the same way that it was managed.

CREDIT RISK FACTOR IN INDIAN BANKING

The success of the internal models approach to market risk led to the extension of the methodology to credit risk, the principal risk facing most banks. This is partly due to a blurring of the traditional line between trading and the lending business. Financial innovations have begun to erode traditional distinctions between the trading book and the banking book. Increasingly, traders are dealing with less liquid, less creditworthy instruments. A market in credit risk – more precisely credit risk derivatives – is growing rapidly. And, bank loans are underwritten increasingly with a view toward making them more marketable. Indeed, there is a thriving secondary market in bank loans. Thus it was only natural that leading banks would attempt to

apply the same financial technology that had proven so successful in measuring and managing market risk to credit risk.

At the same time, regulators were becoming increasingly dissatisfied with the effectiveness of the original Basel Accord. In response to growing evidence of regulatory capital arbitrage, regulators began to consider whether the paradigm used so successfully in the regulation of market risk could be applied to credit risk and operational risk. The result was a proposal for a new Basel Capital Accord (**Basel II**).

The Basel Committee found that internal models of credit risk were not yet sufficiently reliable (or verifiable) to replicate the approach to market risk and so they embarked on a complex course of increasingly intrusive specifications about how banks should manage their credit risk by means of an internal ratings approach. On December 18, 2014, the Federal Reserve Board (Fed) issued a notice of proposed rulemaking (NPR) to impose a surcharge on U.S.- based Global Systemically Important Banks (G-SIBs). The proposed framework would require a top-tier U.S. bank holding company (BHC) with \$50 billion or more in total consolidated assets to calculate a measure of its systemic importance. This initiative has been criticized by the Shadow Financial Regulatory Committee on Feb. 2015^{vii}.

Over the past years the Basel Committee on Banking Supervision has refined its approach to setting minimum capital requirements for operational risk. The result is a revised definition of operational risk, a reduced target for capital charges for operational risk relative to total minimum capital requirements and greater specificity about how such capital charges might be implemented. I believe this attempt to set capital charges for operational risk is fundamentally misguided.

The Basel Committee might have hoped that by imposing a risk-sensitive capital requirement for operational risk it will lead institutions to enhance the measurement and management of operational risk and will discourage them from substituting operational risk for credit or market risk. The Basel Committee has stated a goal of setting capital charges for operational risk in conjunction with an anticipated reduction in the capital charge for credit risk, so that overall capital charges will remain the same on average. This goal dictates their charge for whatever measure of operational risk they devise and belies any claim that the capital charge with regard to operational risk is somehow objectively determined.

In contrast to credit risk and market risk, there is no compelling rationale for setting a capital charge for operational risk. Institutions can increase the option value of deposit insurance by taking bigger market or credit risks since larger risks may yield larger returns. Risk sensitive capital requirements thus have a direct impact on incentives to take greater risks. But operational risk is downside risk only. Taking more operational risk does not enhance the option value of deposit insurance. It is simply a kind of expense that institutions try to minimize to the extent that it is cost

effective to do so. These two different species of risk are best dealt with in two different ways.

EFFECT OF CREDIT RISK ON INDUSTRY

It is by no means clear that capital regulation is the most efficient means of achieving a reduction in the exposure of institutions to operational risk. Moreover, there is no systemic risk rationale for imposing capital requirements because losses due to operational risk tend to be idiosyncratic to a particular institution. The sorts of institution-destroying operational losses that have occurred – often due to the actions of a rogue trader – are usually attributable to a failure of internal controls rather than inadequate capital. No reasonable amount of capital would be sufficient to cover such an extreme event. The most effective means of reducing operational risk are sound policies, practices and procedures, and insurance (which also serve the function of shifting losses should they, nonetheless, occur).

LIQUIDITY RISK IN BANKING SECTOR

It is by the market turbulence that began in July 2007 stemmed initially from credit prospects deteriorating in U.S. subprime mortgages, but quickly spread to other markets. Growing uncertainty surrounding the valuation of structured credit instruments affected their liquidity, leading to difficulties in the asset-backed commercial paper (ABCP) market, where these instruments were partly funded. Illiquidity spread to the broader money markets as concerns grew over the extent of bank on- and off-balance-sheet exposures to these instruments, requiring bank rescues and capital injections.

The speed and extent of the transition from “market” illiquidity to “funding” illiquidity, and their subsequent interaction, was remarkable and required unprecedented intervention by mature market central banks to meet banks’ liquidity needs. As a result, important questions arise concerning the extent to which new financial instruments have increased the financial system’s vulnerability to liquidity events and the adequacy of the tools central banks have at their disposal to address such disruptions. The episode also has important implications for the clarity of central bank communications when balancing their responsibilities for formulating monetary policy and protecting financial stability.

The concepts of market and funding liquidity that are relevant for understanding the episode are examined first, along with how banks have managed liquidity risks in recent months. The various ways in which market and funding liquidity can interact to cause self-sustaining “liquidity spirals” is then explained, including why such spirals may have become more prevalent. The response of central banks to the liquidity crisis, as well as their ability to address such disruption, is discussed in light of their operational frameworks.

An empirical analysis suggests that liquidity transmission has been a key element during this period of stress and provides some evidence that certain types of central bank support can reduce the elevated volatility associated with these events. After

identifying ways in which liquidity management has been deficient during this episode, the chapter concludes by proposing a set of reforms and policies to address these issues.

THE NATURE OF MARKET LIQUIDITY RISKS

During the period of stress that began in July 2007, “market liquidity”—the ease with which one can liquidate a position in an asset without appreciably altering its price—fell dramatically for a wide range of assets, reflecting both the characteristics of the markets in which these assets traded, and their specific characteristics. Secondary market liquidity became extremely thin, most notably in markets for structured credit products—where securities were highly tailored to the needs of specific investors and, for the most part, were meant to be held to maturity. Moreover, since most trading took place in over-the-counter (OTC) markets, price reporting and a common venue to connect a wide variety of buyers and sellers were absent.

In other cases, traders attempted to hedge positions, meet margin calls, or realize gains in other safer or more liquid markets, transmitting demand for liquidity and the resulting volatility more widely. This demand for market liquidity migrated to robust trading platforms and easily valued securities. Robust price discovery mechanisms and the knowledge that even large trade sizes would be less likely to move prices appreciably attracted participants.

Market liquidity is often hard to measure precisely. The interpretation of typical measures, such as bid-ask spreads and volumes, is more difficult during stressful periods, since they also reflect volatility and credit risks. In this latest event, anecdotal evidence suggests that the increased uncertainty and volatility, and higher default risks of potential counterparties, made posted bid-ask spreads in many instruments unreliable, as no trading took place at those prices.

Although recent developments would seem to make a strong case for amending market risk management procedures to take into account liquidity risk, doing so in the future will be challenging. One approach is to add a measure of liquidity risk to the value-at-risk measure, but this has proved difficult, especially given the absence of satisfactory measures of liquidity even in normal times. Thus, financial firms have tended to use ad hoc approaches to control market liquidity risk, making their responses to crises difficult to anticipate.

THE DETERMINANTS OF MARKET LIQUIDITY

A market is considered liquid if an investor has the ability to buy or sell a reasonable amount of an asset without appreciably affecting the price. In practice, there are a number of contributing elements to market liquidity:

- **Information** Liquidity is enhanced if information about the asset’s value is distributed roughly evenly between intermediaries and potential buyers and sellers. Wide bid-ask spreads quoted by intermediaries can reflect concerns over asymmetric information.

- **Intermediaries** The existence of intermediaries such as brokers, specialists, locals, or market-makers that can provide ongoing price quotes, maintain an inventory of the asset, and perform timely execution of trades will add to market liquidity.
- **Underlying funding of intermediaries** Those acting as market intermediaries and carrying inventories can be constrained in providing liquidity by their own capitalization and their ability to finance their trading positions.
- **Trading venue** How buyers and sellers congregate, physically or electronically, can also affect liquidity. Formal exchanges that have well-established methods of recording and publishing prices can preserve liquidity in stress circumstances better than over-the counter (OTC) markets, where buyers and sellers must find one another to trade—often through brokers—and traded prices may not be widely available.
- **Type of asset** Customized credit derivatives and collateralized debt obligations that are highly tailored to meet specific investor needs in the primary market are often illiquid in secondary markets. An investor wishing to unwind or modify a position may have to rely on the initial arranger of the transaction, who may not be willing or able to provide liquidity under stressed market conditions, or may do so only at a significantly discounted price.
- **Size of tradable issue** The larger the asset size freely available to trade, the more liquid the asset is likely to be.

FUNDING LIQUIDITY RISKS

Events since July 2007 have demonstrated that funding liquidity risk is intimately related to market liquidity, potentially causing systemic difficulties. Funding liquidity risk captures the inability of a financial intermediary to service its liabilities as they fall due. It is intrinsic to financial intermediation where liabilities of shorter maturity are issued to finance longer-maturity assets with the intention of earning a yield premium, and is particularly relevant to commercial banks, whose core business historically has been to fund longer-term loans through short-term deposits. Moreover, funding liquidity difficulties can quickly result in insolvency if an illiquid firm is forced to sell assets quickly at fire-sale prices to raise cash, so reducing its capital.

COMPLEXITIES IN LIQUIDITY RISK MANAGEMENT

Measurement of a bank's vulnerability to liquidity risk is inherently difficult. For instance, demand deposits are usually stable sources of funding, but can quickly be lost in a bank run. Conversely, banks perceived to be safer during crises may actually attract deposits from competitors. Similarly, the degree to which a bank's liquidity commitments may be called in a crisis is difficult to judge exactly and can

depend on firm specific or systemic liquidity conditions, and on the perceived reputational risk of exercising them.

Given the inherent complexity of managing liquidity risk, bank regulators have adopted a diverse approach. For example, some countries maintain multiple metrics to gauge bank liquidity, although most impose some type of minimum liquidity requirement. Banks and regulators can legitimately differ over how long they believe that a bank should be able to rely on internal sources to meet its cash flow commitments.

The longer a bank must be able to survive on its own, the more liquid assets it needs to hold, and the less efficient the banking system will be in providing maturity transformation services to the economy. Moreover, the systemic nature of much liquidity risk, and its “jump-to-crisis” fat-tailed distribution, also makes it very difficult to model funding liquidity risks so as to translate a given liquidity structure into a probability of default. Hence, banking regulators have yet to develop a liquidity equivalent to minimum capital requirements and have increasingly focused on the integrity of liquidity risk-management systems rather than specific liquidity ratios.

REFERENCES

1. “Financial Stability Report” 9th issues, issued by Reserve Bank of India published on June 2014.
2. “Financial Stability Report” 11th issues, issued by Reserve Bank of India published on June 2015.
3. “Financial systems and the real economy” BIS paper no. 91 published by Bank for International Settlements on mar 2017.
4. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems Published “Bank for International Settlements 2010” by Bank for International Settlements Communications CH-4002 Basel, Switzerland in December 2010.
5. RBI Guidelines on “Implementation of Basel III Capital Regulations in India” through its vide letter no.-RBI/2011-12/530 DBOD.No.BP.BC.98 /21.06.201/2011-12 on May 2, 2012.
6. Circular No. DBOD.BP.BC.No.95/21.06.001/2012-13 dated May 27, 2013 Published on Prudential Guidelines on Capital Adequacy and Market Discipline New Capital Adequacy Framework (NCAF) - Parallel Run and Prudential Floor.
7. Merton’s paper, published in the Journal of Finance in 1974, see respectively, Merton 1974, 1970; see also Merton 1992, chapter 11.
8. Statement of the Shadow Financial Regulatory Committee on “The Fed’s SIFI Surcharge: An Alternative Proposal” February 9, 2015.
9. “Basel III : Implications for Indian Banking” by Dr Vighneswara Swamy, Department of Finance, IBS Hyderabad.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता डॉ० प्रियंका सिंह¹

कांग्रेस के रूप में एक 'राष्ट्रीय दल का गठन हुआ एक ऐसा दल जो न केवल चेतना का प्रतीक था वरन् यह राजनीतिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक चेतना का सामूहिक प्रगतिकरण था। शुरुआती दौर में कांग्रेस का महत्वपूर्ण लक्ष्य यह था कि एक ऐसा राजनीतिक मंच या राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया जाय जिसके तहत देश के विभिन्न भागों में काम कर रहे राजनीतिक कार्यकर्ता इकट्ठे होकर अखिल भारतीय स्तर पर अपनी राजनीतिक गतिविधियां चला सके और लोगो को शिक्षित व संगठित कर सकें। इसके लिए उन अधिकारों की लड़ाई और उन समस्याओं का हाथ में लेना जरूरी था जो हर एक भारतीय की अपनी लड़ाई और उसकी समस्या थी।

जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई, देश की राजनैतिक सामाजिक स्थिति पुनरुत्थान के दौर से गुजर रही थी। राजनीति में महिलाओं का प्रवेश न के बराबर था, लेकिन पुर्नजागरण काल में स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे थे। महिलाएं भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही थी। ऐसे समय में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना से ऐं ऐसे मंच का निर्माण हुआ जहाँ से जनता अपनी आवाज उठा सकती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारम्भिक 20 वर्षों का काल उदारवादी राजनीतिक आन्दोलन का काल था। इस अवधि में कांग्रेसी राजनीति की प्रमुख विशेषता संवैधानिक नीतियों की स्थापना का प्रयत्न करना था। इस नीति का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। धीरे-धीरे कांग्रेस सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई कांग्रेस की सदस्यता में पुरुष एवं महिलायें में भेद-भाव नहीं था।

1. प्रवक्ता, राजनीतिशास्त्र, बाबू गुलाब सिंह महाविद्यालय, पोवा, फरेंदा, उ०प्र०

कांग्रेस के संस्थापक सर ह्यूम न प्रारम्भ में ही कहा “स्त्रियों को साथ लिये बिना संगठन की गतिविधियों की सफलता संदिग्ध होगी औ प्रयत्न निष्फल होंगे।” महिलाओं में राजनीतिक जागरुकता की स्थापना के बाद महिलाओं को कांग्रेस संगठन के चुनावों में भाग लेने, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में प्रतिनिधि बनाने एवं कांग्रेस के मंच पर भाषण देने का अधिकार प्रदान किया गया¹। अतः कांग्रेस की स्थापना की कुछ वर्ष पश्चात् ही कांग्रेस अधिवेशन में महिला प्रतिनिधि भाग लेने लगी। 1889 में बम्बई में होने वाले 5वें अधिवेशन में प्रतिनिधि बनकर आया महिलाओं के नाम है पण्डिता रामाबाई, विद्यागौरी नीलकण्ठ, रामाबाई रानाडे, श्रीमती निकम्ब, कादम्बरी गांगुली और स्वर्ण कुमारी गौशाल, 1890 में पण्डिता रामाबाई और स्वर्ण कुमारी देवी के प्रयत्नों से लगभग 100 महिलाओं ने कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। श्रीमती ज्योर्तिमय गांगुली ने सन् 1900 में प्रथम बार कांग्रेस मंच से भाषण दिया। इस कांग्रेस अधिवेशन में महिला सदस्यों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई और उन्हें विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया गया।

गाँधी जी के भारतीय राजनीति में पदार्पण के पूर्व भारतीय महिलाये कांग्रेसी मंच बंग-भंग आन्दोलन तथा होमरूल आन्दोलन में काफी सक्रियता दिखायी होमरूल आन्दोलन प्रभावी बनाने में ऐनी बेसेण्ट का नाम महत्वपूर्ण हैं। विदेशी मूल की होने के बाद भी भारत में उनका ये योगदान महत्वपूर्ण है भारत के प्रति प्रेम के कारण ही 1917 में उन्हें सर्वसम्मति से कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। इनके प्रभाव से भारत में ‘विमेन्स इण्डियन ऐशोसिएसन’ भारत स्त्री मण्डल भगीनी समाज का गठन हुआ और महिला गतिविधिया तेज हुई ऐनी बेसेण्ट की प्रेरणा से ही सरोजिनी नायडू ने नौकरी का परित्याग कर स्वतंत्रता सर्वस्व त्याग करने का व्रत लिया और आगे चलकर कांग्रेस अध्यक्ष पद को सुशोभित किया।

जून 1917 में जब देश के छः प्रान्तों में कांग्रेस की सरकारें बनी तभी अनेक महत्वपूर्ण पदों को सम्भालने के लिए महिलाये आगे रही सिन्ध असेम्बली डिप्टी स्पीकर श्रीमती मनाली नागपुर में तथा मध्यप्रदेश में श्रीमती अनुसूइया काले डिप्टी स्पीकर हुई। विजय लक्ष्मी पण्डित को प्रांतीय सरकारों में प्रथम महिला मंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। वे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री बनी इसके बाद रुक्मिणी मद्रास मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित होने का अवसर मिला।

1917 में गृह शासन आन्दोलन एक वैधानिक आन्दोलन था, बेसेण्ट शान्ति पूर्वक वैधानिक तरीके से भारत में स्वशासन की स्थापन चाहती थी सरकार के विरुद्ध सभाएँ की गयी इनकी गतिविधियों के कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

कांग्रेस ने सरकारी नीति की घोर निन्दा की और नजरबन्द नेताओं को छोड़ने की मांग की। तिलक ने सत्याग्रह करने की धमकी दी। सरकार के लिए

इस आन्दोलन की उपेक्षा करना सम्भव नहीं रहा इसलिए भारतमंत्री माण्टेस्क्यू ने ऐतिहासिक घोषणा द्वारा यह इच्छा प्रकट की कि युद्धोपरान्त भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जायेगी। इस घोषणा से भारत के राजनीतिक नेताओं को सन्तोष हुआ फलतः होमरूल आन्दोलन शिथिल पड़ा और ऐनी बेसेण्ट भी जेल से मुक्त कर दी गयी।

वर्ष 1931 के अपने कराची अधिवेशन में नेहरू के नेतृत्व में एक मौलिक अधिकार का संकल्प पारित किया गया जिसमें महिलाओं और पुरुषों के समान सिद्धान्त का प्रतिादन किया गया जिसके द्वारा महिलाओं की स्थिति पर ध्यान दिये बिना पूर्ण समानता प्रदान कि गयी।

कांग्रेस ने स्वतंत्रता से पूर्व सदैव महिला पुरुष समानता को ध्यान रखकर ही अपनी भूमिका का निर्वहन किया तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी संविधान में ऐसी व्यवस्था की गयी जिससे किसी भी आधार पर महिला पुरुष की राजनीतिक सहभागिता में कोई असमानता न हों सके, सभी को समान अधिकार मिल सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. द स्टेटमैन: कलकत्ता 25 मार्च 1947
2. कश्यप, सुभाष : हीस्ट्री ऑफ पार्लियामेण्ट ऑफ इण्डिया, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया
3. चन्द्र, विपिन : भारत का स्वतन्त्रता सघर्ष हिन्दी माध्यम कार्यावन्धन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय पृ० सं० 41
4. वोहरा, आशरानी : 'महिलायें एवं स्वराज्य' भारत सरकार 1983 पृ० सं० 97,98
- 5- मेनन, एल० एन० पॉलिटिकल राइट ऑफ ओमेन इन इण्डिया, द स्टेट ऑफ वुमेन इन साउथ एशिया इन कलकत्ता 1954 पृ सं० 86

स्वतंत्रता आन्दोलन में "उदारवाद" की भूमिका

प्रेमचन्द्र साहू¹

उदारवाद की अवधारणा

उदारवादी विचार धारा अन्य विचारधाराओं की भांति निश्चित और क्रम बद्ध विचार धारा नहीं है और न ही यह किसी एक युग के साथ जुड़ी हुई है। वास्तव में यह कोई एक दर्शन नहीं, वरन् अधिक विचारों का सम्मिश्रण है। यह एक जीवन दृष्टि, जीवन क्रम तथा मस्तिक की एक प्रवृत्ति है जिसके अन्तर्गत अनेक मान्यताएँ, आदर्श एवं संस्थाएँ हैं। "एक राजनीतिक सिद्धान्त के रूप में उदारवादी दो पृथक् तत्वों का मिश्रण है। इनमें से एक है लोकतंत्र और दूसरा व्यक्तिवाद।"¹

उदारवाद का जनक 'लाक' को माना जाता है। उदारवाद का घर इंग्लैण्ड है और इंग्लैण्ड में उदारवाद का उदय अनुदारवाद का विरोध करने वाली एक प्रवृत्ति के रूप में हुआ। इसमें सन्देह नहीं कि जब अनुदारवादी ब्रिटेन में लम्बे समय से चली आ रही राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं, परम्पराओं और रूढ़ियों को बनाये रखना चाहते थे, उस समय उदारवाद के द्वारा सुधार, परिवर्तन और प्रगति का समर्थन किया गया। लास्की का मत है—"उदारवाद का संबंध किसी सम्प्रदाय से कम और मानव स्वभाव से अधिक है। यह स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट अभिलाषा का द्योतक है, इस प्रकार की प्रबल भावना के लिए दूसरे व्यक्तियों के विचारों के प्रति, चाहे वे कितने ही खतरनाक मालूम हो, सहनशीलता और जिज्ञासा के भाव की आवश्यकता है और यह दुर्लभ मानवीय गुण है।"²

आन्दोलन के विभिन्न चरणों में उदारवाद

इन्हीं प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर ही भारतीय पुनर्जागण के अग्रदूत समाज सुधारकों राजाराम मोहन राय, दयानन्द सरस्वती, विवेकानन्द, एनीबेसेंट आदि महापुरुषों ने समाज में जागृति उत्पन्न की। राष्ट्रवादी नेताओं जो पाश्चात्य भाषा के जानकार थे, दादाभाई नौरोजी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चन्द्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब, दीनशावाचा, महादेव गोविन्द रानाडे,

1. शोध छात्र-इतिहास, महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय, विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना म0प्र0

रमेशचन्द्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता आदि ने अपने भाषणों तथा लेखनी के माध्यम से लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, अभिव्यक्ति, अधिकार तथा संवैधानिक विकास व सुधार की माँग की।

भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने उदारवाद के मूल सिद्धान्तों को अपने कार्यक्रमों में अपनाया जैसे मानवीय विवेक में आस्था, इतिहास तथा परम्पराओं का विरोध मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास, व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास, शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध और कानून की प्रधानता का प्रतिपादन तथा लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन आदि। इस प्रकार उदारवादी दर्शन 19वीं शदी में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इस दर्शन ने कई राष्ट्रों के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। इसने विशेषाधिकारों पर आधारित पुरानी व्यवस्था का अन्त कर स्वतंत्रता, समानता तथा लोकतंत्र का समर्थन किया। आज की संसदीय संस्थाएँ और वयस्क मताधिकार का सिद्धान्त उदारवादी दर्शन की ही देन है। इसने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धान्त का समर्थन कर विभिन्न जातियों की राष्ट्रीय स्वाधीनता में महात्वपूर्ण योग दिया।

उदारवाद की एक विशेषता यह रही है कि उसके द्वारा बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार सदैव ही अपने स्वरूप में परिवर्जन किया जैसा कि भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में पाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास को तीन चरणों में बाँटा गया है। पहला—1885 ई० से 1905 ई० तक का काल नरम उदारवादी युग, दूसरा—1905 ई० से 1919 ई० तक उग्र उदारवाद का काल और तीसरा—1919 ई० से 1947 ई० तक गौंधी युग। तीनों चरणों में उदारवाद के समय, परिस्थिति और आवश्यकतानुसार उसके स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिलता है। इस प्रकार उदारवाद को लोकतंत्र, राष्ट्रीय स्वाधीनता और अर्थिक प्रगति का दर्शन कहा जा सकता है।

प्रायः ऐसा हुआ कि जो भी विदेशी भारत आये उन्होंने भारतीय धर्म, संस्कृति तथा सभ्यता को अपना लिया। भारत की 'उदारचरितानाम' की प्रवृत्ति आदिकाल से चली आ रही थी। भारतीय संस्कृति में आजादी और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाला विचार 'उदारवाद' समाया हुआ था जिसने विदेशियों को आत्मसात् कर लिया।

19वीं शदी को भारतीय पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। इसी समय सर विलियम जोन्स, मैक्समोलर, कालब्रुक, रौथ आदि पाश्चात विद्वानों ने भारतीय धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर भारतीयों के सामने भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और संस्कृति इतिहास का ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जो समकालीन यूरोपीय सभ्यताओं की तुलना में निश्चित रूप से श्रेष्ठ था। इसी समय राजाराम मोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द तथा अन्य समाजसुधारकों ने सामाजिक परिवर्तन व पुरातन संस्कृति के पुनरुद्धार का बीजा बोया। इन्होंने राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। ए० आर० देसाई ने लिखा है—“सामाजिक क्षेत्र जाति प्रथा के सुधार और उनके उन्मूलन, स्त्रियों के लिये समान अधिकार, बाल विवाह के विरुद्ध आन्दोलन, सामाजिक और वैधानिक असमानताओं के विरुद्ध जेहाद किया। धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक

अन्धविश्वासों , मूर्ति पूजा और पाखण्डों का खण्डन किया। ये आन्दोलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक समानता के लिये संघर्ष थे और इनका चरम लक्ष्य राष्ट्रवाद था।”³

तार्किक दृष्टि से यदि भारतीय इतिहास की कालजयी घटनाओं पर विहंगम दृष्टि डाली जाये तो 1857ई0 के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के बाद दूसरी महत्वपूर्ण घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि इसकी स्थापना किसी भारतीय ने नहीं बल्कि एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी ए0ओ0 ह्यूम ने की जो कि उदारवादी विचार धारा से प्रभावित थे। कालान्तर में राष्ट्रीय आन्दोलन की समस्त घटनायें कांग्रेस के इर्द-गिर्द घटित होती रही। डॉ0पी0सीतारमैया ने लिखा है—“कांग्रेस का इतिहास ही भारत की स्वतंत्रता का इतिहास है क्योंकि कांग्रेस की स्थापना के पूर्व और पाश्चात्य दूसरी अनेक शक्तियों के द्वारा भी इस उद्देश्य से कार्य किया था। लेकिन कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में सदैव ही केन्द्र का कार्य किया। यह वह धुरी थी जिसके चारों ओर स्वतंत्रता की महान गाथा की विविध घटनायें घटित हुई।”⁴

कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भी भारत में अन्य संस्थाओं द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में कार्य किया जा रहा था। लेकिन इनमें से कोई भी संस्था अपने कार्य और स्वरूप की दृष्टि से राष्ट्रीय नहीं थी। कांग्रेस ही ऐसी प्रथम संस्था थी जिसने भारत में अपनी आवाज उठाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक उदारवादी व्यक्ति थे। लाला लाजपत राय ने स्वीकार किया था। कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे। उनका हृदय भारत की निर्धनता और दुर्दशा पर रोता था। कलकत्ता के स्नातको के नाम उन्होंने जो पत्र लिखा था उसमें उन्होंने ‘देशहित’ का उल्लेख किया था। ह्यूम को वेडरवर्न, जार्ज यूले, जे0ई0हावर्ड जैसे अन्य उदारवादियों का सहयोग प्राप्त हुआ। डॉ0 जकारिया ने लिखा है—“भारत और ब्रिटिश प्रजातंत्रवादियों के संयुक्त प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ।”

कांग्रेस के प्रारम्भिक 20 वर्षों में उदार अथवा नरम राष्ट्रीयता की प्रधानता रही है। इस युग में कांग्रेस किसी भी प्रकार क्रान्तिकारी संस्था नहीं थी। इसके नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के प्रति विश्वास और सहयोग की नीति अपनायी तथा याचना, स्मृति पत्रों और प्रतिनिधि मण्डलों के माध्यम से जनता को राजनीतिक अधिकार दिलाने का प्रयत्न करते रहे। इनके विचार तथा कार्य पद्धति उदारवार के सिद्धान्तों से प्रेरित थे। उन परिस्थितियों में उदारवादियों द्वारा अपनाया गया मार्ग नितान्त औचित्यपूर्ण और व्यावहारिक था। यदि उनके द्वारा अभी से ही ब्रिटिस राज्य के अन्त या भारतीय स्वतंत्रता के बात की जाती तो सम्भवतः इससे इस संस्था के अस्तित्व पर ही कुठाराघात होता। फिर भी उन्होंने अंग्रेजी शासन के दोषों और चरित्र को जनता के समक्ष प्रकट किया, भारतीय राष्ट्रीयता की जड़ों को मजबूत किया, भारतियों को राजनीतिक प्रशिक्षण दिया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार तैयार किया। के0एम0मुंशी ने लिखा—“यदि पिछले 20 वर्षों में एक अखिल भारतीय संस्था देश राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत न होती तो ऐसी अवस्था में गाँधी जी का कोई महान आन्दोलन सफल न होता।” उदारवादियों ने कठिन परिस्थितियों में भी कुछ सफलतायें प्राप्त की। उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप 1892 का इण्डियन काउन्सिल एक्ट पारित

हुआ जिससे परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। 1894ई0 में उन्होंने वह कानून समाप्त कराया जिसके द्वारा वकीलों को जिला न्यायाधिकारी के नियन्त्रण में रखा जाता था और उनके राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने पर रोक लगा दी गई थी।

1905 ई0 से 1919ई0 तक के कांग्रेस का द्वितीय चरण उग्र राष्ट्रवाद का युग था। 19वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में देश तथा अन्तर्राष्ट्रीय जगत में ऐसी घटनायें हुई जिन्होंने भारतीय नवयुवकों के दृष्टिकोण में अमूल परिवर्तन कर दिया। इस प्रकार कांग्रेस में ऐसे वर्ग का उत्थान हुआ जो विनयशील पद्धति का परित्याग कर शक्तिशाली उपायों का प्रयोग किया। इस आन्दोलन का आधार गतिशीलता तथा सक्रियवाद था। इसलिए उन्हें उग्रवादी कहा गया है। यद्यपि उनकी मांगें तथा उद्देश्य प्रारम्भ की तरह उदारवाद से प्रेरित थीं। किन्तु उनकी कार्य पद्धति तथा स्वरूप में परिवर्तन हो गया अतः यहाँ उदारवाद का दूसरा रूप देखने को मिलता है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के साधन के रूप में उन्होंने वहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा को माध्यम बनाया। तिलक ने कहा था— “अपने उद्देश्यों के कारण नहीं वरन उसे प्राप्त करने के उपायों के कारण हमें उग्रवादियों की उपाधी मिली।”

बंगाल विभाजन, कर्जन की नितियों और समय की आवश्यकता ने कांग्रेस के तरुण दल को उग्रवादी बना दिया था। यद्यपि दोनों की वर्ग के उद्देश्य एक जैसे थे—संवैधानिक विकास, प्रजातंत्र, स्वराज्य और फिर स्वतंत्रता। रामनाथ सुमन लिखते हैं—“हमारी राष्ट्रीयता के विकास में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों हमारी राजनीति के स्वाभाविक उपकरण हैं। वस्तुतः वे एक ही आन्दोलन के दो पक्ष हैं। एक ही दीपक के दो परिणाम हैं। पहला प्रकाश का द्योतक है, दूसरा गर्मी का। पहला बुद्धि का पक्ष है, दूसरा भाव का। “स्पष्ट है कि आन्दोलन के बढ़ते चरण में राष्ट्रवाद ने जोर पकड़ा जिस कारण नम्र उदारवादी उग्र उदारवाद का स्वरूप धारण करने लगा। तिलक ने लिखा है” हमारी नीतियों के प्रति दो नये शब्दों का प्रयोग होने लगा है—उदारवादी दल और उग्रवादी दल। ये शब्द समय से सम्बन्धित हैं इसलिये ये समय के साथ बदल जायेंगे। जैसे कल के उग्रवादी आज के उदारवादी दल बन गये हैं। इसी प्रकार आज के उग्रवादी कल के उदारवादी दल बन जायेंगे।”

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के तीसरा चरण को प्रायः गाँधी युग की संज्ञा दी जाती है। इस युग में कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना था। सम्भव हो तो अंग्रेजी साम्राज्य के भीतर ही और आवश्यक हो तो उसके बाहर। इस युग में भारतीय राजनीति गाँधी जी के इर्द-गिर्द घूमती रही। गाँधी जी भारतीय राजनीति में अपनी नितियों के कारण कभी उदारवादी लगते हैं तो कभी गरमपंथी सुधारवादी। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो भी आन्दोलन किये वे उदारवाद से प्रेरित थे। अहिंसा के पुजारी गाँधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया और अपने आन्दोलनों में अहिंसात्मक सत्याग्रह की नीति अपनायी। महात्मा गाँधी ने भारतीय राजनीति में ब्रिटिश शासन के सहयोगी के रूप में प्रवेश किया क्योंकि उन्हें भी अंग्रेजों की न्याय प्रियता में विश्वास था। उन्होंने यंग इण्डिया में एक लेख 31 दिसम्बर 1919 को लिखा था जिसमें उनके उदारवादी दृष्टिकोण तथा सरकार के साथ सहयोग की इच्छा

पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उन्होंने लिखा—“सुधार कानून और उसके साथ हुई घोषणा ब्रिटिश जनता की इस नीति का द्योतक है कि अब वह भारतीयों के साथ न्याय करना चाहती है और इसे इस सम्बन्ध में सब सन्देह मिटा देना चाहिए। हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम इनकी आलोचना करें, हमें तो इन्हे सफल बनाने की दृष्टि से ही इन पर अमल करना है।” अगले 9 महीने में राजनीतिक घटना चक्र इतनी तेजी से चला कि सम्पूर्ण स्थिति बदल गई और गाँधी जी ने सरकार से असहयोग करने का निश्चय किया। 1919 का अधिनियम, रौलट एक्ट, जलियाँवाला हत्याकाण्ड, हण्टर कमेटी तथा खिलाफत के प्रश्न ने उन्हें असहयोगी बना दिया।

गाँधी जी उदारवादी और उग्रवादी दोनों दलों की राजनीतिक परम्पराओं के राजनीतिक उत्तराधिकारी थे। उन्होंने न केवल दोनों की नीतियों का समन्वय किया बल्कि दोनों को एक अधिक गतिशील और व्यावहारिक मोड़ भी दिया। उन्होंने अपने स्वराज्य में रामराज्य की कल्पना की। इसे प्राप्त करने के लिये अपनी नीतियों में उदारवादी विचारों को अपनाया।

आरम्भिक काल में उदारवादी नेताओं ने ब्रिटिश शोषण की बात तो की लेकिन निर्धन जनता के लिये कुछ नहीं किया। गाँधी जी ने स्पष्ट कर दिया की कांग्रेस निर्धन, मूक और भूखी जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अतः उन्होंने उनके समाजिक और अर्थिक हित के लिये कार्य किया। गाँधी जी एक सन्त राजनीतिक थे जो राजनितिक साध्यों के लिये नैतिक साधनों का विश्वास करते थे। उन्होंने असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन तथा भारत छोड़ो आन्दोलन द्वारा ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि भारत की स्वतंत्रता न्यायपूर्ण है। वह भारत में अंग्रेजी राज्य के बने रहने के लिये किसी भी तर्क को स्वीकार नहीं करते थे। इसी धारा के अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने देश को नई दिशा दी, सवैधानिक विकास में विश्वास किया तथा अन्य सृजनशील कार्यों के माध्यम से आम जनता में राजनीतिक जागरूकता पैदा किया। इन्ही विचारों से प्रभावित होकर अनेक देश भक्त अपने प्राणों का बलिदान देने में तनिक भी नहीं हिचकिचाए।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रारम्भिक उदारवादी नेताओं ने जिस राष्ट्रवाद का विकास कर भारतियों में जागृति उत्पन्न की और देश की समग्र आजादी प्राप्त करने के लिये जो बीज रोपित किया उसें तिलक अरविन्द घोष, विपिनचन्द्र पाल, लाला लाजपत राय जैसे राष्ट्रवादियों ने तमाम झंझावातों के बावजूद सिंचित किया अन्तः गाँधी युग में अथक प्रेयत्नों व बलिदानों को सहते हुए स्वतंत्रता रूपी फल को प्राप्त कर लिया गया।

पाद-टिप्पणी

- 1) मैक्वर्न-फ़ॉम लूथर टु हिटलर, पेज – 11
- 2) लॉस्की-दि सोसल एण्ड पॉलिटिकल आइडियॉज ऑफ सम रिप्रेजेंटेटिव थिंकर्स ऑफ विक्टोरियन एज, पेज – 100
- 3) ए0आर0 देसाई0-सोसल बैक ग्राउण्ड ऑफ इण्डियन नेशनलिज्म, पेज – 210
- 4) आर0सी0 मजूमदार-हिस्ट्री ऑफ दि फ्रीडम मूवमेण्ट ऑफ इण्डिया, पेज – 150

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- 1) देशाई, ए० आर० — भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठ भूमि, दिल्ली 1976
- 2) ग्रोवर, वी०एल० तथा यसपाल — आधुनिक भारत का इतिहास , एस०चन्द्र एण्ड कंपनी लि० नई दिल्ली, 1999
- 3) जैन, पुखराज — भारत का राष्ट्रीय आंदोलन , साहित्य भवन आगरा, 1982
- 4) महाजन, बी०डी० — आधुनिक भारत का इतिहास, एस०चन्द्र०एण्ड कंपनी लि० नई दिल्ली, 1999
- 5) पट्टाभि सीतारमैया — कांग्रेस का इतिहास (1885–1935) नई दिल्ली
- 6) सरकार, सुमित — आधुनिक भारत, (1885–1947), राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, 1992
- 7) सतीश कुमार — उदारवाद और गोपाल कृष्ण गोखले, 1983 वाराणसी
- 8) विपिन चन्द्र — भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण 1998
- 9) वर्मा, एस०आर० — भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन (1857–1947), साहित्य भवन आगरा, 2006

आचार्य विनोबा भावे के जीवन में भक्तियोग की साधना एक विवेचन

डॉ.संदीप ठाकरे¹

भक्तियोग : अर्थ एवं परिभाषा :-

‘भक्ति’ शब्द “भज्-सेवायाम्” धातु में ‘क्तिन’ प्रत्यय लगकर बनता है, जिसका अर्थ— सेवा, पूजा, उपासना और संगतिकरण आदि होता है। अतः भक्ति उस भावना का नाम है जिसमें उपासक पूर्ण रूप से उपास्य ब्रम्ह के भाव में भावित होकर सर्वतो भावेन तद्गुणता को ही अनुभव करता है।

साधना जगत में भक्तियोग भी एक अन्यतम साधना है। भगवान के साथ सम्बन्ध जोड़ने के कारण भक्ति भी ‘योग’ ही है। भक्तियोग सबसे सरल, सुगम और सर्व जनप्रिय भी है।

‘प्रेम’ या ‘भक्ति’ के माध्यम से ईश्वर या ब्रम्ह को पाने का मार्ग भक्तियोग कहलाता है। इस मार्ग में पूर्णता प्राप्त करने के लिये ईश्वर के प्रति प्रेम ही एक सारभूत वस्तु है। इस भक्तियोग का अधिकारी कोई भी बन सकता है, अर्थात् संसार के सभी स्त्री-पुरुष, बालक, वृद्ध तथा युवक भक्तियोग के अधिकारी बन सकते हैं। इसलिये श्रीमद् शंकराचार्य जी ने भी भक्तियोग का महत्व प्रकट करते हुये कहा है—

मोक्षकारणसामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी ।

स्वस्वरूपानुसन्धानं भक्तिरित्यभिधीयते ।।

स्वात्मतत्त्वानुसन्धानं भक्तिरित्यपरे जगुः ।¹

अर्थात् मुक्ति की कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसन्धान करना ही ‘भक्ति’ कहलाता है। कोई-कोई स्वात्म-तत्त्व का अनुसन्धान ही भक्ति है, ऐसा कहते हैं। अभिप्राय यह है कि भक्तियोग के द्वारा स्व-स्वरूप का अनुसन्धान अर्थात् अन्वेषण करना और अन्त में उसी परमतत्त्व में स्थिति प्राप्त कर लेना ही भक्तियोग है।

1. योग विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातिय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, म0प्र0

नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी भक्ति की परिभाषा देते हुये कहते हैं—

“सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा”²

अर्थात् भगवान के प्रति उत्कट प्रेम ही भक्ति है। भक्ति के अनेक प्रकार बतलाये गये हैं, परन्तु नारदजी जिस भक्ति की व्याख्या करते हैं, वह प्रेमस्वरूपा है। भगवान में अनन्य प्रेम हो जाना ही भक्ति है। ज्ञान, कर्म आदि साधनों के आश्रय से रहित और सब ओर से स्पृहाशून्य होकर चित्तवृत्ति अनन्य भाव से जब केवल भगवान में ही लग जाती है, जगत के समस्त पदार्थों से तथा परलोक की समस्त सुख—सामग्रियों से यहां तक कि मोक्ष—सुख से भी चित्त हटकर एकमात्र अपने परम प्रेमास्पद भगवान में लगा रहता है, सारी ममता और आसक्ति सब पदार्थों से सर्वथा निकलकर एकमात्र प्रियतम भगवान के प्रति हो जाती है, तब उस स्थिति को ‘अनन्य प्रेम’ कहते हैं।

“पराशरनन्दन” श्री व्यासजी के मतानुसार भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना भक्ति है।³ अपने तन, मन, धन को भगवान की पूजन—सामग्री समझना और परम श्रद्धापूर्वक यथाविधि तीनों के द्वारा भगवान की प्रतिमा की अथवा विश्वरूप भगवान की पूजा करनी चाहिये। भगवत—पूजा में मन लगाने से संसार के बन्धनकारक विषयों से मन अपने आप ही हट जाता है। अतः बाह्य और मानस दोनों ही प्रकार से भगवान की पूजा होनी चाहिये।

“श्री गर्गाचार्य जी के मतानुसार भगवान की कथा आदि में अनुराग होना ही भक्ति है।”⁴ श्री भगवान की दिव्य लीला, महिमा, उनके गुण और नामों के कीर्तन तथा श्रवण में मन लगाना भक्ति का प्रधान लक्षण है।

इसी प्रकार “शाण्डिल्य ऋषि के मतानुसार आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग होना ही भक्ति है।”⁵ अविच्छिन्नरूप से शुद्ध आत्मस्वरूप में रत रहना ही आत्मरति है, इस आत्मरति में नित्य स्थित रहने को ही भक्ति कहते हैं। परन्तु देवर्षि नारद के मत से “अपने सब कर्मों को भगवान को अर्पण करना और भगवान का थोड़ा—सा भी विस्मरण होने में परम व्याकुल होना ही भक्ति है।”⁶

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि भक्ति के विषय में विभिन्न मतमतान्तरों का उल्लेख करने के बाद देवर्षि नारदजी ने अपना मत भी प्रकट कर दिया है। उक्त मतमतान्तरों पर विचार करने पर ज्ञात होता है कि इनमें परस्पर मूलतः कोई भेद नहीं है। सबका एकमात्र लक्ष्य है, भगवान के प्रति अनन्य प्रेम। इसी को आत्मरति या आत्मप्रेम कहा गया है। अतः यह ‘आत्मप्रेम’ ही भक्ति का शुद्ध लक्षण है।

स्वामी विवेकानन्द ने भक्ति को परिभाषित करते हुये कहा “सच्चे और निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज करना ही भक्तियोग है। भक्तियोग में भक्त ‘प्रेम’ या ‘भक्ति’ के माध्यम से ईश्वर या ब्रम्ह को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है।”⁷

विनोबाजी 'भक्ति' को परिभाषित करते हुये कहते हैं— "भक्ति का उद्गम प्रीति से हुआ है। भक्ति में भक्त का ईश्वर पर दृढ़ विश्वास होता है। भक्त को सर्वत्र हरिदर्शन हो यही भक्ति का सार है। इस प्रकार प्रकृति में दिखाई देने वाले सभी जीवों में ईश्वरतत्त्व देखने का प्रयास ही भक्ति कहलाता है।"⁸

"विनोबाजी ने भक्ति और सेवा को एक ही माना है। गरीबों की, दुःखियों की, अनाथों की, भूखों की सेवा करना साक्षात् भगवान की ही सेवा करने जैसा है। यह सेवा कार्य यदि हम निःस्वार्थ बुद्धि से, निष्काम भावना से, निरहंकार होकर करते हैं तो यही भगवान की सर्वोत्तम भक्ति होती है।"⁹

वे कहते हैं मनुष्य की सेवा का मूल्य निकालना है, तो उसे अहंकार से विभाजित करना पड़ता है। सेवा के क्षेत्र अनंत हैं। सेवा जितनी हो सके करें, किन्तु साथ-साथ व्यक्ति का अहंकार कम होना चाहिये। इसी को ध्यान में रखकर विनोबाजी ने 'भक्ति' का गणितीय भाषा में एक सूत्र बनाया था—

$$\frac{\text{सेवा}}{\text{अहंकार}} = \text{भक्ति}$$

इस प्रकार इस सूत्र के अनुसार विनोबाजी कहते हैं कि अहंकार शून्य होने से सेवा अनंत हो जाती है। सेवाकार्य स्वयं पूजा नहीं है। जिस प्रकार फूल को लगाना पूजा नहीं है, इस फूल को भगवान पर चढ़ाना होता है तभी वह पूजा का रूप लेता है, ठीक उसी प्रकार निष्काम लोकसेवा के फूल अर्थात् सेवाकार्य भगवान को समर्पित करने से वह पूजा कार्य बन जाता है।¹⁰ इसी को ध्यान में रखकर विनोबाजी कहते हैं सेवा व्यक्ति की करनी चाहिए और भक्ति समाज करें।¹¹

'भक्ति' को परिभाषित करते हुये तुलसीदासजी ने भी उपर्युक्त आचार्यों की भांति भगवान के प्रति अटूट प्रेम को ही भक्ति कहा है। भक्ति प्रेमस्वरूप है, राम के प्रति, प्रीति रखना ही भक्ति है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि 'भक्ति' ही एक ऐसा साधन है, जिसको सभी सुगमता से कर सकते हैं और जिसमें सभी मनुष्यों का अधिकार है। अतः इस कलयुग में 'भक्ति' से बढ़कर आत्मज्ञान हेतु दूसरा कोई सुगम उपाय नहीं है। इसलिये मनुष्य को कटिबद्ध होकर केवल ईश्वर की भक्ति का ही साधन करने के लिये तत्पर होना चाहिये। उपर्युक्त भक्ति-विषयक परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि 'ईश्वर' के प्रति जो प्रेम है, वही भक्ति है। संस्कृत व्याकरण में 'भक्ति' शब्द का अर्थ सेवा होता है, क्योंकि भक्ति शब्द 'भज् सेवायाम्' धातु से बनता है। इस प्रकार प्रेम सेवा का फल है और भक्ति के साधनों की अन्तिम सीमा है। जैसे वृक्ष की पूर्णता और गौरव फल आने पर ही है, ठीक उसी प्रकार भक्ति की पूर्णता और गौरव भगवान में परम प्रेम होने में ही है। प्रेम ही उसकी पराकाष्ठा है और

प्रेम के ही लिये सेवा की जाती है। इसलिये वास्तव में भगवान में अनन्य प्रेम होना ही भक्ति है।

विनोबाजी के जीवन में भक्ति-योग की साधना :

विनोबाजी के व्यक्तित्व में आचार्य, संत, महात्मा, योगी, साधक, चिंतक, विचारक, भक्त, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, शिक्षा-शास्त्री आदि व्यक्तित्वों का समन्वय है। लोगों ने उनको विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा और समझा। पर सत्य बात यह है कि विनोबाजी ने कोई विषय या शास्त्र अछूता नहीं छोड़ा जिस पर उनकी लेखनी या वानी ने कार्य न किया हो।

उनका जीवन इतना व्यापक था, उनकी बुद्धि इतनी सर्वतोमुखी थी, उनके साथी इतने विभिन्न रुचि वाले थे कि उन्हें सब प्रकार के विषयों या शास्त्रों के बारे में कुछ-न-कुछ कभी-न-कभी कहना पड़ता था। अतः हमें उनके साहित्य में प्रत्येक शास्त्र की प्रवृत्तियां मिलती हैं। परन्तु उनका स्वयं का विचार था कि उनकी मुख्य और सर्वसंग्राहक प्रवृत्ति आत्म-साक्षात्कार की थी। प्रत्येक कर्म करते समय उनकी वृत्ति निरन्तर चित्त शुद्धि की बनी रहती थी। इस प्रकार उनका प्रत्येक कार्य ईश्वर की अनुभूति से ओतप्रोत था। उनके द्वारा चलाया गया भूदान-आन्दोलन भी केवल भूमि की समस्या सुलझाने का आन्दोलन मात्र नहीं था इसे विनोबाजी ने मनुष्य जाति के प्रति करुणा उत्पन्न करने का सशक्त माध्यम माना था। इस आन्दोलन को उन्होंने श्रीमद् भगवद्गीता के तत्त्वज्ञान, वेद और उपनिषदों में वर्णित ज्ञान के आधार पर समाज की समस्याओं को हल करने का सफलतम प्रयास किया था। इसी कारण लोगों ने उन्हें संत की उपमा प्रदान की थी। उनका जीवन भी कर्मणा, मनसा, वाचा एक भक्त-योगी जैसा सभी के लिये आदर्श था। इतना विशाल व्यक्तित्व होते हुये भी उन्हें अहंकार या घमंड कभी स्पर्श भी नहीं कर सकता था। उन्होंने विद्यार्थी जीवन से ही संकल्प लिया था कि वे ब्रम्हचारी, सत्यान्वेशी, अहिंसक और अपरिग्रही रहेंगे। इसी के अनुसार उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन जिया। इसी के अनुसार उन्होंने अपनी वाणी बनायी, अपने कृतियों को लिखा तथा उन पर सदैव कार्य करते रहे। दुबला-पतला उनका शरीर, चरखा और उनको चलाने की सामग्री, पहनने के लिये गांधीजी जैसी छोटी लंगोटी वाली धोती, ओढ़ने के लिये जाड़े में कम्बल और गर्मियों में कुछ नहीं, पुस्तकालयों से कुछ पुस्तकें और लिखने को थोड़े कोरे कागज, डायरी, कलम और दवात को छोड़कर उनके पास कुछ नहीं रहता था।

भोजन में वही चीजें लेते थे जिसे भारत का गरीब से गरीब किसान प्राप्त कर सकता था। पर खाद्यों और पेयों की मात्रा उनकी गरीब से गरीब किसान की मात्रा से भी कम थी। वे खाने के लिये नहीं जीते थे बल्कि जीने के लिये खाते थे। दूध और सब्जियों के अतिरिक्त वे भोजन में फलों का प्रयोग करते थे। उनका

आहार निश्चित और अल्प था। इसको भी न प्राप्त होने पर वे इसके स्थान पर कुछ दूसरा सहज प्राप्त नैसर्गिक रस ही लेते थे। इस प्रकार उनका जीवन बिल्कुल सहजता और सादगी से परिपूर्ण था। इस प्रकार विनोबाजी का जीवन श्रेष्ठ संत का उदाहरण है। उनका जीवन—विचार सन्तों के चिन्तन के आधार पर है। संत ज्ञानदेव, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत रामदास, नानकजी, कबीर, संत तुलसीदास आदि के साहित्य ने सन्तुलित समाज—संरचना तथा स्वस्थ सामाजिक सम्बन्धों पर मूलभूत आस्था और आचरण विनोबा—विचार में प्रविष्ट किया है। “ज्ञानदेव के भजन और उनकी चिन्तनिका में मैं जितना एकाग्र था, उतना गीताई छोड़कर अन्य किसी भी ग्रन्थ के समय नहीं था। इनके अनुवाद के समय में केवल समाधिस्थ था ऐसा गहरा अनुभव उनको होता था। ज्ञानदेव के साथ वे जितने एक रूप थे, उतना अन्य किसी से नहीं हुये थे।”¹² विनोबा के हृदय में श्रीमद् भगवद्गीता के लिए सम्मान संत ज्ञानदेव के कारण ही हुआ था।¹³ इस प्रकार वे संतों के हृदय से एकरूप हुये थे।

गांधीजी से भी वे अत्यन्त प्रभावित थे। उनके प्रत्येक कृति में गांधी दर्शन की छाप स्पष्ट दिखाई देती थी। परन्तु गांधीजी से अत्यन्त प्रभावित होने के बाद भी विनोबाजी का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व और विचार—चिन्तन था। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि विनोबाजी के हृदय में गुप्त सरस्वती के भांति भक्ति की अविरल धारा बह रही थी। उनके भक्ति भरे करुणार्द्र हृदय का परिचय तो लोगों को तब हुआ, जब वे दरिद्रनारायण की उपासना के लिये सतत तेरह साल गांव—गांव पैदल घूमते रहे। इस प्रकार उनके जीवन की बुनियाद ईश्वरनिष्ठा पर ही रची गयी थी। ईश्वर के स्मरण मात्र से उनकी आंखें गीली हो जाती थी। ईश्वर के साथ उनका अनुसंधान सतत बना रहता था।¹⁴

भक्ति के विषय में स्वयं विनोबा कहते थे— “एक दिन मैं धूप में घूम रहा था। चारों तरफ बड़े—बड़े हरे वृक्ष दिखायी देते थे। इतनी कड़ी धूप में ये वृक्ष हरे कैसे ? मेरी समझ में आया कि ऊपर से इतने हरे—भरे दिखने वाले वृक्षों की जड़ें जमीन में गहरी पहुंची हैं, वहां से उन्हें पानी मिलता है। ऊपर से धूप और अंदर से पानी, दोनों की कृपा से सुन्दर हरा रंग उन्हें मिला है। इसी तरह हमें अंदर से भक्ति का पानी और बाहर से तपस्चर्या की धूप मिले तो पेड़ों के जैसे हम भी हरे—भरे हो जायेंगे।”¹⁵

सन्दर्भ ग्रन्थ :

1. श्रीमद् आद्यशंकराचार्य (2009), विवेक चूड़ामणि—32, गीताप्रेस गोरखपुर, पृ.सं.13
2. पोद्दार हनुमान प्रसाद (2010), नारद—भक्ति सूत्र—2, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ.5
3. वही—16, पृ.सं.12
4. वही—16, पृ.सं.15

5. वही—18, पृ.सं.20
6. वही—19, पृ.सं.22
7. स्वामी विवेकानन्द (1998), नारद—भक्ति सूत्र एवं भक्ति विवेचन, रामकृष्ण मठ, नागपुर, पृ.सं.15
8. विनोबा (2006), अध्यात्म तत्व—सुधा, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी, पृ.सं.68—69
9. विनोबा (2011), भक्ति—दर्शन, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी, पृ. सं.29
10. भट्ट मीरा (2013), विनोबा के जीवन—प्रसंग, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी, पृ.सं.145
11. विनोबा (2011), भक्ति—दर्शन, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी, पृ. सं.31
12. कालिन्दी (2008), अहिंसा की तलाश, रणजित देसाई, परमधाम प्रकाशन (ग्राम सेवा मण्डल) पवनार वर्धा, पृ.सं.254
13. कालिन्दी (2008), अहिंसा की तलाश, रणजित देसाई, परमधाम प्रकाशन (ग्राम सेवा मण्डल) पवनार वर्धा, पृ.सं.258
14. विनोबा (2011), भक्ति—दर्शन, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी, पृ. सं.3—4,
15. विनोबा (2011), भक्ति—दर्शन, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी, कवर के अंतिम पृष्ठ से,

समकालीन कला गुरु भवेष चन्द्र सान्याल

डा० उमाशंकर प्रसाद¹

समकालीन कला जगत के प्रतिष्ठित कला गुरुओं में भवेष चन्द्र सान्याल का विशेष स्थान है। इन्होंने भारत में समकालीन कलात्मक कार्य और कला की स्वतंत्रता को स्थापित किया, जिससे कलाकार अपने कार्य करने के विविध – विषय चयनित करने में स्वतंत्र रहे। आज का कलाकार मनोविज्ञान और दर्शन से जुड़ा रचना करने पर विचार करता है अर्थात् लीक से हटकर बुद्धि, विवेक के आधार पर रचना करता है। जिसमें वह कल्पना का सहारा लेता है, और नये रूपों का सृजन करजा है।

1947 ई० में कुछ कलाकारों ने बंगाल शैली की प्रचलित कला परम्पराओं की बेड़िया तोड़कर मौलिक अभिव्यक्ति की। इनकी कला में सामाजिक चेतना को अधिक स्थान मिला। यही कारण है कि गरीबों, उपेक्षितों और मुसीबतों के मारे लोग इन चित्रकार के विषय वस्तु रहे। इन कलाकारों में, भवेष चन्द्र सान्याल प्रमुख है। उनका जन्म 22 अप्रैल 1901 में 'असम' के डिब्रूगढ़ ग्राम में हुआ, और मृत्यु 9 जनवरी 2003 में हुई। यह वर्ष उनके "सहस्राब्दि वर्ष" के रूप में मनाया गया। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा गाँधी जी के असहयोग आन्दोलन तथा विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार से प्रभावित रही। कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की बौद्धिकता तथा बंगाल स्कूल में चल रहे 'पुनर्जागरण कला अभियान' का असर पड़ा पर्सी ब्राउन, ओ०सी० गांगुली के शिष्यत्व में इनको कला के रूप आकार और कला व्याकरण सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। चित्रकार के साथ-साथ इन्होंने

1. सहायक अचार्य, चित्रकला विभाग, एस.एम.पी., राजकीय महिला पी०जी० कालेज, मेरठ

मूर्तिकार के रूप में भी अपने भावों की गहराई से व्यक्त किया। इसलिए दिल्ली प्रशासन ने इन्हें सम्मानित किया तथा 1984 ई० में इनकी 'पदम्-भूषण' की उपाधि से सम्मानित किया। सान्याल को बचपन से ही घर में कलात्मक वातावरण मिला जो इनकी कृतियों पर दिखाई पड़ता है। अपने बाल्यकाल में ही 'माँ दुर्गा' के रूपाकार प्रतिमा में रंग, भावों के माध्यम से लालित्य और सौन्दर्य से साक्षात्कार किया। यही संस्कार कालान्तर में आपके मूर्ति, शिल्प में प्रस्तुत हुए। इनके चित्रों का मुख्य उद्देश्य विदेशी कला की जकड़ से भारतीय कला को मुक्त कराना रहा। इन्होंने अपनी कला के माध्यम से सब का ध्यान समाज के उस वर्ग की ओर आकर्षित किया, जो प्रायः उपेक्षित का दिए गये थे। ये प्रायः सर्वहारा वर्ग के थे। इनके चित्र दर्शक के मन में अमिट छाप छोड़ते थे। कला के माध्यम से आस्थावान, जनमानस को पाखण्ड एवं वाहय आडम्बरों के घेरे से मुक्त कर ऐसे धरातल पर लाना था। जो अन्तर्मन तक भारतीय से जुड़ा हो।

भवेष चन्द्र जन्म जात प्रतिभा सम्पन्न कलाकार थे। इन्होंने चित्रकला, मूर्तिकला, भित्ति चित्रण, भित्ति तकनीक, ग्राफिक कला तथा टेरा-कोटा आदि बहु विधिओं में अपने को पारंगत किया।

उनके चित्रों की विषय वस्तु इनके आस-पास के वातावरण से प्रभावित है। गरीबों विशेष पर, कृषक, श्रमिकां से विशेष सहानुभूति के कारण मानवीय संवेदनाओं को चित्रों की विषय-वस्तु बनाया। इन चित्रों में 'पूर्वाभास' और 'निराशा' मुख्य है। 20वीं शताब्दी में बंगाल के विनाशकारी अकाल की परिस्थितियों के चित्र बनाये। इन्होंने बँधी- बँधाई सीमा में कभी कार्य नहीं किया। प्राकृतिक चित्रों की हरितमा, गगन चुम्बी पर्वत धौला पर्वत तथा व्यक्ति चित्रण में इनका कोई सानी नहीं था। इनके आत्मचित्रण हँसमुख और विनोदी स्वभाव को दर्शाते हैं। व्यक्तिचित्रों में अपनी पुत्री 'अम्बा' का व्यक्ति-चित्र बालक पन की चंचलता को दर्शाता है। इसके साथ ही इन्हें पशु-पक्षियों के चित्रण में महाभारत हासिल थी। इनमें 'बन्दर' तथा 'बिल्ली' शृंखला के अन्तर्गत बनाये चित्र आते हैं जिसमें सहजता और विविधता है। मूर्तिशिल्प में 'बोझ ढोने वाला' मूर्ति शिल्प की दक्षता को दर्शाता है। 1921 में लाला लाजपत राय की आवक्ष

प्रतिमा तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों की प्रतिमाएँ बनाई जिसमें मि० हीथ, जनरल के० एम० करिअप्पा, डा० राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाँधी, राधा कृष्णन आदि हैं। जिसमें मांसपेशियों के गढ़न पर विशेष ध्यान दिया। इसके साथ ही आपने मुम्बई में मास्टर खेम जी से पत्थर तराशने का काम सीखा बाद में धौलपुर के गुलाबी पत्थर पर "वर्टिकल बूमेन" बनाई। क्ले-माडलिंग तथा 'प्लास्टर आफ पेरिस' से "अन्नपूर्णा" कृति बनाई। जिसमें एक स्त्री को हाथ में कटोरा लिए बनाया गया है। जिसमें एक पौधा लगा है जिसका वह अपने आंचल से ढककार रक्षा कर रही है जिस प्रकार माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। सान्याल ने इसके अलावा का प्रभाव है। इन पर जादू टोने और प्रेतात्माओं के समान भाव दर्शाये गये जिस पर पिकासो की कला का प्रभाव दिखाई पड़ता है।

ये आकृति मूलक चित्रण के चित्रकार कहे जाते हैं। जिन्होंने प्रतीकों का भी सहारा लिया। इनके जल चित्र चमकीली रंग योजना और कोमल पारदर्शिता लिये हैं। जिसमें काँगड़ा की घाटियों की प्रभाव उँचाई, गहराई, धरातल के रंग के बिन्दुओं घुमावदार रेखाओं द्वारा सुन्दर बनाया है। इनकी तूलिका का स्पर्शप्राकृतिक रूपों में अन्तर्निहित जीवन शक्ति को दर्शाते हैं। "उषा की खोज", "सूर्यास्त के समीप" आदि इसी तरह के चित्र हैं। ये बधी-बधाई लीक से हटकर हैं। इनके कुछ चित्र जो 'वाश पद्धति' में बने हैं। अवनिन्द्र नाथ टैगोर की वाश पद्धति जापान, भारत का मिले जुले रूप में निर्मित है जिसमें 'पार्वती मल्हार' नामक चित्रमाला ऐसी ही कृति है। तैल चित्र में इन्होंने न रंगों को अधिक गाढ़ा न अधिक पतला लगाया है। कहीं-कहीं 'टैक्सचर' को उभारने के लिए गाढ़े रंगों का प्रयोग और व्यक्ति चित्रों में पतले रंगों का प्रयोग किया है। इनके चित्रों में नारी पात्र 'कुलीन वर्ग' की नहीं है। बल्कि गरीब मध्यम वर्गीय परिवार की है। इन्होंने नारी को अनेक रूपों में चित्रित किया है। श्रृंगार चित्र में सूक्ष्म रेखाओं में 'लोक कला' का प्रभाव दिखाई देता है। 'बालवधु', 'उदास स्त्री' आदि तैल रंगों के चित्रों में अभिव्यंजना की झलक है। लाल, पीला, काला रंग इन चित्रों के पैलेट के मुख्य रंग रहे फिर भी रंगों का भावों के अनुरूप प्रयोग किया। उसके पश्चात आप जल रंगों की ओर मुड़े तथा प्राकृतिक चित्र बनाये।

आप अपने चारों ओर के वातावरणों को सूक्ष्म, पैनी, स्पष्ट, भावात्मक दृष्टि से देखते हैं। चाहे वह गाँव का या शहर का दृश्य हो। 1975 में उदयीभान वृद्ध पुरुष नाम कृति में जीवन के सात दशक पार करने पर आत्म चित्रों के माध्यम से जन्म दिन मनाया जिसकी पृष्ठभूमि में दिल्ली, कुतुबमीनार, बुलन्द दरवाजा तथा ऐतिहासिक इमारतों का अंकन इस बात को बताते हैं कि उन्होंने यहाँ की अनेक-अनेक यात्राएँ की हैं। 'उड़ती पतंग' उनके आत्म चित्रों में विनोदी प्रवृत्ति को दर्शाती है।

प्रकृति चित्रण में यह यथार्थ से प्रेरित है – परंतु कान्सेटेबल की तरह दर्पण तुल्य सादृश्य प्रतिबिम्बित नहीं करते। 1951 ई० में चित्रित "बिजूखा" श्रृंखला उनकी उत्कृष्ट कार्यों में से एक है जो अकाल से प्रेरित है जिसमें स्वयं को तथा गायों को ढाचें की तरह दर्शाया है। स्वतंत्रता विभाजन के समय बनाये गये चित्र 'कौवे' तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति पर व्यंग्य है जो पंजाब विभाजन की त्रासदी को इंगित करते हैं। इनको धूर्त, हत्यारे, बदमाश तथा निर्दोष व्यक्ति की जान लेने वाले के रूप में दर्शाया है। इनका दोष इतना था कि वे दूसरे धर्म से सम्बन्ध रखते थे। द्वितीय काल में इन्होंने प्रकृति के तीन रंग नीला, भूरा, हरा, पैलेट के मुख्य रंग प्रयोग किये। भू-दृश्यों में इन्होंने मानवाकृतियाँ नहीं बनाईं। इन्होंने दिल्ली 'शिल्पी चक्र' की स्थापना की और नवीन मार्गों की खोज की। निःसंदेह सान्याल एक ऐसे कलाकार हैं जो आन्तरिक और बाह्य स्पन्दन के मध्य एक प्रकार का संतुलन रखते हैं।

शची रानी गुटू की शब्दों में— "सान्याल की कला साधना का ध्येय प्रगति और उत्थान रहा। ध्येय पूर्ति का साधन न होने के कारण इनकी कोई भी कृति कभी निष्प्रयोजन नहीं हुई।"

सन्दर्भ ग्रन्थ

अगवाल वासुदेव शरण – तीन कलाकारों से भेंट

गुटू सची रानी – कला के प्रणेता

गांगुली अर्द्धन्तु कुमार – आधुनिक भारतीय चित्रकला

रामन ए एस – भारतीय चित्रकला की नवीन प्रवृत्तियाँ

Kapoor gita contemporary Indian artist.

Ramchandra roa pr contemporary Indian art.

V.C sanyal, Dinker koshike lalitkala academy new delhi, monographs

वैश्वीकरण युग में अध्यापक शिक्षा के समक्ष चुनौतियाँ एवं गुणात्मक सुधार

डॉ. रीना पाण्डेय¹

शैक्षिक एवं व्यवसायिक दृष्टि से देश के विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में कार्यरत तथा भावी अध्यापकों को कार्यकुशलता एवं दक्षता प्रदान करने, उन्हें मानवीय शैक्षिक संसाधनों के रूप में विकसित करने तथा भावी राष्ट्रीय नागरिकों के निर्माण सम्बन्धी दायित्व एवं कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अध्यापक शिक्षा में गुणात्मक सुधार तथा उनके समक्ष विभिन्न चुनौतियों को दूर करना अत्यंत आवश्यक है ।

जॉन एडम्स ने कहा कि अध्यापक ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं विश्व का निर्माणक एवं विकास का प्रमुख आधार है । बिना शिक्षक की सक्रिय सहभागिता के किसी राष्ट्र का वर्तमान एवं भविष्य का निर्माण संभव नहीं है । इसी बात को भारतीय चिन्तकों ने :-

गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा : ।
गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः ॥

के रूप में कहा है । यह परम्परा एवं सम्मान अध्यापकों के प्रति सनातन से चला आ रहा है । किन्तु अध्यापक शिक्षा को वर्तमान काल में देखते हैं तो उसके स्वरूप में कई परिवर्तन आ गए हैं। अध्यापक शिक्षा में स्थानीय सोच के साथ-साथ अब वैश्विक सोच भी शामिल हो गई है ।

आज भारतीय समाज केवल भारतीय न होकर विभिन्न देशों की संस्कृतियाँ, आधुनिकीकरण एवं वैश्वीकरण से ओत-प्रोत हैं । प्रसि(दार्शनिक रविन्द्र नाथ टैगोर के विश्व नागरिक संप्रत्यय को वर्तमान में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनानी होगी तथा इसका उत्तरदायित्व अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता के बिना संभव नहीं है ।


विगत कई दशकों से अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में असन्तोषजनक वातावरण व्याप्त है । जबकि समय-समय पर यू.जी.सी., एन.सी.टी.ई. आदि संस्थाओं ने अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के उद्देश्य से पाठ्यक्रमों में परिवर्तन किया । किन्तु अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में दी जाने वाली प्रशिक्षण व्यवस्था, पाठ्यक्रम व्यवस्था, एकेडेमिक स्टॉपफ कॉलेजों की भूमिका एवं सहभागिता ने इसकी गुणवत्ता को प्रमाणित किया है ।

1. सहायक आचार्या, शिक्षा संकाय, जे.आर. विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट

भूमण्डलीकरण के नाम पर अध्यापक-शिक्षा का व्यवसायिकरण हो रहा है और विश्व के बाजार में प्रशिक्षित अध्यापकों को अपने आप को सि(करने के लिए संघर्षरत है । विज्ञान और तकनीकी युग में संघर्ष और प्रतियोगिताओं चरम उत्कर्ष पर है तथा शिक्षा में राजनीति का प्रवेश हो रहा है । देश निरिक्षणों के बोझ से दबा हुआ है । उच्च शिक्षा के क्षेत्रा में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति परिलक्षित होती है किन्तु अभी भी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभिन्न समस्याओं के साथ उपेक्षित हैं ।

शैक्षिक क्षेत्रा की गुणवत्ता के सुदृढीकरण में वैश्विक दृष्टिकोण को सम्मिलित करके प्राथमिक शिक्षा के बुनियादी ढाँचे का पुनर्निमाण किया जा सकता है । जिसका पाठ्यक्रम अधिगम आधारित होने के साथ-साथ गाँधी की बुनियादी शिक्षा, गिजुभाई के दिवास्वप्न, टैगोर का प्रकृति प्रेम, टापफलर की भविष्यमिति, ब्रूनर व प्याजे का संज्ञानात्मक दृष्टिकोण सूचना व प्रौद्योगिकी तथा शोध के तत्वों का समावेश करती हो । शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर को एक सूत्रा में बाँधना होगा । जो निम्नवत् है :-

गुणवत्ता बढ़ाने वाले संगठन



इन सभी संगठनों का सकारात्मक जुड़ाव निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन एवं नवीन विचारों का सृजन करेगा ।

शिक्षा के वैश्वीकरण द्वारा विश्व का समस्त ज्ञान आधुनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी उपकरणों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है । वर्तमान में शिक्षा एक विद्यालय से बाहर निकलकर **E-Gurukul** तथा **E-Learning** जैसे अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा स्रोत तक पहुँच गयी है ।

वैश्वीकरण का शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव :—

- ✓ शिक्षक की शैक्षिक क्षमताओं, आधुनिकीकरण एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण में वृद्धि
- ✓ शैक्षिक विषयों का उन्नयन
- ✓ उच्च शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में नवीनतम अनुसंधान, नई खोजों के लिए दिशा निर्धारण
- ✓ असंगत, अतार्किक एवं भ्रमित शिक्षा दर्शन से मुक्ति
- ✓ शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक
- ✓ शिक्षण प्रक्रियाओं विषयवस्तु, विधियों, प्रविधियों, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम सामग्री आदि के ज्ञान व गुणात्मक सुधार में सहायक

वैश्वीकरण का शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव :—

- ✓ शिक्षा के बाजारीकरण को अनदेखा कर निजीकरण का समर्थन घातक
- ✓ सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय मूल्यों का क्षय एवं पतन
- ✓ अन्तर्राष्ट्रीय सूचना एवं संचार तकनीकी का भारतीय मूल्यों पर प्रहार
- ✓ नव पीढ़ी का मूल्यों के विरोध में दिशाभ्रम

वैश्वीकरण शिक्षक जगत के लिए बड़ी चुनौती :—

वैश्वीकरण के माध्यम से शिक्षाविद्, प्राचार्य आदि पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सकते हैं इसके लिए आवश्यक है कि वे नवीनतम ज्ञान एवं तकनीकियों से परिपूर्ण हो क्योंकि वे ही राष्ट्र के भाग्य निर्माताओं के लिए शिक्षकों को तैयार करते हैं और शिक्षक प्रशिक्षण इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है । हमारा समाज वैश्वीकरण की राह में आगे बढ़ रहा है ।

नवीनतम संचार एवं सूचना साधनों को गाँवों तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है । मूल्यों के निर्माण एवं संरक्षण तथा शिक्षा के वैश्वीकरण जैसे दौराहे पर शिक्षण प्रशिक्षण के दायित्वों में निरन्तर वृद्धि हो रही है । नवीनतम तकनीकी के ज्ञान के साथ—2 भावी शिक्षकों को गाँधी जी के 3^३ में एक ३ और सम्मिलित करना आवश्यक हो गया है और वह है :— **Highway Information.**

अतः आज शिक्षक प्रशिक्षकों के समक्ष वैश्वीकरण एवं भारतीय मूल्यों में सामंजस्य स्थापित करना सबसे बड़ी चुनौती है । इस चुनौती को स्वीकार करते हुये अध्यापक शिक्षा के क्षेत्रा में गुणात्मक सुधर के लिए निम्नलिखित प्रयास किये जा सकते हैं ।

✓ अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राजकीय स्तर पर अध्यापकों के विचार विमर्श की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

✓ अध्यापक शिक्षा की पृथकता की समस्या को दूर किया जाना चाहिए । अध्यापक-शिक्षा में विभिन्न स्तरों के अध्यापक एक-दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं रखते हैं । प्राथमिक, माध्यमिक, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय स्तर के अध्यापकों में कोई सहयोग नहीं होता है । इसीलिए संयुक्त कॉलेज खोले जायें और एक राजकीय अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए ।

✓ शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में बढ़ाया जाए तथा चुने हुए विश्वविद्यालय में शिक्षा स्कूल खोले जाएं ।

✓ **Internship Programme** को बढ़ावा दिया जाए । इस कार्यक्रम में छात्राध्यापक विद्यालय के सभी कार्यो तथा पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं में भाग ले सकें ।

✓ सभी राज्यों में अध्यापक चयन की कोई एक प्रणाली नहीं है । प्रत्येक राज्य में अध्यापक चयन के लिए परामर्श समिति नियुक्त की जा सकती है ।

✓ प्रवेश के लिए छात्रों का साक्षात्कार होना चाहिए । शिक्षण व्यवस्था के प्रति छात्रों की रुचि एवं रुझान का मूल्यांकन किया जाना चाहिए ।

✓ अध्यापक शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए कुशल एवं योग्य शिक्षकों की नियुक्त करनी चाहिए ।

✓ अध्यापक प्रशिक्षण के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए आवश्यकता के अनुसार ही छात्रों को प्रवेश दिया जाए ।

✓ पाठ्यक्रम, शिक्षण एवं मूल्यांकन की विधियों में सुधर होना चाहिए ।

✓ पुस्तकालय सम्बन्धी ज्ञान, समय-सारणी का निर्माण, विद्यार्थी सभाओं का गठन, रजिस्टर कार्य तथा पाठ्यक्रम के विभाजन आदि का अभ्यास करवाना चाहिए ।

✓ प्रशिक्षार्थियों के लिए होस्टल की सुविधा, आवास का प्रबन्धक, पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं की व्यवस्था शामिल है ।

✓ अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में अनुसंधान कार्यो को प्रोत्साहन मिलना चाहिए ।

- ✓ प्रशिक्षण केन्द्रों में चल रहे कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए ट्यूशन शुल्क नहीं लगाना चाहिए ।
- ✓ शिक्षा विभाग तथा सरकार को अंशकालिक सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए ।
- ✓ अध्यापक शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने वाले अध्यापकों को अच्छा वेतन दिया जाना चाहिए ।
- ✓ विश्वविद्यालय आयोग ने वेतन क्रम की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ।
- ✓ सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक विषयों के पाठ्यक्रमों को पुनः नियोजित किया जाना चाहिए ।
- ✓ पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो वर्तमान समय के स्कूलों तथा छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके ।
- ✓ अध्यापक शिक्षा में शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जिसमें सेमिनार, विचार-विमर्श, संयुक्त शिक्षण तथा सामूहिक वाद-विवाद शामिल हो ।
- ✓ अध्यापक शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों के विभागों में अध्यापक शिक्षा विभाग को शिक्षण पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन सम्बन्धी अनुसंधान के लिए केन्द्र बिन्दु बनाना चाहिए ।
- ✓ वैज्ञानिक व आधुनिक तकनीक से सम्बन्धित यन्त्रों का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाना चाहिए ।

अध्यापक शिक्षा में सुधार के लिए कोठारी आयोग के सुझाव :-

- ✓ आयोग ने कहा, “शिक्षा को स्वतन्त्र रूप से एक विषय मानना चाहिए । उप-स्नातक स्तर पर इसे एक इलेक्टिव विषय के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए ।
- ✓ नियुक्त व्यक्तियों के प्रशिक्षण संस्थाओं के वातावरण को समझने में सहायता करनी चाहिए ।
- ✓ अध्यापक शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाना चाहिए ।

निष्कर्ष:-

“कोई देश अपने अध्यापकों से ऊँचा नहीं उठा सकता । सरकार तथा समुदाय को ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे अध्यापकों को रचनात्मक और क्रियात्मक क्षेत्रों में उत्साह और प्रेरणा

मिले । अध्यापकों को यह स्वतन्त्रता हो कि वे समुदाय से सम्बन्धित नई खोज कर सकें तथा वैश्वीकरण की प्रक्रिया में अपना योगदान दे सकें ।”

REFERENCES:-

Dr. Ramnath Kishan, Global Trends In Teacher Education, ND.

Singh M.S. (Ed) (2007) Challenges in teacher education ND Adhyayan Publication.

Pandey V.C. (2001) Education and Globalization ND Kalpaz Publication

www.google.com

रामायण का समाज दर्शन

डॉ. प्रमिला मिश्रा¹

रामकथा भारतीय संस्कृति और उसके भव्य स्वरूप को अभिव्यक्त एवं चित्रित करती है। आज समाज में मानव मूल्यों का संकट गहराने लगा है। इस परिवेश में श्रीराम का चरित्र एवं रामायणकालीन समाज हमारा मार्गदर्शन करता है। रामायणकालीन समाज में उच्च कोटि के आदर्शों के दर्शन प्राप्त होते हैं; राजा दशरथ के शासनकाल में अयोध्या और वहाँ के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन वाल्मीकीय रामायण के बालकाण्ड से प्रमाणित होता है—

तस्मिन् पुरवरे हृष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुताः।

नरास्तुष्टा धनैः स्वैः स्वैरलुब्धाः सत्यवादिनः॥¹

उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे।

कामी वा न कदर्यो वा नृशंसः पुरुषः क्वचित्।

द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां नाविद्वान् न च नास्तिकः॥²

अयोध्या में कहीं भी कोई कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को भी नहीं मिलता था।

सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलाः सुसंयताः।

मुदिताः शीलवृत्ताभ्यां महर्षय इवामलाः॥³

वहाँ के सभी स्त्री-पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों की भांति निर्मल थे।

वर्तमान समाज में जब हम दृष्टिपात करते हैं तो यही सब उपर्युक्त गुण आज के समाज में दोषपूर्ण दिखाई पड़ते हैं। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था, जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो; जो क्षुद्र, चोर, सदाचार शून्य अथवा वर्णसंकर हो। बालकाण्ड में वर्णन है—

1. सहायक आचार्या, संस्कृत विभाग, जे.आर. विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट

नानाहिताग्निर्नायज्वा न क्षुद्रो वा न तस्करः।

कश्चिदासीदयोध्यायां न चावृत्तो न संकरः।।⁴

रामयणकालीन समाज में वर्णव्यवस्था अत्यन्त सुचारु रूप से नियोजित थी। चारों वर्णों के लोग अपने-अपने कर्तव्यों में संलग्न रहते थे। वाल्मीकीय रामायण के बालकाण्ड में वर्णन प्राप्त होता है—

स्वकर्मनिरता नित्यं ब्राह्मणाः विजितेन्द्रियाः।

दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे।।⁵

वहाँ निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते, इन्द्रियों को वा में रखते, दान और स्वाध्याय करते तथा प्रतिग्रह से बचे रहते थे। वहाँ कहीं एक भी ऐसा द्विज नहीं था, जो नास्तिक, असत्यवादी अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित, दूसरे के दोष ढूँढने वाला, साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो। कहा गया है—

नास्तिको नानृती वापि न कश्चिदबहुश्रुतः।

नासूयको न चाशक्तो ना विद्वान् विद्यते क्वचित्।।⁶

अन्य तीनों वर्णों के विषय में भी वर्णन प्राप्त होता है कि वे किस प्रकार अपने-अपने कर्तव्य का पालन करते थे—

क्षत्रं ब्रह्ममुखं चासीद् वैश्याः क्षत्रमनुव्रताः।

शूद्राः स्वकर्मनिरतास्त्रीन् वर्णानुपचारिणः।।

क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जोहते थे, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे।

रामायणकालीन सामाजिक जीवन में वर्णव्यवस्था जन्मज होने के बावजूद भी वृत्ति एवं कर्मानुसार परिवर्तनशील प्रतीत होती है— “रामायण में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति वीरता से क्षत्रिय हो सकता है।”⁷

शिक्षा

रामायणकाल में शिक्षा का प्रचुर विकास हो चुका था। वाल्मीकीय रामायण के बालकाण्ड के अनुसार उस अयोध्यापुरी में वेद के छहों अंगों को जानने वाला, व्रतहीन, सहस्रों से कम दान देने वाला, दीन, विक्षिप्त चित्त अथवा दुःखी भी कोई नहीं था।

नाषडगंविदत्रास्ति नाव्रतो नासहस्रदः।

न दीनः क्षिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन।।⁸

व्यक्तित्व के सम्यक् विकास के लिये शिक्षार्थियों को वेद दर्शन, उपनिषद्, राजनीति धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, व्याकरण, आख्यान तथा उपाख्यान आदि का ज्ञान कराया जाता था। उच्च शिक्षा के साथ-साथ जिज्ञासुओं को विविध प्रकार की कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाता था।

गुरुजन विद्यार्थियों में पात्रता का अन्वेषण करके ही शिक्षा प्रदान करते थे इसका प्रमाण वाल्मीकीय रामायण के बालकाण्ड में दृष्टिगोचर होता है। महर्षि विश्वामित्र जी कहते हैं—

“प्रदातुं तव काकुत्स्थ सदृशस्त्वं हि पार्थिव।”⁹

ककुत्स्थनन्दन! मैंने इन दोनों को तुम्हें देने का विचार किया है। राजकुमार ? तुम्हीं इनके योग्य पात्र हो।

रामायणकालीन समाज में शिक्षा के लिये गुरुकुलों का सन्दर्भ मिलता है, जो शिक्षा और विद्या के विख्यात अधिष्ठान थे। ऋषि भरद्वाज और वाल्मीकि के आश्रम शिक्षा के प्रधान विद्या स्थल थे। वाल्मीकीय रामायण के अयोध्याकाण्ड में श्रीराम कहते हैं कि “स पन्थाश्चित्रकूटस्य गतस्य बहुशो मया।¹⁰ ” अर्थात् यह वही स्थान है जहां से चित्रकूट को रास्ता जाता है।

इति पन्थानमादिश्य महर्षिः संन्यवर्तत।

अभिवाद्य तथेत्युक्त्वा रामेण विनिवर्तितः।।¹¹

इस प्रकार मार्ग बताकर जब महर्षि भरद्वाज लौटने लगे, तब श्री राम ने ‘तथास्तु’ कहकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा— ‘अब आप आश्रम को लौट जाइये’।
स्त्री दशा—

रामायणकालीन समाज में नारी की अनेक दशाओं का विशद चित्रण मिलता है। उच्चवर्गीय लोगों में बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। फिर भी रामायण में एक पत्नी—प्रथा को श्रेयष्कर कहा गया है। सामाजिक जीवन में विवाह की अनिवार्यता को विशेष महत्व दिया जाता था।

पुरुषों के समान स्त्रियों की शिक्षा पर बल दिया जाता था। विवाह की स्वयंवर प्रथा को विशेष महत्व था। रामायण में आदर्श भार्या (पत्नी) का विषद् निरूपण किया गया है। महासती सीता जी अपने पति के हृदय और मस्तिष्क को अपने में केन्द्रीभूत कर लिया करती थीं;

तस्याश्चभर्ता द्विगुणं हृदये परिवर्तिते।

अन्तर्गतमपि व्यक्तमाख्याति हृदयं हृदा।।¹²

पत्नी पति के भाइयों के साथ अपने भाइयों या पुत्रों जैसा व्यवहार किया करती थीं। वह अपने मृदु, सुशील तथा सेवापरायण व्यवहार से सबको प्रसन्न रखने की चेष्टा करती थीं। महर्षि वशिष्ठ ने तो एक स्थल पर पत्नी को पति की आत्मा कहा है—

‘आत्मा हि दाराः सर्वेषां दारा सग्रह वर्तिनाम्।¹³’

निष्कर्ष—

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि रामायण कालीन समाज एक आदर्श समाज था जिस कारण से सम्पूर्ण राष्ट्र में शान्ति व्यवस्था कायम रहती थी। वाल्मीकीय रामायण के बालकाण्ड सप्तम सर्ग से यह बात प्रमाणित होती है— 'प्रशान्तं सर्वमेवासीद् राष्ट्र पुरवरं च तत्'¹⁴

अतः वर्तमान समय में रामायण कालीन समाज दर्शन की महती उपादेयता सिद्ध होती है।

सुरक्षा के लिए समाज की
सब आयें तो अच्छा है।
सामाजिक पर्यावरण को
बचा पाये तो अच्छा है।
कभी चीखें मासूमों की
कभी अबला पै मनमानी
अगर मानवता आ जाये
तो जीवन धन्य सबका है।

सन्दर्भ सूची

1. वाल्मीकीय रामायण बालकाण्ड, षष्ठः सर्गः, श्लोक 6.
2. वही, श्लोक 8.
3. वही, श्लोक 9
4. वा. रा. बालकाण्ड, षष्ठः सर्गः, श्लोक 12.
5. वही, श्लोक 13
6. वही, श्लोक 14
7. दुबे. एच. एन, 'भारतीय संस्कृति' पृ. सं. 180, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद
8. वा. रा. बालकाण्ड, षष्ठः सर्गः, श्लोक 15.
9. वा. रा. बालकाण्ड, द्वाविंशः सर्गः, श्लोक 20.
10. वा. रा. अयोध्याकाण्ड, पंचपंचाशः सर्गः श्लोक 9.
11. वही. श्लोक 10.
12. वा. रा. 2. 69
13. वा. रा. 1, 77, 27.8
14. वा. रा. बालकाण्ड, सप्तमः सर्गः श्लोक 15.

भारतीय लोकतंत्र का आधार है चुनाव सुधार

डॉ० सुबोध कुमार¹

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है। लोकतंत्र का सफल संचालन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित है। “वयस्क मताधिकार पर आधारित स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आधार है, क्योंकि एक निश्चित समय अन्तराल के उपरान्त जनता अपने लोकप्रिय मत द्वारा शासकों के माध्यम से सत्ता में अपनी सहभागिता का निर्वाह करती है और निर्वाचक शक्ति के माध्यम से उत्तरदायित्व का निर्धारण करती है।”¹

संविधान निर्माताओं ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा आम जनता में जो आस्था व्यक्त की थी, उस पर मतदाता प्रायः खरे उतरे हैं। धन के दूषित प्रयोग, बढ़ती हिंसा, अत्यधिक खर्चीले चुनाव, मतदान केन्द्रों पर कब्जा, चुनावों में उम्मीदवारों का अधिक्य, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने वाली सरकारी मशीनरी के निष्पक्षता पर संदेह, राजनीतिक दलों द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन, सत्तारूढ़ दलों द्वारा चुनाव मशीनरी का दुरुपयोग तथा महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व से चुनावी प्रक्रिया दूषित हो चुकी है। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए चुनावी प्रक्रिया में लोगों की बढ़ती उदासीनता को रोकने तथा चुनाव को सार्थक बनाने के लिए चुनावों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

चुनाव आयोग की सभी अनुसंशाओं में चुनाव सुधार के प्रस्ताव शामिल रहे हैं। वास्तव में प्रथम आम चुनाव के बाद चुनाव सुधार की आवश्यकता वाद-विवाद का विषय रहा है। फलस्वरूप चुनाव प्रसार समय की माँग है। भारत में निर्वाचन सुधारों के सन्दर्भ में सभी पहलुओं का अध्ययन करना सामयिक और प्रासंगिक है।

1. सह. आचार्य, राजनीतिशास्त्र विभाग, डी०ए०वी०पी०जी० कालेज, गोरखपुर, उ०प्र०

“संसद ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 बनाए हैं तथा परिसीमन आयोग अधिनियम 1962, 1972 बनाए हैं और इनसे निर्वाचन का ढंग विहित किया है तथा निर्वाचन से सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों की रचना और उनका परिसीमन किया है।” इस कानून में चुनाव आयोग को व्यापक संस्था के रूप में विकसित किया है। संसद के 16 आम चुनावों एवं राज्य विधान सभाओं के तीन सौ पचास निर्वाचनों ने इस व्यवस्था में अन्तर्निहित गुण एवं दोषों को उजागर किया है। चुनाव व्यवस्था में तमाम त्रुटियाँ विद्यमान हैं। यद्यपि व्यापक परिवर्तन किया गया है तथापि चुनाव प्रक्रिया में आज भी तमाम विसंगतियाँ एवं अनेक कमियाँ प्रकाश में आयी हैं। इनमें सुधार हेतु समय-समय पर विपक्षी दल, विधि विशेषज्ञों, संविधान विशेषज्ञों, न्यायविदों, पत्रकारों तथा आम जनता ने भी व्यापक सुझाव प्रस्तुत किया है। चुनाव सुधार हेतु तमाम समितियों तथा आयोगों का गठन किया गया। जिन्होंने अपनी अनुशंसाओं के माध्यम से चुनाव आयोग एवं सरकार को अवगत कराया। निर्वाचन व्यवस्था में व्यापक कमियों में कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं —?

निर्वाचन व्यवस्था में बड़े पैमाने पर धन बाहुबल एवं राजनीतिक भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ा। 1967 के बाद लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं के चुनाव में धन का बड़े पैमाने पर खतरनाक दुरुपयोग बढ़ा है। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अस्तित्व पर सवालिया निशान है अपराध के राजनीतिकरण एवं राजनीतिक के अपराधीकरण से चुनाव प्रक्रिया कलंकित हुयी है। अपराधी पृष्ठभूमि के उम्मीदवार हथियारों के बल पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करते हुए चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। बड़े पैमाने पर इस तरह के उम्मीदवार पंजीकृत राजनीतिक दलों के टिकट पर या निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। जब तक की सम्पूर्ण संवैधानिक व्यवस्था को परिवर्तित न किया जाए। उन्हें रोक पाना असम्भव लगता है। वर्तमान निर्वाचन प्रणाली बहुमत द्वारा निर्वाचन सुनिश्चित नहीं करती जिसे कि विजयी उम्मीदवार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के बहुमत का प्रतिनिधित्व करे। उसे मात्र अपने प्रतिद्वन्दी उम्मीदवारों से कुछ ही मत अधिक प्राप्त होता है। यद्यपि उसे प्राप्त मत बहुमत से सभी कम है।

वर्तमान निर्वाचन प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग अपने सम्पूर्ण कार्य संचालन हेतु एवं राज्यों के तंत्र पर आश्रित है जो कि एक कमी की ओर इंगित करता है। धन, बल से अधिक बाहुबल निर्वाचन व्यवस्था को प्रदूषित किया है। मतदान स्थलों पर कब्जा और गैर कानूनी मतदान लोकतंत्र के सिर पर कलंक है। सरकारी मशीनरी का चुनाव के समय दुरुपयोग एक आम शिकायत रही है। इसके साथ ही साथ निर्वाचित उम्मीदवारों द्वारा निष्ठा बदलकर बलबदल करना सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया के साथ मजाक है। यद्यपि इसे रोकने हेतु दलबदल निरोधी अधिनियम

बनाया गया है कि लेकिन इसमें अन्तर्निहित कमजोरियों की वजह से यह निःप्रभावित रहा है।

60 के दशक से ही देश में निर्वाचन सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा था। स्वतंत्रता के बाद से सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को एक दल द्वारा निर्वाद्ध रूप से प्रभावित किया जाना एवं अन्य दलों की नाम मात्र की उपस्थिति भारत में प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र के हित में नहीं रहा जिससे कि बहुमत को प्रतिनिधित्व दिया जा सके।²

चुनाव सुधार हेतु बहुत सारे प्रयास होते रहे हैं। पहली बार चुनाव कानून में संशोधन एवं चुनाव सुधार के सभी क्षेत्रों से जुड़े प्रश्नों का परीक्षण हेतु एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन 1970 में किया गया किन्तु दिसम्बर 1970 में लोकसभा के विघटन के साथ ही इस समिति का अन्त हो गया। 1971 में जब नई लोक सभा और नई सरकार अस्तित्व में आयी तो जुलाई 1971 में श्री जगन्नाथ राव की अध्यक्षता में एक 21 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। तत्पश्चात् इस समिति ने चुनाव सुधार के मुद्दे पर कई वर्षों के अथक प्रयास के पश्चात् संसद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। दो प्रतियों में प्रस्तुत सुझाव में बहुत बहुमूल्य सुझाव थे।³

1974 में जय प्रकाश नारायण ने 'सिटिजन्स फॉर डेमोक्रेसी' नामक संगठन की ओर से चुनाव सुधार पर अध्ययन हेतु महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश और प्रसिद्ध रेडिकल ह्यूमनिस्ट श्री वी०एम० तारकुण्डे की अध्यक्षता में एक छः सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति के सदस्य इस प्रकार थे – वी०एम०तारकुण्डे, एम०आर०मयानी, पी०जी० मावलंकर, ए०जे०पुरानी, आर०सी० देसाई और ए०पी० डब्ल्यू डेक्सट थे। समिति ने अपनी अनुशंसा 9 फरवरी 1975 को प्रस्तुत किया जो मुख्यतः इस प्रकार हैं :—

1. मताधिकार 21 वर्ष के बजाय 18 वर्ष की आयु में ही दे दिया जाए।
2. आय के श्रोतों का उल्लेख तथा आम व्यय का पूरा हिसाब लिखना समस्त राजनीति दलों के लिए अनिवार्य कर दिया जाए और निर्वाचन आयोग इसकी जाँच कराये। उम्मीदवारों के चुनाव खर्च के हिसाब की जाँच करायी जाए। राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों पर किया जाने वाला खर्च उम्मीदवारों के हिसाब में जोड़ा जाय तथा चुनाव खर्च की वर्तमान सीमा को दुगुना कर दिया जाये।
3. जमानत की रकम लोकसभा के उम्मीदवारों के लिए 500 सौ से बढ़ाकर 2000 रुपये और विधानसभाओं के उम्मीदवारों के लिए 200 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी जाए।

1977 के आम चुनाव के पश्चात् जनता पार्टी सत्ता में आयी और पहली बार राष्ट्रीय और राज्य स्तर की दलों को दूरदर्शन और आकाषवाणी पर चुनाव सन्देश प्रसारण करने का अवसर राज्य विधान सभाओं के चुनाव में मिला। आपातकाल के दौरान हुए सत्ता का दुरुपयोग को समाप्त करने हेतु 54वें संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। इसके साथ ही साथ जनता पार्टी सरकार ने चुनाव प्रचार सुधार हेतु एक मंत्रिमण्डल समिति का गठन किया गया। उस मंत्रिमण्डल समिति का अध्यक्ष तत्कालीन गृहमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री एस0एल0 शकधर ने बढ़ते चुनाव खर्च एवं मतदान केन्द्रों पर कब्जा से सम्बन्धित मुद्दों पर महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किया।⁴

जनता पार्टी की सरकार अभी चुनाव सुधार हेतु पहल करने ही वाली थी कि इसके पूर्व ही वह सत्ताविहीन हो गई। 1980 में जब श्रीमती इन्दिरा गॉंधी की सरकार सत्तारूढ़ हुई तो श्री एस0एल0 शकधर और श्री आर0के0 त्रिवेदी ने विपक्षी दलों के साथ विचार विमर्श करके चुनाव सुधार हेतु तमाम अनुशंसाओं को प्रस्तुत किया।⁵

जब 1984 में श्री राजीव गॉंधी की सरकार सत्ता में आयी तो पुनः चुनाव सुधार का प्रश्न उठाया गया। इस दिशा में सबसे निर्णायक कदम जनवरी 1985 में सरकार द्वारा दल-बदल अधिनियम का पारित किया जाना था।

चुनाव सुधार के सन्दर्भ में 1990 में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श के पश्चात् संयुक्त मोर्चा वाली श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने एक अन्य समिति का गठन किया। संसद सदस्य और विशेषज्ञों की बहुलता वाली इस समिति के अध्यक्ष तत्कालीन कानूनमंत्री श्री दिनेश गोस्वामी थे। समिति ने 1990 में अपने अथक प्रयास और त्वरित कार्य से सुधार हेतु अनुशंसा किया जिसे दिनेश गोस्वामी समिति के नाम से जाना जाता है। इनका प्रमुख सुझाव निम्नलिखित है :-

1. चुनाव सुधार तीन सदस्यी निकाय होना चाहिए।
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी बाद में हो, होना चाहिए। और किसी भी हालत में 65 वर्ष की आयु या 10 वर्ष से अधिक समायावधि तक उन्हें पद पर नहीं बने रहना चाहिये।
3. मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता के साथ विचार विमर्श करके की जानी चाहिए।
4. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को न केवल सरकार के अन्तर्गत इसे नियुक्ति बल्कि राज्यपाल के पद सहित इसे किसी अन्य पद के लिए आयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।

5. वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर नया परिसीमन करना। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों में क्रमावर्तन करना।
6. बहुउद्देशीय फोटो पहचान पत्र प्रदान करना।
7. किसी भी व्यक्ति को दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों पर चुनाव लड़ने की अनुमति न देना।
8. अगम्भीर उम्मीदवारों को हतोत्साहित करना। स्वतंत्र उम्मीदवारों को जमानत राशि को बढ़ाया जाए।

इन सुझाव को कार्य रूप देने हेतु संसद में चार विधेयक प्रस्तुत किये गए ताकि 7 मई 1990 को संयुक्त मोर्चा सरकार के त्याग पत्र देने से पहले पास किया जाये।

चुनाव सुधार के सन्दर्भ में नरसिंह राव की सरकार ने भी कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किये। उन्होंने 83वाँ संविधान संशोधन विधेयक 1994 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (द्वितीय संशोधन) 1994 एक अतिरिक्त सत्र बुलाकर पास किया।

संयुक्त मोर्चा की सरकार श्री नरसिंह राव के बाद सत्ता में आयी और चुनाव सुधार के सन्दर्भ में कुछ संक्षिप्त प्रयास किये। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (द्वितीय संशोधन) 26 जुलाई 1996 को पारित किया गया। इस विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं :-

1. एक ही समय किसी भी उम्मीदवार को दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए।
2. उम्मीदवार जमानत राशि 10 गुना बढ़ाकर 300 सौ से 5000 हजार कर दिया गया जिससे संसद तथा विधान सभाओं के चुनावों में अगम्भीर उम्मीदवारों को रोका जा सके।
3. किसी उम्मीदवार के मृत्यु की दशा में यदि किसी पंजीकृत राजनीतिक दल का उम्मीदवार की मृत्यु होती है तो सम्बन्धित पार्टी को अधिकार होगा कि वह सात दिन के भीतर उस स्थान पर नये उम्मीदवार का चयन करे। ऐसा कोई स्थानापन्न निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए नहीं होगा।
4. चुनाव प्रचार के दिनों की संख्या 21 दिन से घटाकर 14 दिन कर दिया गया।
5. मतदान पत्र में उम्मीदवारों का नाम इस क्रम से किया जाय कि पंजीकृत दल के उम्मीदवारों का नाम वरीयता में आए। इस प्रकार का अनुक्रम क्षेत्रीय एवं अन्य पंजीकृत पार्टियों के लिए लागू हो। अन्तिम कोटि में निर्दलीय उम्मीदवारों को शामिल किया जाएगा।
6. लोक सभा के सीटों का नया परिसीमन 1991 के जनगणना के आधार पर होगा।

7. चुनाव के दौरान अधिकारियों द्वारा कर्तव्य की लापरवाही करने पर दण्डित किया जाएगा।⁶

तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री टी०एन०शेषन ने चुनाव सुधार हेतु कुछ निर्णायक एवं बहुचर्चित साथ ही साथ विवादास्पद कदम उठाए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण फोटो पहचान पत्र की अनिवार्यता पर बल दिया। निर्वाचन आयोग ने संघ एवं राज्य मंत्रियों के चुनाव क्षेत्रों में चुनाव के दौरान अधिकाधिक दौरे पर प्रतिबन्ध लगा दिया। निर्वाचन आयोग ने मंत्रियों को यह भी निर्देश दिया कि चुनाव प्रक्रिया के घोषणा के पश्चात् सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में अधिकारियों की सभा न बुलाए या कार्यालयों या अतिथिगृहों का दुरुपयोग न करें। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों को यह दिशा निर्देश दिया कि वे दिन प्रतिदिन के खर्च का लेखा तैयार करें। आयोग ने उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की एक सीमा भी निर्धारित किया जिससे कि चुनाव खर्च को कम किया जा सके।

यह सत्य है कि एक विशाल एवं विविधताओं से युक्त राज्य होने के नाते भारत की अपनी कुछ अच्छाईयाँ हैं तो कुछ कठिनाईयाँ भी। स्वतंत्रता के बाद दो दशकों तक भारत में चुनाव विकृतियों उतनी नहीं थीं परन्तु उसके बाद के वर्षों में चुनाव सम्बन्धी तमाम विकृतियों ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। हाल के वर्षों में भारतीय राजनीति का बड़े पैमाने पर अपराधीकरण हुआ है। 1993 में गठित बोहरा समिति की रिपोर्ट इस बात के गवाह हैं कि राजनीति में अपराध जगत के रिश्ते कितने प्रगाढ़ हो चुके हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जी०वी०जी० कृष्णमूर्ति ने 1996 के लोकसभा के चुनाव का एक नमूना उदाहरण के तौर पर 1997 में जारी किया जो राजनीति के अपराधीकरण को दर्शाता है। उन्होंने पाया कि लोकसभा के 13,952 उम्मीदवारों में से 1500 उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। उनकी अपराधी गतिविधियों में हत्या, डकैती, बलात्कार, गबन तथा जबरन वसूली के मामले सम्मिलित थे। उन्होंने यह भी दर्शाया कि ऐसे कम से कम चालीस उम्मीदवारों ने चुनाव जीत भी लिया। जिला प्रशासन से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कृष्णमूर्ति ने यह दावा किया कि देश के 25 राज्यों और दो केन्द्र शासित प्रदेशों में विधायिका के 4,072 सदस्यों में से 700 सदस्यों पर अनेक प्रकार के अपराधिक मामले दर्ज हैं जिनकी सुनवाई जारी थी।

17 जनवरी 2001 को निर्वाचन आयोग के स्वर्ण जयन्ति के अवसर पर राष्ट्रपति के०आर० नारायणन ने निर्वाचन आयोग के हवाले से कहा कि 500 से 800 चुने गए प्रतिनिधियों का अपराधिक इतिहास है।

भारत में निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग, संसद तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर प्रयास किये गये। भारतीय दण्ड संहिता की अध्याय 9 के धारा 171झ तक में चुनाव सम्बन्धी अपराधों से सम्बन्धित कई प्रावधान पहले से

मौजूद हैं। इसे अतिरिक्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 तथा 1951 में चुनाव सम्बन्धित कतिपय नियमों का उल्लेख है। 1996 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में आवश्यक संशोधन भी किये गये।

सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर निर्णय लेते हुए यह व्यवस्था की थी कि लोकसभा, राज्य विधान सभा, विधान परिषद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार अपनी अपराधिक पृष्ठभूमि अपनी तथा अपनी पत्नी के नाम का सम्पत्ति और आय के स्रोतों और शैक्षणिक योग्यता का ब्योरा रिटर्निंग अधिकारी को दें। इस व्यवस्था से राजनीतिज्ञों में खलबली मच गयी और 20 मई 2002 को चुनाव सुधार कानून बनाकर मात्र यह व्यवस्था की गयी कि :-

1. उम्मीदवार केवल उन्हीं मामलों की जानकारी देंगे जिन्हें न्यायालय ने संज्ञान में ले लिया है।
2. केवल विजयी उम्मीदवारों को ही अपनी अस्तियों तथा देनदारियों का विवरण देना होगा।
3. किसी उम्मीदवार के लिए अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण देना आवश्यक नहीं होगा।

सरकार के निर्णय के विरुद्ध “प्यूपिल्स यूनियर फॉर सिविल लिवर्टीज, लोकसभा तथा एसोसिएशन और डेमोक्रेटिव रिफार्म्स ने नए सिरे से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। इस जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के तीन सदस्यीय खण्डपीठ के न्यायमूर्ति एम0वी0 शाह, न्यायमूर्ति पी0वी0 रेड्डी तथा न्यायमूर्ति डी0एम0 धर्माधिकारी ने जनप्रतिनिधित्व कानून में किए गए संशोधन को असंवैधानिक करा दे दिया। न्यायाधीशों ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी चुनाव सुधार अध्यादेश विधायिका के लिए उचित उम्मीदवार चुनने के लिए मतदाताओं के सूचना पाने का अधिकारों (अनु0 18 के तहत मौलिक अधिकार हैं) में कटौती करता है। अतः यह असंवैधानिक है।

सर्वोच्च न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के संशोधन को खारिज करते हुए नये सिरे से चुनाव आयोग को निर्देश दिये कि अधिसूचना जारी करें।

बृहस्पतिवार 13 मार्च 2003 को दिये गए निर्णय से अब प्रत्येक उम्मीदवार के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि नामांकन प्रपत्र दाखिल करते समय एक शपथ पत्र के रूप में निम्नलिखित सूचनाएं भी दाखिल करें।

1. क्या उम्मीदवार का किसी आपराधिक मामलों में दोषी पाया गया/दोषमुक्त कर दिया गया/डिस्चार्ज किया गया है, यदि हाँ तो क्या सजा सुनाई गयी या क्या दण्ड लगाया गया?
2. नामांकन पत्र दाखिल करने से 6 माह पूर्व तक उम्मीदवार किसी ऐसे मामले में अभियुक्त था।

3. उम्मीदवार उसकी पत्नी तथा उसके आश्रितों के नाम से सभी प्रकार की चल, अचल सम्पत्तियों एवं बैंकों में जमा धनराशियों का विवरण।
4. उम्मीदवार के ऊपर बकाया सभी प्रकार के देनदारियों जिसमें सरकार तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के बकाया ऋण भी शामिल हैं।
5. उम्मीदवार की शैक्षणित योग्यता।⁷

चुनाव सुधार में सर्वोच्च न्यायालय की उपर्युक्त पहल निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है किन्तु इसमें यह आश करना रेत में पानी खोजने जैसा होगा कि अपराधिक पृष्ठभूमि या अवैध कारोबार से अर्जित की गयी सम्पत्ति का स्वामी चुनाव नहीं जीत सकेगा। भारत की न्यायपालिका और न्याय प्रक्रिया में जिस प्रकार की खामियाँ हैं जिसके चलते किसी भी निर्णय को लागू करना आसान नहीं है किन्तु फिर भी “अंधेरे को कोसने से अच्छा है कि एक दीप जलाया जाए।” इस युक्ति पर चलते हुए भारतीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था में चुनाव प्रणाली को उत्तरोत्तर सुधार की ओर ले जाने का मार्ग तो प्रशस्त होता ही है।

चुनाव सुधार में सर्वोच्च न्यायालय की उपर्युक्त पहल निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है किन्तु इसमें यह आश करना रेत में पानी खोजने जैसा होगा कि अपराधिक पृष्ठभूमि या अवैध कारोबार से अर्जित की गयी सम्पत्ति का स्वामी चुनाव नहीं जीत सकेगा। भारत की न्यायपालिका और न्याय प्रक्रिया में जिस प्रकार की खामियाँ हैं जिसके चलते किसी भी निर्णय को लागू करना आसान नहीं है किन्तु फिर भी “अंधेरे को कोसने से अच्छा है कि एक दीप जलाया जाए।” इस युक्ति पर चलते हुए भारतीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था में चुनाव प्रणाली को उत्तरोत्तर सुधार की ओर ले जाने का मार्ग तो प्रशस्त होता ही है।

05 जुलाई 2004 को चुनाव आयोग ने देश की लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में धन-बल एवं बाहुबल के बढ़ते वर्चस्व ने चुनाव सुधारों के लिए अपने एक नए सुझाव ‘प्रपोजल्स ऑन इलेक्टोरल रिफार्म्स’ शीर्षक से प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह को मुख्य चुनाव आयुक्त टी०एस०कृष्णमूर्ति द्वारा प्रेषित किए गए थे। राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रेषित इस दस्तावेज में ऐसे सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं, जिनसे 14वीं लोकसभा चुनावों के अनुभवों के आधार पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन हेतु अपराधियों के चुनावों में भाग लेने से रोक लगाई जा सके।

मार्च 2017 में सम्पन्न हुए उत्तर प्रदेश सहित पाँच राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम रोचक रहा। उत्तर प्रदेश में भाजपा के चमत्कारी जीत से दुखी बसपा सुप्रीमों मायावती सहित कई राजनीतिक दलों द्वारा उठाये गए ई०वी०एम० पर सवाल चुनाव सुधार के सन्दर्भ में एक बार पुनः चुनाव आयोग के निष्पक्षता पर

प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन चुनाव आयोग परीक्षण कर इस बेबुनियादी आरोप को खारित कर अपने स्वच्छ एवं निष्पक्ष छवि को कायम रखा। इस प्रकार किसी प्रकार से ई0वी0एम0 में छेड़छाड़ का प्रमाण न देकर राजनीतिक दल खुद ही इस प्रकरण से अपने को पीछे कर लिए।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि पूर्व के चुनावों की तुलना में अब चुनाव आयोग व्यापक चुनाव सुधार करके लगभग बहुत सी विसंगतियों का निराकरण कर दिया। विगत वर्षों में इनकी दायित्वपूर्ण निष्पक्षता एवं सक्रियता चुनाव सुधार के सन्दर्भ में सराहनीय है।

सन्दर्भ :-

1. गोपाल कृष्ण : “इलेक्ट्रोल पार्टीशिपेशन एण्ड पोलिटिकल इन्टिग्रेशन” रजनी कोठारी कान्टेक्स ऑफ इलेक्शन चेंज इन इण्डिया, 196, नई दिल्ली एकेडमिक बुक, 1969, पृ0 67.
2. रवि राय, इलेक्ट्राल रिफार्म्स, नीड ऑफ दी आवर पोलिटिक्स इण्डिया, वा0 ।।।, 4 अक्टूबर 1998, पृ0 7.
3. डॉ0 रेड्डी एण्ड सुन्दर राम, “डेमोक्रेसी एण्ड इण्डियन इलेक्ट्रोल सिस्टम, नीड फॉर रिफार्म्स, उप्पल पब्लिकेशिंग हाउस, नई दिल्ली.
4. एस0एल0 शकधर : “इलेक्ट्रोल रिफार्म्स, जौमल ऑफ कंस्ट्रिच्यूनल एण्ड पार्लियामेन्ट्री स्टडीज, वा0 1-2 जनवरी-जून 1984, पृ0 1-11, 1992, पृ0 15-16.
5. एस0एल0 शकधर : “इलेक्ट्राल रिफार्म्स जोनल ऑफ कॉस्टीच्यूनल एण्ड पार्लियामेन्टी स्टडीज, जनवरी-जून, 1984, 93.
6. सुषमा यादव, इलेक्शन कामेशन एण्ड इलेक्ट्राल प्रोसेस, महेन्द्र प्रताप सिंह एण्ड हिमांशु राव, इण्डियन पोलिटिकल सिस्टम, स्ट्रैक्चर पोलिसी डवेलपमेन्ट नई दिल्ली, ज्ञानन्दा प्रकाशन, 1998, पृ0 519.
7. “इलेक्ट्राल रिफार्म्स : शेषन्स क्रुसेद” सिविल सर्विसेज क्रानिकल, 9 मार्च 1995, पृ0 9.

READING TECHNOLOGICAL DEVICES FOR STUDENTS WITH VISUAL IMPAIRMENT IN INCLUSIVE SCHOOLS OF NORTH-EAST ZONE OF DELHI

Mr. Brijesh Kumar Rai¹

Abstract

The main purpose of this study was to investigate the status of availability of reading technological devices for students with visual impairment in North-East Zone of Delhi's inclusive schools. The study included three educational districts namely East, North- East and North, which are covered under North-East Zone of Delhi. The sample of this study included 15 schools from above mentioned three educational districts (five from each district). Sample was selected through purposive sampling. Mixed method approach was used in this study. Researcher developed checklist cum questionnaire to collect the quantitative and qualitative data. Percentage was used for quantitative data analysis. Result of the study shows that schools have low-tech technological devices such as highlighter/ marker, tape recorder, tactile map etc. but modern devices such as DAISY, CCTV, and Braille Refreshable were not found in any school of this zone. The main reason for non-availability of these devices in schools was lack of funds.

Keywords: Reading technological devices, Visual impairment, Inclusive school

INTRODUCTION

Many researches (Judge, Floyd, & Jeffs, 2008; Matzen et al., 2010) have proved that technological devices played a major role in removing many barriers to education and employment for visually impaired individuals. Students with visual impairments can complete homework, do research work, take examination, and read books, magazine along with their sighted peers, due to advancement of technology in the field of special education. Students with visual impairments can continue to work and pursue a great range of careers with the use of technological devices. These devices make them to work independently. Like other persons with

1. Assistant Professor, Department of Visual Impairment, Faculty of Special Education, Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow

disabilities, the individual with visual impairment also face many difficulties due to their limitations but main issues include independent living, access to information and meaningful experiences, although they are entitled to independence and efficiency afforded by technology, including assistive technology (Kelly & Smith, 2011). Many studies (Peck & Scarpatti, 2006; Allen, Bowden & James, 2009) emphasize on the use of technological devices in teaching- learning process for students with and without disabilities because technological devices enables teachers to teach those concepts which seems to be difficult or impossible to teach students with disabilities. As Bryant & Bryant (2012) say, “For people without disability, technology makes things easier; for people with disability technology makes things possible”, this statement shows the importance of technology for students with disabilities. If schools’ aim is the inclusion of students with visual impairment, then they must provide opportunity to those students to take benefits of technological devices. To achieve the aim of inclusion for students with visual impairment, schools must ensure the availability of technological devices for those students. What is the status of availability of technological devices in schools? That’s the rationale behind selection of this topic.

AIM: The aim of this study was to investigate the status of reading technological devices for students with visual impairment in North-East Zone of Delhi’s inclusive schools.

OPERATIONAL DEFINITION OF THE KEY TERMS

- **Reading technological devices:** In the context of present study reading technological devices referred to any item, piece of equipment, or product system, whether acquired commercially, modified, or customized, that is used by students with visual impairment for reading texts.
- **Students with visual impairment:** In the context of present study students with visual impairment referred to those low vision and totally blind students who were enrolled in inclusive schools of Delhi.
- **Inclusive schools of Delhi:** In the context of present study inclusive schools of Delhi referred to the Delhi Govt.’s schools i.e. Directorate of Education’s (DoE) schools under jurisdiction of North-East Zone where both types of students i.e. students with visual impairment and sighted students were studying together.
- **North-East zone of Delhi:** In the context of present study North-East zone of Delhi referred to three educational districts of Delhi i.e. East, North-East, and North.

METHOD & PROCEDURE

A mixed method approach was used in this study. The samples consisted of 15 inclusive schools of three educational districts of North-East zone of Delhi i.e. East, North-East, and North. There are total 114 schools in district East, 128 schools in district North-East, and 63 schools in district North. In district East, out of 114 schools students with visual impairment were enrolled in 106 school. In district North-East, out of 128 schools students with visual impairment were enrolled in 120 schools; while out of 63 schools of district North, 51 schools have enrollment of these students. Researcher used purposive sampling to select the five schools from each district (total 15 schools). The sample was selected according to the three criteria: (i) Educational districts of North-East zone only. (ii) Five schools from each educational district (ii) Schools where maximum number of students with visual impairment (low vision & totally blind) were enrolled.

A checklist cum questionnaire was developed by researchers with the help of various experts from the field of visual impairment in India. This tool was developed to collect the quantitative and qualitative data. This tool is divided into two parts, Part-A (quantitative data) contained 14 types of reading technological devices for students with visual impairment, while part-B (qualitative data) contained two open ended questions regarding reason for non-availability of reading devices. Fourteen reading technological devices included in this tool are Highlighter/ Marker, Typoscope, Stand Magnifier, Hand Held Magnifier, Large Print Book, Tactile Image/ Map, Tape recorder, CD player, Recording devices, Talking/ Audio books, DAISY, Refresher Braille Display, Computer with Screen Reading Software, and CCTV. The respondent (IE-SSA & IEDSS teacher in-charge) were asked to put the mark (✓) in the column either 'Yes' or 'No' against each reading technological device for students with visual impairment on the account of availability and non-availability of these devices in their schools, further they were asked to write the reason for not availability of device (if any device is not available).

DATA ANALYSIS


After collection of data from selected 15 schools of above mentioned three educational districts, quantitative and qualitative data was analyzed. Researcher calculated the availability of 14 reading technological devices for students with visual impairment in terms of percentage for each educational district separately.

FINDINGS OF THE STUDY

Findings of the study are divided into three parts, first part discussed the status of reading technological devices for students with visual impairment in educational district East, second part discussed the status in district North-East, while third part explored the status of reading technological devices in district North.


1. Availability of reading technological devices for students with visual impairment in inclusive schools of district “East” of Delhi’s North-East Zone

Researcher visited the five inclusive schools of district East of Delhi to get the status of availability of reading technological devices for students with visual impairment, and found that out of 14 reading technological devices three reading devices i.e. *Highlighter/Marker*, *Large Print Books*, and *Recording devices* were available in all five schools, means availability of these devices is 100%. Another two reading devices namely *Tape Recorder & Cassette*, and *Computer with Screen Reading Software* were found in four schools, means these devices were available in 80% schools. Three reading devices i.e. *Typo-scope*, *Hand Held Magnifier*, and *Tactile Image/ Map* were found in three schools, means these three devices were available in 60% schools. One reading device i.e. *Talking/ Audio Books* was found in one school, means overall availability of this device is in 20% school. None of the schools of the district East had five useful modern reading technological devices namely *Stand Magnifier*, *CD player*, *Digital Access Information System (DAISY)*, *Refreshable Braille Display*, and *Closed Circuit Television (CCTV)*. The following bar diagram showing the status of availability of different types of reading devices for students with visual impairment in the five schools of district East.




2. Availability of reading technological devices for students with visual impairment in inclusive schools of district “North-East” of Delhi’s North-East Zone

Survey was conducted in the five inclusive schools of educational district North-East of Delhi, and it was found that one reading devices i.e. *Highlighter/Marker* was available in all schools, means its availability was 100%. Another two reading devices namely *Recording Devices*, and *Tape Recorder & Cassette* were found in four schools, means these two reading devices were available in 80% schools. Three reading devices i.e. *Typo-scope*, *Hand Held Magnifier*, and *Tactile Image/Map* were found in three schools, means these devices were available in 60% schools. *Talking/Audio Books* was found in two schools, means 40% schools; while *Stand Magnifier*, and *Computer with Screen Reading Software* was available in only one school, means overall availability of these two devices was in 20% schools. None of the school of the district had five reading technological devices namely *Large Print Books*, *CD Player*, *Digital Access Information System (DAISY)*, *Refreshable Braille Display*, and *Closed Circuit Television (CCTV)*. The following bar diagram showing the status of availability of different types of reading technological devices for students with visual impairment in district North-East.



3. Availability of reading technological devices for students with visual impairment in inclusive schools of district “North” of Delhi’s North-East Zone

Researcher visited the five inclusive schools of district North of Delhi to get the status of availability of reading technological devices for students with visual impairment, and found that out of 14 reading technological devices only *Highlighter/Marker* was found in all schools, means availability of this devices was 100%. *Hand Held Magnifier* was found in two schools, means this reading device was available in 40% schools. Three reading devices namely *Tape Recorder & Cassette*, *Recording devices*, and *Talking/ Audio Books* were found in only one schools, means overall availability of these three devices were in 20% schools. Out of 14 reading technological devices nine useful devices namely *Typo-scope*, *Stand Magnifier*, *Large Print Books*, *Tactile Image/ Map*, *CD player*, *Digital Access Information System (DAISY)*, *Refreshable Braille Display*, *Computer with Screen Reading Software* and *Closed Circuit Television (CCTV)*, were not found in a single school of district North. The following bar diagram showing the status of availability of different types of reading technological devices for students with visual impairment in the five schools of district North.



DISCUSSION & CONCLUSION

Technological devices are the key to making educational environments inclusive for students with visual impairment. Various types of technological devices are considered a powerful tool for inclusion. This statement is supported by Rocklage, Gillett, Peschong, and Delhorey (1995), who state “Technology in the area of assistive technology is critical and can facilitate the support and full participation of an individual in daily tasks and activities”. The primary aim should be to allow children with disabilities access to technological devices which meets their needs and provides for maximum participation in social and educational environments (Wilds, 1989). Despite all these considerations schools under jurisdiction of three districts of Delhi’s North-East Zone, did not have any modern technological device for students with visual impairment. Analysis of qualitative data disclosed four main reasons for non-availability of technological devices for students with visual impairment in inclusive schools of North-East zone i.e. (i) Govt. has not allotted budget to school to procure technological devices for student with disability, (ii) unawareness among teachers and staff about reading devices (iii) unavailability of trained teachers/ special education teachers, and (iv) unawareness of importance of these devices. Further it was found that the schools where special education teachers were working had more reading technological devices for students with visual impairment as compare to those schools where they were not working or posted. Since special education teachers are aware about various reading technological devices and their importance for these students hence they manage anyhow to availability of these devices for students with visual impairment. But schools where special education teachers were not working status of those schools in terms of availability of reading technological devices were not up to the mark. This finding is also supported by Fischer, Pumpian & Sax (1995) who say, “Although many educators are utilizing a range of ‘supplementary aids and services’ necessary to educate students with disabilities with their non-disabled peers, many are not sufficiently familiar with assistive technology to use it effectively.” They further report that many professionals have limited experience with the use of assistive technology.

REFERENCES

- Allen, C. L. B. V. & James, W. (2009). *Assistive Technology: What Every School Leader Should Know (3rd ed.)*. Education, 129, p.556
- Bryant, D. P. & Bryant B.R. (2012). *Assistive Technology for People with Disabilities (2nd Ed.)*. N.J. (USA): Pearson.
- Fischer, D., Pumpian, I., & Sax, C. (1995). *Assistive Technology and Inclusion*. Retrieved from <http://www.asri.edu/CFSP/brochure.asstech.htm>
- Judge, S. Floyd, K., & Jeffs, T. (2008). Using an assistive technology toolkit to promote inclusion, *Early Childhood Education Journal*, 36, 121 -126.

- Kelly, S. M., & Smith, D. W. (2011). The impact of assistive technology on the educational performance of students with visual impairments: A synthesis of the research. *Journal of Visual Impairment & Blindness*, vol.105, p.73-83.
- Matzen, K., Ryndak, D. & Nakao, T. (2010). Middle school teams increasing access to general education for students with significant disabilities: Issues encountered and activities observed across context. *Remedial and Special Education*, 31,287-34.
- Peck, A. F. &Scarpati, S. (2006). Using high and low technology to help our students.*Teaching Exceptional Children*, 6, (9), p.562.
- Rocklage, L., Gillett, A., Peschong, L., &Delohery, B. (1995). Good Junk + Technology + Creativity = Positive Inclusion Experiences.Retrieved from <http://www.csun.edu/~hfdss006/conf/2002/proceedings/16.htm>

Arundhati Roy's *The God of Small Things*: A Study in Cultural Ethics

Dr. Siddhartha Sharma¹

Arundhati Roy is one of the few writers intensely interested in the socio-political issues. Her novel, *The God of Small Things* captures many social values of Indian society. The novel is set in a small town Ayemenem near Kottayam in Kerala, and describes clearly the culture of Indian society and it is a story of caste exploitation at the centre of which we find the forbidden love between Ammu and the untouchable Velutha.

One of the major themes of this novel is based on caste as the protagonist is suppressed as he is from a low caste and is referred to as an untouchable. They are considered untouchables and to be shunned. Velutha is the figure that stands out as the representative of the untouchables in the novel. 'Velutha' which signifies 'whiteness' in Malayalam, is represented as one with black completion. Many among the untouchables are talented and brilliant. They can do all works as good as the touchable do. But because the identity of 'untouchable' labeled them, they can not develop or actualize their selves. Similarly, here Velutha works like a little magician. He could do wonderful things like making tiny windmills and minute jewel boxes out of dried palm reeds. Vellaya Paapan, Velutha's father a toddy tapper by profession was a paravan. Velutha, the untouchable boy had been in the habit of going to Ayemenam House with his father for work.

Mammachi was the first one to notice Velutha's remarkable ability as a carpenter. Despite his untouchability and poor background, Velutha is a great support to Ammu's family. Among Velutha's contribution to Ammu's family are, he is the best operator of machine in their factory besides he also has great carpentry skills. But, like Mammachi said, if Velutha hasn't been a Paravan, he might have become an engineer. Unlike the scholarly Oxford-trained Chacko, it is Velutha who maintains the new canning machine and the automatic pineapple slicer. Velutha also oils the water pump and the small diesel generator, and so on. So, it is clearly prominent that the whole family of Mammachi depends more and more on Velutha. But, Velutha's identity as the untouchable has made Mamachi's family cannot appreciate him properly.

1. Associate Professor of English ,MGCGV, Chitrakoot, Satna(MP)

Preeminence: An international peer reviewed research journal, ISSN: 2249 7927, Vol. 6, No. 1 /Jan-June. 2016

VellayaPaapan had his own fears when Velutha grew into a young man. One day Vellutha disappeared, and for the next four years nobody has any idea about his whereabouts. Later he reappeared in Ayemenam but still nobody had idea where he had been during this period. After his arrival Mammachi put him in charge of the general maintenance of the factory. This caused antipathy and resentment among other factory workers who were not untouchable. His father was fully aware of his son being a rebel and had great fear for him. But soon terror holds of him when “he saw what his untouchable son had touched. More than touched” (254). The only thing he could do was to rush to Ayemenam House and report the matter to Mammachi.

The caste system does not permit love between Ammu and Velutha, and is totally unacceptable by the society. Nevertheless they love each other, Ammu as the touchable who will never be allowed to have any ‘special relationship’ with Velutha, the untouchable. Baby Kochamma rushed to the police station to explain the circumstances that had led to the abrupt dismissal of Velutha. It was Sophie Mol’s death which comes as the last nail in Velutha’s coffin. He was falsely implicated though everyone knew that it was an accidental death. The police brutally manhandled Velutha that led to his death. Velutha’s body was dumped in the Pauper’s pit where the police routinely dumped their dead. That marked the end of the life of an untouchable, a trade unionist, a rebel, a carpenter and to cap it all, a lover. His desire to ‘relive’ as a touchable triggered the tragedy.

The gender bias plays a vital role in our society. The status and condition of man and woman in society is influenced very much by the culture. In Arundhati Roy’s *The God of Small Things*, there are three generations of women who each of them was born and raised under different circumstances. Starting from the oldest generation, there are Mammachi, then the generation of Ammu, and the youngest generation is Rahel. Mammachi, Ammu’s mother lives under the control of men. She got married in puberty with seventeen-year-old man who has substantial control over her life. In the beginning years of their marriage, when Mammachi had been a promising violinist player, she left her career because Papachi asked her to leave it.

It was during those few months which they spent together in Vienna that Mammachi took her first lessons on the violin. But the lessons were discontinued when Mammachi’s teacher Launsky-Tieffenthal told Papachi that his wife was exceptionally talented. But this is not the only incident that shows us the domination of man on a woman as his wife. The other case is the fact that there were some domestic violence occurred in Mammachi’s family. Papachi, in his life time often beat Mammachi with a brass flower vase. In addition, Papachi insulted Mammachi as she was never allowed to sit in his Plymouth, until after his death.

The other man who has control over Mammachi’s life is Chacko, her privileged and Oxford educated son. When he returned home after his divorce from Margaret, he takes over Mammachi’s pickle factory and referring to the factory as “. .

. my factory, my pineapples, my pickles” (57) without regarding Mammachi who has started and developed the factory before Chacko returned home. Facing these facts, Mammachi has done nothing except accepting what has done on her. Whatever her husband has done, as a virtuous woman, she accepts it because it is the obligation of being woman as the culture has ruled her to be.

Ammu, belonged to the second generation of women in the novel is the one who was mostly restricted by social circumstances. She is ruthlessly oppressed when she tries to emerge as an individual in her own right. As the matter of fact, her parents gave more affection to his brother for being a man than her as a woman. She had no other choice but to live in her parents’ house and to wait for marriage proposal. All that time she dreamed of escaping from Ayemenem and from the clutches of her ill-tempered father and long suffering mother.

Ammu went to Calcutta to spend her summer in a distant aunt’s home. There Ammu met her future husband. He was working as an assistant manager in a tea estate in Assam. There she discovers that her husband was an alcoholic and a liar. She then divorced him when he decided to sell her to his owner and returned to Ayemenem to her parents. The society believed that a good woman should live with her husband and accept whatever is done to her by her husband. Neglected and ignored at Ayemenem, Ammu became extremely possessive of her vulnerable twins—Rahel and Estha. Velutha was a very good friend to the twins and he was ready to go to any extent to entertain them.

Ammu’s love for Veluthais also a forbidden love as it is contradictory to the cultural values of that time. As explained, the touchable people or the people who have certain caste will never be allowed to have any relationship with the untouchables. That’s why Ammu’s love for Veluthais not acceptable for both people in Ammu’s caste like Mammachi and Baby Kochamma, and also for people in Velutha’s caste like his father who revealed their secret love to Ammu’s family.

Ammu tries to rebel against the cultural values and patriarchal system in Indian society. Unlike her mother, she cannot accept the unjust attitudes and actions of her husband and prefers divorce to keeping her marriage. Ammu is an example of a member of society who breaks the communal laws of India.

Rahel, Ammu’s daughter is the woman who has no place in her family and society as well. Living in her grandparent’s house, she is unable to lead the life of a normal child. She lives as the witness of injustice of her mother’s life. As Rahel is growing up, she never experiences the real cultural tradition because no one regards her presence, so that, Rahel becomes a free woman who unlike her mother, is not restricted by the mental conditioning of the cultural tradition. That is why, on her return to Ayemenem, she answers an old man who asked about her marital status by “We’re divorced” (130), without worrying about how the old man will take her answer. Despite the trials and tribulations she had to undergo, Rahel emerged as a strong individual. The author through this novel presents before us the constant

struggle of the woman against their incessant exploitation, torture and struggle which they undergo because of the male dominated conservative social structure.

Works Cited

Allot, Miriam. *Novelists on the Novel*. London: Routledge, 1957. Print.

Balvannanadhan, Aida. *Arundhati Roy's The God of Small Things: A Study in the Multiple*

Narratives. New Delhi: Prestige Books, 2007. Print.

Batra, Shakti. *Arundhati Roy: The God of Small Things*. Delhi: Surjeet Publications, 2009. Print.

Bharat, Urbashi. *History Community and Forbidden Relationships in The God of Small Things*:

Arundhati Roy the Novelist extraordinary. New Delhi: Prestige Books, 1999. Print.

Bhatt, Indira and Nityanandam Indira. *Explorations: Arundhati Roy's The God of Small Things*.

New Delhi: Creative Books, 1999. Print.

Dhawan, R.K. *Arundhati Roy*. New Delhi: Prestige Books, 1999. Print.

Ganguly, Debjani. *Caste, Colonialism and Counter-Modernity*. New York: Routledge

Publications, 2005. Print.

Nazari, Fahimeh. "Revisiting the Colonial Legacy in Arundhati Roy's *The God of Small Things*."

Journal of Education and Social Research. Vol. 3. Issue 1. Jan. 2013. Print.

Rao, Ranga. *The Shape of the Beast Conversations with Arundhati Roy*, New Delhi: Penguin

books, 2009. Print.

Singh, N.P. *Women in The God of Small Things: Arundhati Roy the Novelist extraordinary*.

London: Penguin Publications, 1984. Print.

Sonia. "Social Consciousness in Arundhati Roy's *The God of Small Things*." *Language in India*,

Vol 13. Issue 5. May 2013. Print.

वैदिक काल में लिंगोपासना

डॉ० अशोक कुमार¹

वैदिक काल जिसे आर्यों का काल भी कहा जाता है, में सामान्य रूप से वैदिक देव मण्डल का ही प्रभाव परिलक्षित होता है। परन्तु तत्कालीन परिस्थितियों सम्बन्धी धर्मग्रन्थों एवं अन्य ऐतिहासिक श्रोतों का गहन विश्लेषण करने पर हमें इस काल में शैवधर्म विशेष कर लिंगायत सम्प्रदाय से सम्बन्धि प्रमाण भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।

यह निश्चित है कि वैदिक आर्यों के पंजाब में बसने से पहले सिन्धुघाटी के लोग निचली सिन्धुघाटी में बसते थे और सम्भवतः पूर्व एवं उत्तर की ओर काफी दूर तक फैले हुए थे। सिन्धु घाटी की सभ्यता वैदिक सभ्यता से काफी पुरानी थी, मोहनजोदड़ों में एक "सुमेरो-बेबीलोनियन" मिट्टी की टिकिया मिली है जो सी०एल०फैब्री के अनुसार 2800–2600 ई०पू० की है।¹ इससे सिद्ध होता है कि जिस समय वैदिक आर्य ऊपरी पंजाब में बस रहे थे, उस समय भी सिन्धु घाटी के नगर आबाद और समृद्ध अवस्था में थे। अतः कुछ समय तक, सबसे पहले, वैदिक आर्य और सिन्धु घाटी के लोग समकालीन रहे होंगे। पंजाब के मौदानों में तुरन्त बस जाने के बाद सम्भवतः ये दोनों जातियां शत्रु या किसी अन्य रूप में तब आपस में सम्पर्क में आयी होंगी जब आर्यों ने दक्षिण या दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ना प्रारम्भ किया होगा। ऋग्वेदीय सूत्रों में हमें दासों, दस्युओं एवं आर्यों के अनेक शत्रुओं का उल्लेख मिलता है।² इन शत्रुओं के पुरों और दुर्गों का भी कई बार उल्लेख आया है, जो पत्थर या धातु से बने हुए थे। ये पत्थर या धातु नगरीय सभ्यता का ज्ञान कराते हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि आर्यों के ये शत्रु कुछ असभ्य और बर्बर लोग नहीं थे जिसको आर्यों ने सहज अपने मार्ग से हटा दिया बल्कि वे सभ्य जातियां थीं जिसके बड़े-बड़े नगर और किले थे और वे संगठित

1. प्रवक्ता, जगदीश प्रसाद पाण्डेय स्मारक पी० जी० कालेज देवपुर अड़डा बाजार महाराजगंज

रूप से रहती थीं। उनके साथ आर्यों को भयंकर युद्ध करने पड़े, इनके अनेक संकेत हमें मिलते हैं और इन्हीं युद्धों में विजय पाने के लिये आर्य लोग देवताओं से प्रार्थना करते थे। 3 सच तो यह है कि यही वैदिक जो इन शत्रुओं को तिरस्कार की भावना से दास और दस्यु कहते थे अपनी सुविधा के अनुसार सामरिक मेल-मिलाप भी कर लेते थे। 4 अतः जब हमारे पास इस बात का स्वतन्त्र प्रमाण है कि जिस प्रदेशों में वैदिक आर्य लड़ाइयां लड़ रहे थे, लगभग उसी प्रदेश में, उसी समय एक सभ्य जाति का निवास था, तब इस बात की सम्भावना बढ़ जाती है कि यही जाति, आर्यों की शत्रु थी या कम से कम उन शत्रुओं में से एक थी जिनका उल्लेख ऋग्वेद के सूक्तों में हुआ है। 5 इस तर्क के समर्थन में इन शत्रुओं की कुछ ऐसी विशिष्टताओं का उल्लेख किया जा सकता है जो केवल सिन्धु घाटी के लोगों में ही पायी जाती थीं। ऋग्वेद में दो विभिन्न स्थलों पर दो ऋचाओं में 'शिश्रदेवाः' शब्द आया है—

प्रथम— न यावत् इन्द्र जूजुवुनों न वन्दना शविष्ठः वेद्याभिः।

स शर्धदर्यो विष्णुस्य जन्तोर्मा शिश्रदेवा अपिगुऋतंवः। 6

अर्थात्—“ हे इन्द्र! हमें पशुचारी नहीं मार सकते, हम इन्द्रजालिकों के मन्त्रों से नहीं मारे जा सकते, वह देवताहीन पशुओं को मार कर प्रसन्न होता है। हमारे यज्ञों पर शिश्रपूजकों की विजय न हो।”

यहां शिश्रदेवाः से स्पष्ट तात्पर्य लिंग पूजकों से है और वैदिक आर्य आपने देवताओं को शिश्रपूजकों से श्रेष्ठ बता रहे हैं। यहां यह भी स्पष्ट है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख देव इन्द्र है जो शिश्रपूजकों का शत्रु है। वैदिक आर्यों का धर्म यज्ञ करना है जबकि शत्रुओं का धर्म जादू-टोना है। इस ऋचा का भाव है कि शिश्र देवता कभी भी वैदिक आर्यों से श्रेष्ठ नहीं हो सकते। 7

यहां विवेच्य है कि यास्क अपने निरुक्त में 'शिश्रदेवाः' का अर्थ 'अब्रह्मचर्य' करते हैं जिसका अर्थ है कामुकतापूर्ण जीवन। 'सायण' ने यास्क के इस अर्थ का अनुसरण करते हुए इसे "शिश्रेन दीव्यन्ति क्रीडन्त इति शिश्रदेवाः। अब्रह्मचर्याः इत्यर्थः।" कहा है। सायण ने 'देवाः' शब्द की व्याख्या 'क्रीडा' शब्द से की है जबकि किसी ऋचा में कहीं भी देवाः का अर्थ क्रीड़ा नहीं बैठता है। 8 देशमुख के अनुसार सायण की व्याख्या ऋचाओं के आधार पर अनुपयुक्त है। सम्भवतः सायण और यास्क दोनों ही इस तथ्य से अवगत नहीं थे कि वैदिक आर्यों के शत्रु लिंगपूजक थे। सायण के अनुसार शिश्रदेवाः का अर्थ लिंग से क्रीड़ा करने वाला है। उनका यह अर्थ ऋचा के सन्दर्भ में संदिग्ध है क्योंकि वे इसे अब्रह्मचर्य से व्यक्त करते हैं। इसके विपरीत लिंग में अव्यक्त शक्ति की महत्ता न ही अश्लील है और न ही अमर्यादित। ऋचा में ये बातें तो आग्रहपूर्वक कही गयी

हैं। ऋचा में दो सम्प्रदाय के लोगों की तुलना है किन्तु गुणों का विवेचन नहीं है। इसलिये गुणों की अनुचित तुलना अप्रासंगिक है।

द्वितीय— सवाजं यातावदुष्पदा यन्त्स्वर्षाता परिसदत्सनिष्यन्।

अनर्वा अच्छतदुरस्य वेदो दृनंछिश्नदेवां अभिवर्षसा भूत्।। 9

अर्थात्— 'इन्द्र युद्ध में अविचल कदमों से जाता है। वह इस कामना से अभिभूत होते हुए जा रहा है कि वह उस पुर की सारी सम्पत्ति एवं वैभव प्राप्त करेगा जिसमें सौ द्वार हैं तथा शिश्नपूजकों को बल से मार देगा।' इस ऋचा में वैदिक आर्यों के युद्ध के उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। इस ऋचा से यह भी स्पष्ट है कि निश्चित ही इन्द्र ने पुर (नगर) बनाने वाले तथा शिश्नपूजक शत्रुओं को मारा और उनकी सम्पत्ति अपहृत कर ली। ऋग्वेद में जिस सौर द्वार वाले नगर का वर्णन प्राप्त है वह सिन्धु का ही नगर है। पुनः यह ऋचा स्पष्ट संकेत देती है कि इस प्रकार के जनसंहार से वैदिक आर्यों ने शिश्नपूजक सिन्धुवासियों को युद्ध में पराभूत किया, उनके पुर (नगर) नष्ट किये तथा सम्पत्ति का अपहरण कर लिया। इस प्रकार यह तथ्य असंदिग्ध हो गया कि ये पुरवासी सैन्धव शिश्नपूजक ही थे। ऋग्वेद में इन शिश्नपूजकों को अत्यन्त घृणा की दृष्टि से देखा गया है। 10

इस प्रकार ऋग्वेद के समय में शिश्नपूजकों को निन्दित बताते हुए उन्हें अवैदिक कहा गया है इसका मूल कारण यह ज्ञात होता है कि वैदिक आर्या प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। वे जननेन्द्रिय पूजा की धारणा से दूर थे क्योंकि इनमें जननेन्द्रिय पूजा का अभी विकास नहीं हो पाया था। इसके विपरीत अवैदिक आर्यों में जननेन्द्रिय पूजा का प्रचलन था। वैदिक आर्य साम्राज्यवाद के पोषक थे जैसा कि उपरोक्त ऋचा से स्पष्ट है। इन्होंने पराजित लोगों को दास, दस्यु की उपाधि प्रदान कर अवैदिक धारा से जोड़ दिया और शिव या उनके लिंग पूजा को अवैदिक पूजा कहा।

परन्तु इतना तो स्पष्ट है कि ऋग्वैदिक काल में भी लिंग पूजा का प्रचलन था, भले ही वैदिकों द्वारा इसे स्वीकार न किया गया हो। इन दोनों जातियों के संघर्षों का परिणाम हुआ— 'आर्यों की विजय' और धीरे-धीरे अन्य देशों की तरह यहां भी पराजित अपने विजेताओं के साथ घुल-मिल गये और उनका पृथक व्यक्तित्व लुप्त हो गया। परन्तु यह सम्मिश्रण की प्रक्रिया दोनों जातियों पर अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रही। इसका स्पष्ट प्रमाण हमें अथर्ववेद के ब्रातय काण्ड में दिखाई देता है। 11 यहां पर वैदिक एवं अवैदिक धारा का समायोजन दिखाई देता है तथा वेदों में शिव का विवरण एवं लिंग पूजा का प्रमाण मिलने लगता है। अब यह बात यहां पर जरा विचित्र सी लगती है कि आर्यों ने जिस प्रथा को गर्हित समझा था उसी को उन्होंने अपने एक देवता की उपासना का अंग बन जाने दिया। इसका कारण यह था कि लिंगोपासना एक बड़ी प्राचीन प्रथा थी और दूर-दूर तक इसका प्रचार था। इसकी परम्परा इतनी प्रबल थी और जिन लोगों में

इसका प्रचार था उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि आर्य सम्भवतः इसका पूर्णरूप से दमन नहीं कर सके। इसके साथ स्वयं आर्यों की उर्वरता सम्बन्धी विधियां थीं और रुद्र भी उर्वरता के देवता थे। अतः आर्यों के कुछ ऐसे वर्गों ने, विशेषतः उन वर्गों ने जिनमें ऐसी उर्वरता सम्बन्धी विधियों का सर्वाधिक प्रचार था और जिनका सिन्धु घाटी के लोगों से सबसे अधिक सम्पर्क हुआ, इस प्रथा को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं समझी। आखिर इस प्रथा का एक ऐसी जाति में सम्मान था जो वैदिक आर्यों से कम सभ्य नहीं थी, और फिर उर्वरता सम्बन्धी होने के नाते वह वैदिक आर्यों के जन-साधारण के धार्मिक आचार-विचार के सर्वथा प्रतिकूल नहीं थी। इस प्रकार लिंगोपासना का वैदिक आर्यों में प्रचार हुआ। 12

आर्यों ने इस प्रकार लिंगोपासना को स्वीकार तो कर लिया परन्तु शीघ्र ही उन्होंने इसके मूल स्वरूप को बिल्कुल पलट दिया। अपनी मूल धार्मिक विचारधारा की पृष्ठभूमि में न रहने के कारण और आर्य धर्म के प्रगतिशील विचारों के प्रभाव में आकर लिंगोपासना में कुछ न कुछ परिवर्तन तो आना ही था। यद्यपि पुरातनता के आदर से आर्यों ने उसके बाहरी आकार को तो बनाये रखा, तथापि धीरे-धीरे उसके सारे स्वरूप को बदल डाला। जननेन्द्रिय सम्बन्धी पुराने विश्वास और आचार मिटते गये, लिंग मूर्तियों का आकार भी यहां तक रूढ़िगत हो गया कि उनका मूल रूप पहचाना नहीं जा सकता था और अन्त में भगवान शिव का लिंग रूप एक प्रतीक मात्र होकर रह गया—‘उसके निर्गुण स्वरूप का केवल एक संकेत’।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची—

1. डॉ० यदुवंशी— शैवमत, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना द्वि० सं० 1988 पृ० 30
2. पूर्वोक्त पृ० 30
3. उदाहरणार्थ ऋग्वेद — एफ० मैक्समूलर, (सम्पादक) लन्दन, वैदिक संशोधन मण्डल पूना, 1863, — 2 — 14 दृ 6
4. यथा विख्यात दशराज्ञ युद्ध में।
5. डॉ० यदुवंशी — पूर्वोक्त पृ० 30
6. ऋग्वेद — पूर्वोक्त 7. 21 .5
7. देशमुख पी० — इण्डस सिविलाइजेशन, ऋग्वेद एण्ड हिन्दू कल्चर, सरोज प्रकाशन नागपुर, 1992 पृ० 306
8. पूर्वोक्त — पृ० 306
9. ऋग्वेद — पूर्वोक्त 10. 19. 3
10. मैकडानेल — हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर, वैदिक माइथालजी, वाराणसी, 1963 पृ० 155
11. देखें— अथर्ववेद, सत्यनारायण प्रेस बम्बई, 1884, अध्याय 15 (ब्रातय काण्ड)
12. डॉ० यदुवंशी — पूर्वोक्त पृ० 32

धर्म एवं पर्यटन (श्री रावतपुरा सरकार के विशेष सन्दर्भ में) डॉ० हरिओम बादल¹

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में धर्म का योगदान महत्वपूर्ण है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म की आवश्यकता होती है। यह मनुष्य को उसके कर्तव्यों का अहसास कराती है। तथा आदर्श जीवन यापन व्यतीत करने प्रेरणा प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म का अस्तित्व देखने को मिलता है। उत्सव, पर्व, त्यौहार सामाजिक जीवन के मूल आधार होते हैं। जिसमें धर्म का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। धर्म व्यक्ति के जीवन को परिशुद्ध और पवित्र बनाता है। किंग्सले डेविस (1956-509) के अनुसार “धर्म मानव समाज का ऐसा सर्वव्यापी, स्थाई और शाश्वत तत्त्व है जिसे समझे बिना समाज के रूप को बिलकुल नहीं समझा जा सकता।”¹ क्यूवर (1968-511) का मत है कि “धर्म सांस्कृतिक जीवन से संबंधित व्यवहारों का वह प्रतिमान है जिसका निर्माण पवित्र विश्वासों, विश्वासों से संबंधित उद्देश्यपूर्ण विचारों तथा इन्हें व्यक्त करने वाले बाहरी आचरणों से होता है।”²

दुर्खीम ने विशिष्ट लक्षणों के आधार पर धर्म की सामान्य परिभाषा प्रस्तुत करते हुये कहा है— “ धर्म पवित्र वस्तुओं अर्थात् पृथक और निषिद्ध वस्तुओं से सम्बन्धित विश्वासों और क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, विश्वास और क्रियाएँ जो उन समस्त लोगों को चर्च नामक एक पृथक नैतिक समुदाय के रूप में संगठित करते हैं, जो उनका अनुसरण करते हैं”³

1. सहायक आचार्य समाज शास्त्र पं० जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय बांदा, उ०प्र०

1. आज चारों ओर विद्वानजन धर्म की जय हो व अधर्म का नाश हो ऐसी उद्घोषणा करते नजर आ रहे हैं। इसे आज ही बन्द करें और धर्म की जय तथा अधर्म की शान्ति हो ऐसा उद्बोधन दें। किसी पदार्थ या वस्तु के नाश या समाप्ति से सृष्टी चक्र ही रुक जायेगा और सब कुछ समाप्त हो जायेगा। शान्ति कामना से स्थिरता आयेगी। नये युग की रचना हो सकेगी।⁰⁴
2. दूसरे का हित (भलाई) करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सदैव दूसरों के हित के लिए तत्पर रहना चाहिए। चाहे कष्ट भी क्यों न उठाना पड़े परन्तु परहित से मुख नहीं मोड़ना चाहिए।⁰⁵
3. स्वयं का निर्माण उस महान वृक्ष की भाँति करो। जिसकी छायां तले अन्य भी विश्रान्ति पा सके व अपना कल्याण कर सके।⁰⁶

श्री रावतपुरा सरकार ने धर्म के साथ पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। जिसके कारण देश के विभिन्न भागों में उनके आश्रमों में धर्म, शिक्षा एवं रोजगार तथा पर्यटन देखने को मिलता है।

पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार को प्राप्त हुए श्री रविशंकर जी के रूप में श्री गुईयों बाबा ने पुनर्जन्म ग्रहण किया। सन् 1968 पॉंच जुलाई गुरुवार को प्रातः 4:25 पर अवतरित यह प्रार्दुभाव प्रसव पीड़ा रहित था। प्रसव गृह से आकर नानी श्रीमति केशर बाई ने शुभ संदेश दिया कि नाती दओ भगवान ने। श्री ठाकुर दास जी गुरुदेव की परम कृपा यादकर सब कुछ लुटाने लगे।⁷ खबर फैलते देर न लगी बधाईयाँ आने लगी परम आश्चर्य तो यह था कि पूरे ग्राम छिपरी में घर-घर लोगों को लगता था जैसे हमारे ही घर में उत्सव हो। उस समय गाँव में सुहावना लगता था जो सभी के अनुभव में आया। पंडित जी आये, कुंडली बनी नाम रविशंकर रखा गया। रवि श्री जन्म से ही बहुत कम रोते थे। छः महीने के होते होते ये अधिकांश उस समय रोते जब इन्हें बगैर धुले कपड़ों पर लिटाये जाये, या बगैर धुली चम्मच से दूध पिलाया जाता था। एक वर्ष की अवस्था में इन्हें नहाने का शौक पड़ा तो दो वर्ष के होते-होते बगैर नहाये दूध भी नहीं पीते थे ढाई-तीन वर्ष की अवस्था में चलने लगे थे। सन् 1971 के अक्टूबर माह में इनके छोटे भाई श्री हरिशंकर का जन्म हुआ। सन् 1972 में मुंडन संस्कार हुआ।

शिशु अपना सुख-दुख मुह के माध्यम से व मुह के हाव-भाव से प्रकट करता है। इस अलौकिक सन्तान के अवतरण की

दूसरी विशेष बात यह थी कि यह प्रसव-पीड़ा से रहित था और शिशु का शरीर इतना स्वच्छ था जैसे इसे प्रकट होने के पूर्व ही स्नानादि से पवित्र कर लिया गया हो। आश्चर्य जनक लीला यह कि नवजात शिशु केवल नानी केशरबाई के हाथ से और साफ सुधरी धुली कटोरी ओर चम्मच से ही दूध पीते थे अन्यथा होने पर पीता ही नहीं था। यदि हठ पूर्वक कोई पिला भी देता था तो वह उसको वमन के द्वारा बाहर कर देते थे। उस शिशु ने कभी भी विस्तर गंदा नहीं किया। जब आवश्यकता महसूस होती तो रोकर बाहर जाने को बाध्य कर देता। कुछ दिनों में ही घर के लोग उसकी इस चरित्र के प्रति अभ्यस्त हो गये। ओर यह बात उनके मन में बैठक गई, बालक के पूर्व जन्म के संस्कार प्रभावित कर रहे हैं इस अद्भुत बालक का कई बार स्नान करने ओर बिना नहाये कुछ भी न खाने का नियम एक वर्ष की अवस्था से ही हो गया। पांच-छः वर्ष की अवस्था तक आते-आते मां के साथ सोना तथा मां के सो जाने पर लुप्त हो जाना, और मां के उठने से पूर्व पुनः आ जाना, उनकी सामान्य लीला हो गई। बीच-बीच में मां की नींद खुलने पर शयन कक्ष का दरवाजा, खिड़की बन्द होने पर भी वे गायब ही मिलते। मां के पूछने पर बताते की सिद्ध बाबा के चतूतरे पर गया था।⁸ बाल्यावस्था के समय से ही तमाम चौंका देने वाली आश्चर्यजनक बातें जिनके ऊपर अगर गंभीरता से विचार किया जाता तो लोग तभी समझ जाते कि यह कोई असाधारण बालक है, जिसका मस्तिष्क पूर्ण रूप से परिपक्व है और निश्चित ही पूर्ण होशो-हवास में है। सन् 1972 में चार वर्ष की अवस्था में अच्छरू माता के प्रसिद्ध मन्दिर में जाकर रवि श्री का मुंडन संस्कार हुआ था, में मिट्टी में खेलते मिट्टी के शिवलिंग बनाते फिर बच्चों से कहते फूल चढ़ाओ, इनके ऊपर कहीं भी प्रवचन या सत्संग में अगर इनको साथ ले जाए तो और बच्चों की तरह रोते नहीं थे, बल्कि टुकुर-टुकुर शान्ति से देखते रहते, जैसे सुन रहे हो, समझ रहे हो। हमारे यहां जो कहा जाता है कि लालना के पांच पालना में नजर आते हैं, यह कहावत यहां चरितार्थ हो रही थी, इस छोटे से बालक में असीम विस्तार और अनन्त गम्भीरता छिपी थी।

श्री रावतपुरा सरकार धाम (मुख्य आश्रम) :- परम पूज्य महाराज श्री सन् कियात्मक पक्ष 1990 में रावतपुरा नामक स्थान पर पहुंचे, जो तहसील लहार जिला भिण्ड (म0प्र0) से 20 किमी० दूर छोटा सा गांव है। यह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है तथा एक तरफ पहुंच एवं दूसरी ओर सोनमृणा नामक नदियों से घिरा हुआ है, इन्होंने एक

पुराने व उजाड़ पड़े उत्तरमुखी हनुमान जी (श्री रावतपुरा सरकार) के मन्दिर को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना। चूंकि वहां डाकुओं का भय हमेशा ही लगा रहता था, लोगों ने इन्हें न रूकने की सलाह दी, तब महाराज श्री ने वहां के लोगों के दिलों से भय को दूर भगाने तथा उस स्थान को श्रद्धा एवं विश्वास को केन्द्र बनाने का दृढ़ संकल्प लिया। आज 20 वर्षों के बाद यह स्थल बीहड़ से परिवर्तित होकर हरे-भरे पेड़ों से परिपूर्ण खूबसूरत श्री रावतपुरा सरकार मन्दिर परिसर आज लाखों भक्तों की श्रद्धा का केन्द्र श्री रावतपुरा सरकार धाम बन गया है, यहां विशेषकर सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार एवं रविवार को श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, आज यहां धाम में राजस्थानी स्थापत्य कला से निर्मित 55 मन्दिरों के सनातन धर्म व सभी सम्प्रदाय के गुरुओं की प्रतिमाएं विराजमान हैं। यहां तीन प्रमुख मन्दिर हैं, जिनमें श्री रावतपुरा सरकार, श्री रामराजा सरकार एवं मां राज रामेश्वरी की पूजन अर्चन हो रहा है। मन्दिर प्रांगण में सन्त ध्यान कक्ष है, जहां रामकृष्ण परमहंस की मूर्ति विराजी है, छोटे-छोटे बच्चों के खेलने-कूदने के तरह-तरह के झूलों से सुसज्जित “नन्हीं मुन्नी दुनिया” है यहां भगवान गौतम बौद्ध की प्रतिमा होने के कारण इसे बुद्ध विहार भी कहा जाता है, इसके अतिरिक्त भगवान महावीर स्वामी द्वार, अमीर खुसरो द्वार, मदर टेरेसा एवं गरीब नवाज द्वार सर्वधर्म सम्भाव का संदेश दे रहे हैं। सांस्कृतिक कला मंच के सामने विशाल खूबसूरत लॉन तथा राजस्थानी पत्थर से बना फव्वारा यहां की भव्यता को बयान करता है, यहां देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं व भक्तों के लिये सर्व सुविधा युक्त धर्मशालाएं व विश्राम गृह, शुद्ध शाकाहारी भोजन के लिये अन्नपूर्णा भोजनालय, श्रद्धा-सुमन जलपान गृह व सुलभ शौचालय आदि निर्मित किये गये हैं, यहां 200 गौमाताओं की गौशाला तथा पंचगत्यों से निर्मित उत्पादों का निम्नण कक्ष विशेष आकर्षण का केन्द्र है, आस्था मंच यज्ञ शाला, ध्यान कक्ष व प्रकृति की गोद मेब नी पंचवटी यहां के साधकों के लिये अपनी आध्यात्मिक उन्नति के साधन हैं। श्री रावतपुरा सरकार धाम की ग्वालियर से दूरी लगभग 100 किमी० है, यह मार्ग ग्वालियर से मुरार बैहट, भौ से बढ़ा से ग्राम चौरई होता हुआ रावतपुरा पहुंचता है। झांसी से चिरगांव, भाण्डेर, दवोह होकर व झांसी एट, कोच, नदीगांव होकर अथवा झांसी से ही दतिया, इन्दरगढ़, थरेट से बढ़ा चौरई होकर भी इस स्थान तक लाया जा सकता है। झांसी से यहां तक की दूरी लगभग 100 से 125 किमी० के बीच पड़ती है, उत्तर प्रदेश के लोग

उरई, जालौन से कोच नदीगांव होकर भी इस स्थान तक पहुंच सकते हैं।
उरई, जालौन से यह स्थल लगभग 60 किमी० दूरी पर स्थित है।

श्री रावतपुरा सरकार आश्रम, चित्रकूट :-

महाकाव्य रामायण में कहा गया है कि यहां भगवान श्रीराम ने अपना वनवास काटा है। चित्रकूट अर्थात् “आश्चर्य से भरपूर पहाड़” विन्ध्य पहाड़ियों से पूर्व में बसा हरा-भरा नदियों, झरनों से भरपूर स्थल है। चित्रकूट पर्वत श्रंखला में कामदगिरि, हनुमान धारा, लक्ष्मण पहाड़ी एवं देवांगना शामिल है, प्राकृतिक सौन्दर्य से ओत-प्रोत यह एक धार्मिक स्थल है, जहां देवताओं का वास रहा है। चित्रकूट में भगवान राम ने सीता जी व लक्ष्मण जी सहित 11 वर्ष 5 महीने का वनवास किया। यहां माता सती अनुसुईया, महर्षि मार्कण्डेय, तुलसीदास, दत्तात्रेय, आदि कई सन्तों ने जयन्तय किया। कहा जाता है कि इस तपोभूमि पर ब्रह्मा, विष्णु व महेश ने बाल रूप में माता अनुसुईया को दर्शन दिये थे। यहां प्रमुख दर्शनीय स्थल रामघाट, कामदगिरि, सती अनुसुईया, स्फिटिक शिला, गुप्त गोदावरी, जानकी, जानकी कुण्ड, श्रंगार वन, हनुमान धारा एवं रामदर्शन है। श्री रावतपुरा सरकार आश्रम का परिसर करीब 40 एकड़ का है। जो सतना रोड पर श्रंगार वन (सिरसा वन) में मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, यहां वैदेही कुटी, सर डा० हरि सिंह गौर भवन, डा० राजन्द्र प्रसाद भवन, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय भवन, कल्पना चावला प्रशासनिक भवन एवं गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर सभागृह आदि खूबसूरत अत्याधुनिक भवन श्रेष्ठ वास्तु शिल्पियों द्वारा निर्मित किये गये हैं, यहां मन्दिरों के समूह भी राजस्थानी स्थापत्य कला से निर्मित हो चुके हैं। जिसमें गणेश जी, लक्ष्मी नारायण, हनुमान जी, साई बाबा, तिरुपति बाला जी, मां दुर्गा जो भैरव बाबा आदि प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा गुरु जन्मोत्सव 2011 में की गई है, यहां 24 कमरों की धर्म शाला की दर्शनार्थियों व भक्तों के लिये संचालित हो रही है तथा वदिक संस्कृति के उत्थान के लिये आवासीय संस्कृत विद्यालय भी संचालित हो रहा है, चित्रकूट तपो भूमि होने को दृष्टिगत रखते हुये साधको के लिये ध्यान कुटीर निर्मित किया जाना प्रस्तावित है।

श्री रावतपुरा सरकार आश्रम, रायपुर :-

छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रामपुर में रेलवे स्टेशन से 15 किमी० तथा माना विमान तल से 6 किमी० दूरी पर धमतरी रोड के पास धनेली-घुसेरा मार्ग पर श्री रावतपुरा सरकार आश्रम अब स्थित है, यह

आश्रम 45 एकड़ खूबसूरत परिसर में फैला हुआ है, यहां पांच भव्य मन्दिर का निर्माण किया गया है, जहां श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, श्री लक्ष्मी नारायण, मां दुर्गा तथ महादेव शंकर भगवान का सम्पूर्ण परिवार विराजमान है, यहां रामचरित्र मानस का पाठ अनवरत् चलता रहता है। यहां सद्गुरु निलियम आस्था मंच यज्ञशाला 24 कमरों की धर्मशाला ब्रह्माकुण्ड 100 गौमाताओं की गौशाला, भण्डार गृह एवं सुलभ शौचालय का निर्माण किया जा चुका है तथा निर्धन छात्रों का कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु आई0टी0आई0 (श्री रावतपुरा सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र) का शुभारम्भ इस वर्ष किया गया है। यहां इलैक्ट्रीशियन कोपा, फिटर एवं डीजल मैकैनिक्स आदि ट्रेड संचालित किय जा रहे हैं।

श्री रावतपुरा सरकार आश्रम, हरिद्वार :-

यह आश्रम पतित पावनी मां गंगा के तट पर हरद्वार में हर की पौड़ी के सन्निकर स्थित है। इस आश्रम में पांच मंजिला भवन है, जिसमें दर्शनार्थियों, भक्तों व पर्यटकों के ठहरने के लिये सर्वसुविधा युक्त 16 कमरे हैं, यहां दश-विदेश के पर्यटक श्रद्धालु एवं दर्शनार्थी नियमित रूप से हरिद्वार व ऋषिकेश में दर्शनों के लिये आते रहते हैं।

हरिद्वार में मां गंगा देवी जी सायंकालीन आरती, मां मनसा देवी तथा चण्ड देवी का मन्दिर आदि दर्शनार्थियों के लिये प्रमुख आकर्षण का केन्द्र है, यहां से 25 किमी० दूर स्थित ऋषिकेश भी प्रमुख तीर्थ स्थल है, हरिद्वार आश्रम में समय-समय पर विभिन्न धार्मिक आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं।

निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं। श्री रावतपुरा सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न आश्रमों आये भक्तों को धार्मिक नगर एवं पर्यटन का माध्यम बन गये। जहाँ पर उन्हें आध्यात्मिक मानसिक शान्ति मिलती है। लोगो को मनोवांछित फल मिलते हैं। प्राचीन काल से धार्मिक क्षेत्रों में लोगो का आवागमन रहा जो पर्यटन को बढ़ावा देते रही इसी तरह श्री रावतपुरा सरकार देश के विभिन्न लोगो में मुख्य रूप श्री रावतपुरा धाम, चित्रकूट, हरिद्वार, रायपुर आदि स्थानों पर आश्रमों की स्थापना की जहाँ पर्यटन को धर्म से जोड़ा बल्कि लोगो के आकर्षण का केन्द्र बना है जहाँ पर शैक्षणिक संस्थाओं का विकास गौशालाओं का निर्माण वृद्धाश्रम अनाथालयों की स्थापना के साथ विभिन्न देवों देवताओं के मन्दिर का निर्माण करके पर्यटन को बहुत अधिक बढ़ावा दिया है। जिससे उस क्षेत्र के लोगो को रोजगार एवं शिक्षा के अवसर प्राप्त हुये हैं तथा क्षेत्रीय

लोगो के जीवन आपन का आधार बना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्री रावतपुरा सरकार ने न केवल धर्म एवं लोगो की कामनाओं को पूर्ण किया बल्कि पर्यटन के क्षेत्रो बढ़ावा दिया जो सार्थक एवं महत्वपूर्ण है।

01. डेविस किंग्सले, 1956 : 509

02. क्यूवर, 1968 : 511

03. शर्मा गुप्ता, 1999 : 55

04. श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट, आदर्शबोध, 2006 : 33

05. श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट, आशीर्वाद, 2006 : 26

06. श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट, आशीर्वाद, 2006 : 26

07. कुण्डेश्वर मंजुल, 2008: 48, द्वितीयोनास्ति

08. शुक्ल श्यामसुन्दर, 2011: 41, युगावतार श्री रावतपुरा सरकार

श्री रामचरित मानस में वर्णित शिक्षा की वर्तमान सन्दर्भ में उपादेयता

जितेन्द्र नाथ मिश्र¹

वैश्वीकरण के इस युग में 'न केवल मानव ने वैज्ञानिक उन्नति कर मंगल तक पहुँच कर अपना परचम फहराया है वरन् हाइड्रोजन बम जैसी विस्फोटक सामग्री को बनाकर मानवता को नष्ट करने का भी समस्त उपक्रम बना रखा है। इस भौतिकवादी युग में मनुष्य सकारात्मक स्पर्धा से लेकर नकारात्मक स्पर्धा तक की सोच अपने मन में सजोए बैठा है। आज मनुष्य इतना महत्वाकांक्षी हो गया है कि वह सबको पीछे छोड़कर सबका उत्पीड़न व दमन करके सबसे आगे रहने की सोच रखता है। आज मनुष्य का सिर्फ इतना सोचना है कि वह अपनी महत्वाकांक्षी सोच की पूर्ति शिखर पर कैसे पहुंचे? इसके लिए वह रिश्ते—नाते तथा समाज व मानवता सब को अनदेखा कर रहा है। उसके स्वार्थीपन ने उसका दायरा सीमित कर रखा है। आज वह आत्मकेन्द्रित होकर स्वयं तक सीमित होकर रह गया है।

वर्तमान वातावरण ने हमारी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, मूल्य एवं मान्यताओं को न केवल नेस्तनाबूद कर रखा है वरन् सब कुछ उलट—पलट कर रख दिया है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम भी मानवीय संवेदनाओं को जागृत करने में पूर्ण सक्षम नहीं है। आज की शिक्षा वैज्ञानिक युग की शिक्षा है जिसमें केवल प्रयोजनार्थ ही शिक्षा प्रदान कर पाठ्यचर्या को समाप्त कर दिया जाता है यद्यपि शिक्षा प्रक्रिया के कक्षीय व पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा छात्र—छात्राओं में नैतिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, लोकतांत्रिक आदि मूल्य परक शिक्षाओं का समावेश किया गया है तथापि न तो अध्यापक और न ही विद्यार्थीगण इनको बहुत अधिक महत्व देते हैं, जिसके कारण स्कूल, समाज तथा राष्ट्र का वातावरण निरन्तर दूषित होता जा रहा है तथा मानवीय संवेदना समाप्त होती जा रही है।

1. शोध छात्र (अनुसंधान अध्येता), शिक्षा संकाय, ज0रा0वि0वि0 चित्रकूट उ0प्र0

ऐसे वातावरण में यह आवश्यक ही नहीं वरन् अपरिहार्य हो जाता है कि शिक्षा को हम अपनी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ें तथा वातावरण को खुश व मानवीय बनायें। मानवीय संवेदनाओं का पुनः जागरण हो इसके लिए हमें आवश्यक पहल करनी पड़ेगी। हमारी मूल्य परक शिक्षाएँ ही हमारी सबसे बड़ी सांस्कृतिक धरोहर हैं। इस सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखना प्रत्येक देशवासी का नैतिक कर्तव्य है।

भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों के प्रणेता के रूप में अनेक प्राच्यग्रन्थ हमारे समक्ष उपलब्ध हैं जिन्होंने हमारी सांस्कृतिक धरोहरों की पृष्ठभूमि तैयार कर एक आदर्श जीवन पावन के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इन प्राच्य ग्रन्थों की महत्ता व इसमें वर्णित अनेक शिक्षाएँ प्रत्येक युग में मनुष्य का मार्गदर्शन करती रही हैं तथा सांस्कृति को सम्पोषण तथा सम्बर्धन प्रदान करती रही है।

हिन्दी साहित्य के स्वर्ण युग (भक्ति काल) में सन्त महाकवि तुलसीदास कृत सनातन संस्कृति के अमरग्रन्थ 'श्री रामचरित मानस' में आदर्श जीवन एवं लोक कल्याण की अनेक ऐसी शिक्षाएँ हैं जो आज के वर्तमान सन्दर्भ में न केवल प्रासंगिक हैं वरन् अत्यन्त उपादेय हैं तथा सांस्कृतिक धरोहर को पुष्ट करने में पूर्ण सक्षम हैं।

इस महाग्रन्थ में महाकवि तुलसीदास जी ने शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, समन्वय एवं लोकतांत्रिक जैसी अनेक मूल्य परक शिक्षाओं का दर्शन प्रस्तुत कर हम सभी का मार्गदर्शन किया है। हम इस महाग्रन्थ से इन शिक्षाओं को ग्रहण कर वर्तमान की भयावह स्थिति के संकट को दूर करने में सक्षम हो सकते हैं।

आज देश जिन विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है उन परिस्थितियों पर नियन्त्रण कर सब कुछ ठीक-ठाक एवं सुचारु रूप से चलाने के लिए इस ग्रन्थ में वर्णित शिक्षाओं की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी ने स्वयं जिस लोक कल्याणकारी राज्य का सपना देखा था उसकी कल्पना भी उन्होंने श्री रामचरित मानस में अंकित राम राज्य की विशेषताओं के आधार पर की थी। राजा दशरथ जो कि स्वयं अवध के चक्रवर्ती सम्राट हैं और सम्पूर्ण शक्तियाँ उनमें निहित हैं परन्तु श्री राम ने राज्याभिषेक के लिए वह मन्त्रिपरिषद की राय लेना उचित समझते हैं।

“जौ पंचहि मत लागें नीका, करहुँ हरष हिय रामहिं टीका।।”

इसे लोकतांत्रिक शक्ति की विनयशीलता ही कहा जायेगा। क्या ऐसी विनयशीलता आजके लोकतांत्रिक सम्राट के व्यक्तित्व में दिखाई देती है?

“ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशी,”

आध्यात्मिक शिक्षा का इससे बड़ा कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। जिस महाग्रन्थ ने प्रत्येक प्राणी को आत्माधारी तथा ईश्वर का अंश माना है साथ ही आत्मा को चेतनायुक्त स्वच्छ तथा सहज रूप से सुख की राशि माना है वह अनेकता में एकता का स्पष्ट सन्देश दे रहा है। स्पष्ट है कि जब हम सभी एक ही ईश्वर की सन्तान हैं तब धर्म, जाति, ऊँच-नीच का झगड़ा क्यों? सामाजिक समरसता लाने एवं भाईचारे की शिक्षा प्रदान करने में आज श्री रामचरित मानस की शिक्षाएँ अतुलनीय योगदान देने में सक्षम हैं।

भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त जिस शासन की बात कही है तथा उनके द्वारा लिए गये देशहित में अनेक फैसलों पर श्री रामचरित मानस की शिक्षाओं की स्पष्ट झलक दिखाई पड़ती है। श्री रामचरित मानस की आर्थिक शिक्षाओं तथा भ्रष्टाचार मुक्त शासन तथा श्री नरेन्द्रमोदी जी का नोटबन्दी का फैसला का तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि वह समाज में आर्थिक समरस्ता के पक्षधर हैं।

आज देश आतंकवाद की जिस विभीषिका को झेल रहा है ऐसी ही विभाषिका श्री राम के युग में लंकापति रावण द्वारा आतंक फैला कर की गयी थी। उस समय श्री रावण के आतंक का मुकाबला करने के लिए श्री रामचन्द्र ने बानर, भालू, रीछ, मानव आदि को संगठित किया तथा संगठित होकर रावण के आतंक को नष्ट किया। ठीक वैसी ही स्थिति वर्तमान में है। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी आतंक की जननी राष्ट्र पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादियों और उनकी गतिविधियों को समूल नष्ट करने के लिए विश्व मंच पर आतंकवाद विरोधी समस्त राष्ट्रों को संगठित कर रहे हैं तथा हमें आशा है कि जिस प्रकार संगठित हो कर उस समय रावण के आतंक को नष्ट किया गया ठीक वैसे ही श्री मोदी जी की आतंकवाद के विरुद्ध संगठित शक्ति एक दिन समग्र आतंकवाद को नष्ट करने में सक्षम होगी। आतंकवाद के विरुद्ध लड़कर उसे नष्ट करने की जो नीति श्री मोदी जी चल रहे हैं उसमें श्री रामचरित मानस की आतंक विरोधी नीतियों की स्पष्ट झलक परिलक्षित होती है।

श्री रामचरित मानस में ऐसी अनेक शिक्षाएँ हैं जो वर्तमान विभिन्न समस्याओं के समाधान में हमारा मार्गदर्शन कर सकती हैं।

श्री रामचरित मानस में वर्णित विभिन्न शिक्षाओं की संभावनाओं को नवीन दृष्टिकोण से देखना, सोचना पड़ेगा तभी प्रत्येक संभावना को साकार रूप दिया जा सकेगा।

शिक्षाशास्त्र व हिन्दी के शोधार्थियों को श्री रामचरित मानस में वर्णित शिक्षाओं तथा वर्तमान में होने वाले उनके लाभों को दृष्टिगत रखते हुए शोध हेतु प्रवृत्त होना चाहिए।

वर्तमान की लगभग समस्त समस्याओं के समाधान की खोज तथा संभावनाओं की तलाश के लिए श्री रामचरित मानस की शिक्षाओं की विस्तृत फलक पर चर्चा कर शोधार्थियों को इस पुनीत कार्य में अपना योगदान देना चाहिए।

वर्तमान में शोधार्थियों को श्री रामचरित मानस में वर्णित शिक्षाओं की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए और शिक्षाओं में निहित सम्भावनाओं को उजागर कर मनीषी विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए ताकि उनकी उपादेयता को सार्थकता मिल सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. राम बिहारी लाल, शैक्षिक चिन्तन एवं प्रयोग
2. डॉ. रामशकल पाण्डेय, शिक्षा वर्तमान सन्दर्भ में
3. राजपति दीक्षित, तुलसीदास और उनका युग
4. रामनाथ सुमन, तुलसीदास और उनकी देन
5. सीताराम कपूर, मानस के ऐतिहासिक श्रोत
6. रजनीकान्त शास्त्री, मानस मीमांसा